पंचम माला, खंड 25, अंक 28 — गुरुवार, 29 मार्च 1973/8 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV No. 28 — Thursday, March 29, 1973/Chaitra 8, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / **Seventh Session**]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं / **Vol. XXV contains Nos. 21 to 30**]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28—गुरुवार, 29 मार्च, 1973/8 चैत्र, 1895 (शक)

No. 28—Thursday, March 29, 1973/Chaitra 8, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
521	भारत और युगोस्लाविया के बीच श्रमिक संघ आन्दोलन के क्षेत्र में अधिक घनिष्ठ सहयोग	Closer Co-operation in Trade Union Movement between India and Yugoslavia . .	1–3
522	ईंट तथा टाइल पकाने वालों को कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to Brick and Tile Bakers . . .	3–5
525	युगांडा से निकाले गए भारतीयों की परिसम्पत्तियों को प्राप्त करना	Recovery of Assets of Indians Forced out of Uganda .	5–6
526	सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्रों में इस्पात के कारखाने	Steel Plants in Public/Private Sectors	7–9
527	तांबे का उत्पादन	Production of Copper . .	9–10
528	मिलिट्री फार्मों/मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस/आर्डिनेंस इन्स्टालेशनों में दैनिक मजूरी पर नियुक्त मजदूर	Daily Wage Workers Employed in Military Farms/ Military Engineering Service/ Ordnance Installations .	10
529	बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के आयुध कारखानों के रक्षा उत्पादन में कमी	Loss of Defence Production in Ordnance Factories of U.P. due to Power Cut . .	10–12
530	राज्यों में अधिक सैनिक स्कूलों का खोला जाना	Opening of more Sainik Schools	12-14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
523	गुजरात में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	E. P. F. Outstanding in Gujarat	14–15
524	दण्डकारण्य परियोजना के निर्माण सर्किल में कार्य-प्रभारित कर्मचारी	Work-charged Staff in Construction Circle of Dandakaranya Project	15
531	देश में इस्पात के वितरण की नई नीति	New Distribution Policy of Steel in Country . .	15-16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य नें वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1A—6 L.S.S./73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
532	मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Madras Aluminium	16
533	'ब्लैक दिसम्बर' संगठन की गतिविधियों की जांच	Investigation into Activities of Black December Group	16–17
534	सेन्ट्रल पल्प मिल यूनिट, गुजरात के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Central Pulp Mill Unit, Gujarat	17
535	रत्नागिरि की एल्यूमिनियम परियोजना की प्रगति	Progress of Aluminium Project at Ratnagiri . . .	17–18
536	बोकारो इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को आवास देने संबंधी योजना	Scheme to Provide Accommodation to Workers of Bokaro Steel Plant	18
537	गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to H. E. C Ranchi by Private Companies	18
538	ढाका स्थित भारतीय राजनयिकों को "ब्लैक दिसम्बर" संगठन द्वारा धमकी	Threat to Indian Diplomats in Dacca by Black December Organisation . .	19
539	मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा आरम्भ किया जाने वाला कार्य	Work to be taken up by Mazagaon Dock Limited . .	19
540	गैर-कोकिंग कोयलाखानों के भूतपूर्व मालिकों द्वारा कोयले का उत्पादन	Production of Coal by Erstwhile owners of Non-Coking Coal Mines	19–20
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5128	टीन के डिब्बे बनाने वाले कारखानों को टीन की प्लेटों की सप्लाई	Supply of Tin Plates to Tin Can Manufacturing Units . .	20
5130	युद्ध से प्रभावित ग्रामीणों का पुनर्वास	Rehabilitation of War-hit Villagers	20–21
5131	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र लगाने के बारे में हुई प्रगति	Progress Made in Proposed Steel Plant in Chhatisgarh Area of Madhya Pradesh . . .	21
5132	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, सुनाबदा (उड़ीसा) के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या की न्यायिक जांच	Demand for Judicial Enquiry regarding Alleged Suicide Committed by Students of I.T.I. of H.A.L., Sunabeda (Orissa)	21–22
5133	भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पकड़े गए जहाजों के नाविकों और यात्रियों को अपने-अपने देश भेजना	Repatriation of Seamen and Passengers of Ships Captured during Indo-Pak War . . .	22
5134	बम्बई में गत दो वर्षों में जारी किये गय पार-पत्र	Passports Issued during last Two Years at Bombay. .	23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5135	विदेशों में भारतीय दूतावासों का स्तर-वार ब्यौरा	Status-wise Break-up of Indian Missions Abroad .	23
5136	भारत के अन्य देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध	India's Diplomatic Relations with other Countries . .	23–24
5137	भारी बिजली इंजीनियरी उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता	Total Installed Capacity of Heavy Electrical Engineering Industries	24–25
5138	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कुप्रशासन	Mal-Administration in H.E.C., Ranchi	26
5139	माना शिविर समूह में सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग	Mis-use of Transport in Mana Group of Camps . .	26
5140	माना शिविर में शरणार्थियों को सरकारी सहायता प्राप्त राशन	Subsidised Ration to Refugees in Mana Camp . .	26–27
5141	कृषि उद्योग विकास निगम, बिहार का उत्पादन	Production of Agro Industrial Development Corporation, Bihar	27
5142	ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग पर व्यय	Expenditure of Indian High Commission in U.K. . .	27–28
5143	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों द्वारा भागने के लिये सुरंगें खोदा जाना	Digging of Tunnels by POWs of Pakistan for Escape .	28
5146	हिन्द-चीन का पुनर्निर्माण करने हेतु सहायता देने के लिए एशिया के देशों का सम्मेलन	Conference of Asian Nations for Assisting Indo-China's Rehabilitation . . .	28
5147	सैनिक इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की पदोन्नति	Promotions of Assistant Executive Engineers in M.E.S. .	28–29
5148	"एपलिकेशन आफ साइन्स टू माइनिंग कोल" पुस्तिका	Booklet "Applications of Science to Mining Coal" .	29
5149	महाराष्ट्र में बन्द खानों का पुनः खोल जाना	Reopening of closed Mines in Maharashtra . . .	29
5150	खेतड़ी तांबा परियोजना के लिए मांगी गई विदेशी सहायता .	Foreign Aid sought for Khetri Copper Project . . .	29–30
5151	प्रोडक्शन शाफ्ट और सर्विस शाफ्ट के लिए खुदाई करना	Sinking of Production shafts and service shafts at Khetri	30
5152	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले बंगाली	Bengalis Working in Engineering Projects India Ltd.	30–31
5153	लुधियाना जिले में विस्थापित खेतिहर व्यक्तियों की आबंटित निष्क्रान्त भूमि से बेदखली	Eviction of Agriculturist Displaced Persons from Allotted Evacuee Lands in Ludhiana District	31
5154	पश्चिम बंगाल में सूरी के निकट आयोजित 'विवेकानन्द मेले' में कब्जे में लिये गये टैंकों तथा अन्य सामग्री का प्रदर्शन	Displaying of Captured Tanks and other Articles at Bibekananda Mela near Suri, West Bengal .	31–32

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5155	आसाम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा में आयुध कारखाने	Ordnance Factories in Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura . .	32
5156	भारत और चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों के बीच वार्ता	Talks between Diplomatic Representatives of India and China	32
5157	भारतीय नौसेना द्वारा पकड़े गये पाकिस्तानी लड़ाकू जहाजों को बंगला देश को सौंपना	Handing Over of Pakistani Fighters captured by Indian Navy to Bangladesh . .	32
5158	'टेल्को', जमशेदपुर में भर्ती सम्बन्धी नीति	Recruitment Policy in TELCO, Jamshedpur. . . .	33
5159	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilisers .	33
5160	हिन्द महासागर में ब्रिटेन और अमरीका की सैनिक तैयारियां	Anglo-American Build up in Indian Ocean . . .	33-34
5161	बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों की धमन भट्टियों को चालू करने के बारे में रूस से प्राप्त परामर्श	Advice from U. S. S. R. regarding Commissioning of Blast Furnaces of Bokaro and Bhilai Steel Plants .	34
5162	हड़तालों पर प्रतिबन्ध	Banning of Strikes . . .	34
5163	सोवियत सहयोग से मलंजखंड (मध्य प्रदेश) के उद्योग समूह	Industrial Complex in Malanjkhand (M.P.) with Soviet Collaboration . .	34
5164	बिजली की कमी होने से उद्योगों में श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of Workers in Industries due to Power Shortage	35
5165	राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिये चुना-पत्थर की खरीद	Purchase of Lime Stone for Rourkela Steel Plant .	35
5166	रोडेशिया में बहुसंख्यकों का शासन कायम करने के प्रयास	Efforts to constitute Majority Rule in Rhodesia . . .	35
5167	सरगुजा जिले में एक अन्य एल्यूमिना/ एल्यूमिनियम संयंत्र लगाया जाना	Setting up of another Alumina/ Aluminium Plant in Surguja District	36
5168	नेपाल को दिये गये ऋणों की राशि	Amount of Loans advanced to Nepal	36
5169	आटोमेशन कमेटी की स्थापना	Setting up of a Committee on Automation . . .	36-37
5170	कोयला खान मजदूरों में क्षय रोग	Incidence of T. B. among Coal Mine Workers . . .	37
5171	घायल और विकलांग जवानों को मकान और भूमि की सुविधाएं देना	Facilities of House and Land to wounded and disabled Jawans	37
5172	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार के लिए निपन स्टील, जापान द्वारा संभाव्यता प्रतिवदन तैयार करना	Feasibility Report prepored by Nippon Steel Japan for expansion of T.I.S.C.O. . .	37-38
5173	इस्पात उद्योग में विकास-दर की प्रतिशतता	Percentage of growth in Steel Industry	38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5174	सिक्किम में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने की स्थापना	Setting up of H. M. T. Unit in Sikkim	38
5175	स्कूटरों और ट्रैक्टरों के लिए आशय-पत्र और लाइसेंस जारी करना	Issue of Letter of Intent and Licences for Scooters and Tractors	38–39
5176	रुमानिया के सहयोग से छोटा नागपुर में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना	Setting up of Aluminium Industry in Chhota Nagpur with Rumanian Collaboration	39
5177	उर्दू दैनिक पत्रों द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए द्वितीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Second Wage Board for Working Journalists by Urdu Dailies . .	39
5178	भावनगर मशीन टूल्स के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report regarding Bhavnagar Machine Tools .	39–40
5179	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बढ़ती हुई मांग	Growing Demand of H.M.T. Watches	40
5180	श्रीलंका से भारतीयों की वापसी	Repatriation of Indians from Sri Lanka	40–41
5182	राष्ट्रीयकृत खानों के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए आदिवासियों को मुआवजा देना	Compensation to Adivasis for Land coming within Nationalised Mines . . .	42
5183	हिन्द महासागर में शान्ति बनाये रखने के इच्छुक देश	Countries willing to maintain Peace in Indian Ocean .	42
5185	दण्डकारण्य परियोजना के पुनर्वास कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गये पत्र	Letters written by Rehabliitation Employees Union of Dandakaranya Projects . . .	42–43
5186	दंडकारण्य परियोजना के सिंचाई सर्किल में श्रमिकों की छंटनी और उन्हें पुनः काम पर लगाना	Retrenchment and Reengagement of Workers in Irrigation Circle of Dandakaranya Project	43–44
5188	पाकिस्तान से आये विस्थापितों के दावे	Claims of Refugees from Pakistan	44
5189	जंजीबार जाने वाले भारतीयों के हितों का संरक्षण	Safeguards of interest of Indians going to Zanzibar .	44—45
5190	गुजरात राज्य की इस्पात की आवश्यकता	Steel requirement of Gujarat State	45
5191	दण्डकारण्य परियोजना में कर्मचारियों के क्वार्टर	Staff quarters in Dandakaranya-Project	45
5192	"आर्मी आर्डनेंस कोर" (सेना आयुध कोर) की विघटित/विलय की गई एकीकृत बचाव (साल्वेज) यूनिटों के कर्मचारी	Employees of Disbanded/Merged/Amalgamted Salvage Units of Army Ordnance Corps	45–46
5193	इन्स्पेक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स, उत्तर भारत, आनन्द पर्वत, दिल्ली के प्रशासन अधिकारी द्वारा मनमानी छंटनी	Arbitrarily retrenchment done by Administrative Officer, Inspectorate of General Stores, North India, Anand Parbat, Delhi	46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5194	कानपुर छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Executive Officer and Vice-President of Cantonment Board, Kanpur	46–47
5195	उत्तर पश्चिमी भारत में भारी उद्योग आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to start Heavy Industry in North-West India	47
5196	हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में भू-गर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey regarding setting up of Cement Factory in Bilaspur Region of H.P. .	47
5197	भारतीय क्षेत्र में जासूसी करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अमरीकी जासूसी वायुयानों का उपयोग	Using of U. S. A. Spy Planes by Pakistan for spying in Indian Territory .	48
5198	'राकेट प्रोपेलेंट' तथा विस्फोटक कारखाने का निर्माण और विस्तार	Construction and Expansion of Rocket Propellent and Explosive Factory	48
5199	कोयला खान श्रमिकों को आवास की सुविधाएं	Housing facilities to Coal Mine Labourers	48–49
5200	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में हिन्दी अनुवादक	Hindi Translators in Ministry of Labour and Rehabilitation	49
5201	रक्षा मंत्रालय में हिन्दी अनुवादक/हिन्दी सहायक	Hindi Translators and Assisants in Defence Ministry .	49
5202	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र में पदों का आरक्षण	Reseovation of Posts for S.C./S.T. Candidates in Bokaro Steel Plant .	50
5203	उच्च कार्बन वाले इस्पात का उत्पादन	Production of High Carbon Steel .	50–51
5204	बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदार	Contractors for completing various works of Bokaro Steel Plant	51
5205	विभिन्न सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए परामर्शदात्री सेवा	Consultancy Service to various Public Sector Steel Plants	51
5206	भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत लाये गये सरकारी उपक्रम	Public Sector Undertakings brought within Jurisdiction of Heavy Industry	51–52
5207	भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Bhilai and Bokaro Steel Plants.	52
5208	पाकिस्तान द्वारा 'पिपुल आर्मी' का बनाया जाना	Raising of Peoples Army by Pakistan	52
5209	भारी उद्योग पर व्यय	Expenditure on Heavy Industry	53
5210	महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर काठमांडू जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं देना	Medical and other facilities to Indian pilgrims visiting Kathmandu on Mahashivratri Festival . .	53

अतार० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5211	औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए उपाय	Measures for Improvement in Industrial Relations . .	53–54
5212	गत तीन वर्षों में जारी किये गये पारपत्र	Passports issued during last three years . .	54
5213	केरल का भू-गर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Kerala	54–55
5214	बीड़ी और सिगार अधिनियम, 1966 को लागू करना	Implementation of Bidi and Cigar Act, 1966 . . .	55
5215	विदेशों में रहने वालों की सूची	List of persons living in Foreign Countries	55
5216	राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधीन क्वार्टरों का अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occcupation of Quarters under Rourkela Steel Plant . . .	56
5217	बोगस पार्टियों को इस्पात के कोटे का आबंटन	Allotment of Steel Quota to Bogus Parties . . .	56
5218	निकल परियोजना के मुख्यालय को भुवनेश्वर स्थानान्तरित करना	Shifting of Nickel Project Head Office to Bhubaneshwar .	56–57
5219	भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अधिगृहीत भूमि	Land acquired for Bhilai Steel Plant	57
5220	भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को छुटटी-यात्रा रियायत	Leave Travel Concession to Workers of Bhilai Steel Plant	57–58
5221	भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों और श्रमिकों को सवारी भत्ता	Conveyance allowance to officers and workers of Bhilai Steel Plant	58
5222	माना शिविर में शरणार्थी	Refugees in Mana Camp . .	59
5223	दण्डकारण्य परियोजना में बसे परिवार	Families settled in Dandakaranya Project	60
5224	मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी को हाथ में लेने के सम्बन्ध में केन्द्र से परामर्श	Consultation with Centre regarding Take Over of Madras Aluminium Company	60
5225	सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायक्साइड प्लांट की स्थापना	Setting up of Electrolytic Manganese Dioxide Plant in Public Sector . . .	61
5226	सिधी जिला (मध्य प्रदेश) का वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण	Aero-magnetic survey of Sidhi District (M.P.) . . .	61
5227	मध्य प्रदेश में बढ़िया किस्म (हाई ग्रेड) के बाक्साइट के निक्षेप	Deposits of High Grade Bauxite in Madhya Pradesh . .	61–62
5228	सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा सुरंगे बिछाने का कार्य	Mine Laying Operations by Pakistan on Border Areas .	62
5229	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के उत्पादन में कमी	Decline in Production of I.I.S.Co.	63
5230	कर्मचारियों की सुरक्षा . .	Safety of Workers	63—64

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5231	रक्षा विभाग को कच्चा माल सप्लाई करने वालों को वित्तीय सहायता	Financial help to Suppliers of Raw material to Defence Department. . . .	64
5232	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में दिया गया तकनीकी सहयोग	Technical Co-operation provided under I. T. E. C. Programme during 1971-72. .	64–65
5233	कुटीर उद्योग से खरीदा गया माल	Purchases made from Cottage Industries	65
5234	श्रमिकों को जीवनोपयोगी बुनियादी आवश्यकताएं जुटाने के लिए कानून	Legislation to provide Necessities of life to Workers . .	65
5235	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हुई हानि	Loss incurred by H. S. Ltd. .	65–66
5236	पूर्ति विभाग में हिन्दी अनुवादक	Hindi Translators in Deptt. of Supply	66
5237	इस्पात और खान मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी सहायकों के वेतन-मान	Pay Scales of Hindi Translators/ Hindi Assistants in Ministry of Steel and Mines . .	66–67
5238	पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases in Department of Supply . . .	67
5239	सशस्त्र सेना के जवानों का अनिवार्य बीमा	Compulsory Insurance for Jawans of Armed Forces .	67
5240	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बिना काटे और बिना तराशे हीरों का विक्रय	Sale of Uncut and Unfinished Diamonds by N. M. D. C. Limited	67–68
5241	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की हीरा खनन परियोजना को हानि	Loss incurred by Diamond Mining Project of N. M. D. C. Limited	68
5242	कुछ भारी उद्योगों में संतोषजनक उत्पादन	Encouraging Production in some Heavy Industries . .	69
5243	रडार उपकरणों में आत्म-निर्भरता	Self-Sufficiency in Radar Equipment . . .	69
5244	हिन्द महासागर के बारे में संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति में भारत की भूमिका	India's Role in U. N. ad hoc Committee on Indian Ocean	70
5245	मलयेशिया में राष्ट्रपति गिरि के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह का पाकिस्तानी राजनयिक द्वारा बहिष्कार	Boycott of Welcome Ceremony Extended to President Giri in Malaysia by Pakistan Diplomat	70
5246	मध्य प्रदेश की कोयला खानों में गोली कांड	Firing in Coal Mines in Madhya Pradesh	70
5247	गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Gujarat	70–71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5248	मध्य प्रदेश की चीनी मिलों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	E. P. F. Arrears with Sugar Mills in Madhya Pradesh	71
5249	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का कोयला खानों के प्रबन्ध, उसके उत्पादन और बिक्री पर प्रभाव	Impact of Nationalisation of Coal Mines on Management and Production and Sale of Coal	71–72
5250	नारंग डिवीजन, पूर्वी कमांड, के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सुविधायें	Facilities to Class IV Employees of Narang Division, Eastern Command	72
5252	भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के श्रमिकों के वेतनमान	Pay Scales of Workers of Bhilai and Rourkela Steel Plants .	72–73
5253	मैसर्स भिलाई कंस्ट्रक्शन कम्पनी और सट्रल सिंडीकेट इंजीनियरिंग कम्पनी के श्रमिकों को देय राशि	Dues of workers belonging to M/s. Bhilai Construction Company and Central Syndicate Engineering Company	73
5254	धनबाद की रिफ्रैक्टरियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना	Coverage under E. P. F. of Refractories in Dhanbad	73–74
5255	मैसर्स क्रेस्टीन माइका इंडस्ट्रीज लिमिटड, डाकखाना डोमचंच, हजारीबाग को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना	Coverage under E. P. F. of M/s. Chrestien Mica Industries Limited, P. O. Domchanch, Hazaribagh .	74
5256	हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाये रखना	Maintenance of Indian Ocean as Zone of peace.	74
5257	दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में अकुशलता और भ्रष्टाचार	Inefficiency and corruption in Employment Exchanges in Delhi	75
5258	इण्डिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड, सहारनपुर के कर्मचारियों को बोनस देना	Payment of Bonus to workers of India Tobacco Company Limited, Saharanpur	75
5259	भारतीय वायुसेना के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आयात	Unauthorised imports by Indian Air Force Officers .	75–76
5260	कोयला खानों के सरकारीकरण के बाद साफ्ट कोक के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of soft coke after take over	76
5261	पश्चिम बंगाल में रशोंजा गांव (24-परगना) के परिवारों को उनकी भूमि के लिए मुआवजा देना	Compensation to families of Rashaunja Village (24-Parganas) for their land . .	76–77
5262	खेतड़ी तांबा परियोजना के पूरा होने में विलम्ब	Delay in completion of Khetri Copper Project . . .	77
5263	सरकारी क्षेत्र में नये मैंगनीज अयस्क संयंत्र की स्थापना	Setting up new Manganese Ore Plant in Public Sector .	77

1B—6 L.S.S./73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5264	सेना में अधिकारियों तथा "अन्य रैंकों" के बीच विषमता	Disparities between officers and other ranks of army . .	77–78
5265	भारत-पाक सीमावर्ती सड़कों का काम पूरा करना	Completion of Indo-Pak Border Roads . . .	78
5266	भारत द्वारा पकड़े गये पाकिस्तानी शस्त्रास्त्र और पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय शस्त्रास्त्र	Pakistani arms captured by India and Indian arms captured by Pakistan . .	78
5267	सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को सुविधाएं	Facilities provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students by Sainik Schools .	78
5268	हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा ट्रकों और मोटरों के रेसिलियेन्ट गियर व्हील का निर्माण	Manufacture of Resilient Gear Wheel for Trucks and Motors by H.E. L., Bhopal, . .	78–79
5269	भारत और कोरिया में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग सम्बन्धी अन्तर-सरकारी संयुक्त समिति	Inter-Governmental Joint Committee or Economic and Technical Co-operation between India and Korea .	79
5270	सीमा सड़क निर्माण कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Border Roads Construction programme .	79
5271	पाकिस्तान और अन्य देशों से आये विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from Pakistan and other Countries . . .	79–80
5272	मजूरी बोर्ड . . .	Wage Boards . . .	80
5273	बंगलौर में स्वचालित इस्पात ट्यूब कारखाना	Automatic Steel Tube Factory in Bangalore . . .	80
5274	मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कोयला खान श्रमिक संघ का अभ्यावेदन	Representation of Coal Mine Workers Union, Chindwara District, Madhya Pradesh .	81
5275	मध्य प्रदेश की कोयला खानों में ठेके पर काम करने वाले श्रमिक	Contract Labour in Coal Mines in Madhya Pradesh . . .	81
5276	स्वदेश प्रिंटिंग प्रैस, ग्वालियर	Swadesh Printing Press, Gwalior	81
5277	श्री लंका में भारत मूलक बागान श्रमिकों के साथ भेदभाव	Discrimination against Plantation Labour of Indian Origin in Shri Lanka . .	82
5278	माना शिविर के ड्राइवरों को समयोपरि भत्ता	Overtime to Drivers in Mana Camp	82
5279	स्टाफ वैलफेयर एसोसिएशन, माना शिविर	Staff Welfare Association, Mana Camp . . .	82–83
5280	माना शिविर के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representations by Employees of Mana Camp . . .	83
5281	सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग संयंत्रों कि प्रयुक्त उत्पादन क्षमता	Utilised Production Capacity of Public Sector Heavy Industrial Plants . . .	83–84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5282	उड़ीसा में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि में जमा राशि	Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Deposits in Orissa	84
5283	उड़ीसा में खोज कार्य .	Exploration Work in Orissa .	84
5284	उड़ीसा में लौह अयस्क खान मजदूरी के लिए अस्पताल की स्थापना	Setting up of a Hospital for Iron Ore Mine Workers in Orissa	85
5285	'ब्लैक दिसम्बर" संगठन द्वारा हांग-कांग स्थित भारतीय उच्चायुक्त को धमकी	Threat to Indian High Commissioner at Hong Kong by "Black December" Organisation	85
5286	विमान यात्रा के दौरान चीनी नागरिकों को भारतीय शहरों में घूमने और ठहरने की अनुमति	Permission to Chinese Citizend to visit Indian Cities for Stay during Flights .	85–86
5287	उड़ीसा में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजूरी का बढ़ाया जाना	Raising of Minimum Wages for Agricultural Workers in Orissa	86
5288	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों को शामिल करना	Coverage of Non-Teaching Staff of Universities under the Industrial Disputes Act, 1947	86
5289	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर का विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal to Expand M.A.M.C. Durgapur	86–87
5290	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के कर्मचारियों को आवास	Accommodation to Employees M. A. M. C. Ltd., Durgapur	87
5291	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ; दुर्गापुर को हुआ घाटा	Loss incurred by M.A.M.C., Durgapur	87–88
5292	संगणकों का लगाया जाना. .	Installation of Computers .	88
5293	आगामी तीन वर्षों में ट्रैक्टरों की मांग	Tractor Requirements in Next three Years . . .	88–89
5294	श्रमिक विवादों को निपटाने के बारे में दिये गये सुझाव	Suggestions made regarding Handling of Labour Disputes	89
5295	लीबिया के यात्री विमान को मार गिराने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जांच	U. N. Investigations into Shoot-ting of Libyan Passenger Plane	89–90
5296	विदेश मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी सहायकों की संख्या और वेतन-मान	Number and Pay Scales of Hindi Translators/Hindi Assistants in Ministry of External Affairs	90
5297	मैसर्स बिहार घी ट्रेडिंग लिमिटेड, रोशरा को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना	Coverage of M/s. Bihar Ghee Trading Limited, Roshra under E. P. F. Act . .	90–91

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5298	बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सैंड लीज का न दिया जाना	Bihar Government's refusal to give Sand Lease to N.C.D.C.	91
5299	वियतनाम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on Vietnam .	91
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	रूस द्वारा पाकिस्तान को 'कोमार' प्रक्षेपणास्त्रों से युक्त नौसैनिक नौकाएं सप्लाई करने का कथित सौदा—	Reported Deal for supply of naval boats fitted with 'Komar' missiles by U.S.S.R. to Pakistan— . . .	
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी :	Shri Atal Bihari Vajpayee .	92
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	92–93
	सभा पटल पर रख गये पत्र	Papers Laid on the Table .	94–95
	राज्य सभा से संदश	Messages from Rajya Sabha .	95
	इस्पात मिलों के लिए अर्जित भूमि स विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार दने के बार म 8 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 250 dated 8th March, 1973 Re. Employment of Persons displaced from lands acquired for Steel Mills . . .	95
	समिती के लिए निर्वाचन—	Election to Committee—	
	राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee for N.C.C.	95–96
	तिसर वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे म	Re. Report of Third Pay Commission .	96
	जे० के० मिल्स, कानपुर म हड़ताल के बारे में	Re. Strike in J.K. Mills, Kanpur	96
	अनुदानों की मांगें 1973–74,–	Demands for Grants, 1973-74—	
	गृह मंत्रालय—	Ministry of Home Affairs—	
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	97–98
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . .	98
	श्री श्यामनंदन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	98–99
	श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda .	99–100
	श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C. T. Dhandapani .	100–101
	श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip . .	101–102
	प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	102–103
	श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal . .	103
	श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri V. K. Krishna Menon	103–104

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	104-105
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat .	105
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari .	106
श्री इब्राहिम सुलेमान सैत	Shri Ebrahim Sulaiman Siat	106-108
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . . .	108-111
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup .	113
श्री ज्योतिर्मय बसू	Shri Jyotirmoy Bosu .	113-114
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee .	114-115
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya .	115
श्री रामसहाय पांडे	Shri R. S. Pandey .	115
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey .	115-116
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	116
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	116-118
मनीपुर बजट, 1973–74—प्रस्तुत किया गया	Manipur Budget, 1973-74— *Presented.*	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh .	112-113

1C—6 L. S. S· /73

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 29 मार्च, 1973/ 8 चैत्र, 1895 (शक)
Thursday, March 29, 1973/ Chaitra 8, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत
WELCOME TO G D R PARLIAMENTARY DELIGATION

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ओर से और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा कर रहे पीपल्स चेम्बर आफ दी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अध्यक्ष महामहिम श्री गेरल्ड गोटिंग और श्रीमती गोटिंग और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संसदीय शिष्ट मण्डल का सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करता हूँ।

दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनैतिक संबंधों की स्थापना के पश्चात जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संसदीय शिष्ट मंडल की भारत की यह पहली यात्रा है। हमें विशेष प्रसन्नता है कि उक्त शिष्टमंडल का नेतृत्व स्वयं महामहिम श्री गोटिंग कर रहे हैं जोकि एक प्रसिद्ध पीठासीन अधिकारी हैं।

शिष्ट मंडल आज प्रात: भारत आया है और 11 दिन तक भारत में रहेगा। इस समय वे विशेष दीर्घा में बैठे हैं। उनके द्वारा हम अपनी शुभकामनाएं उनके महान देश के राष्ट्रपति, संसद्, सरकार और जनता को भेजते हैं। हम उनकी प्रसन्नता, शान्ति और समृद्धि की कामना करते हैं।

मुझे विश्वास है कि जहां जहां भी वे लोग जायंगे उनका हार्दिक स्वागत होगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और युगोस्लाविया के बीच श्रमिक संघ आन्दोलन के क्षेत्र में अधिक घनिष्ठ सहयोग

* 521. † **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया के श्रमिक संघ आन्दोलनों में द्विपक्षीय सहयोग की गुंजाइश है; और

(ख) क्या भारत में भिन्न भिन्न सिद्धान्तों वाले अनेक श्रमिक संगठनों का होना दोनों देशों में आपसी सहयोग के मार्ग में एक बाधा है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : भारत के ट्रेड युनियन संगठनों को, दौरों का आदान-प्रदान करने और अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने के माध्यम द्वारा अन्य देशों में अपने प्रतिस्थानियों से, युगोस्लाविया सहित, सम्पर्क स्थापित करने की स्वतंत्रता है। संबंधित संगठनों के बीच पहले ही इस प्रकार का द्विप ीय सहयोग विद्यमान है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या युगोस्लाविया के श्रमिक नेताओं के दल ने भारत यात्रा की थी और वे लोग भारत के प्रधान मंत्री और श्रम मंत्री से मिले थे। और यदि हां तो भारत और युगोस्लाविया के श्रमिक आन्दोलनों के बीच घनिष्ठ सहयोग के बारे में किन-किन मामलों पर चर्चा की गई थी?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हमें पता चला है कि अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की 20 जनवरी से 4 फरवरी, 1973 तक कलकत्ता में हुई 29 वीं कांग्रेस में भाग लेने के लिए युगोस्लाविया से एक शिष्ट मंडल को आमंत्रित किया गया था। मुझे यह भी पता चला है कि वे श्रम मंत्री खाडिलकर से 5 फरवरी, 1973 को मिले थे। युगोस्लाविया और भारत के मध्य अत्यन्त मैत्रीपूर्ण संबंध है अतएव अवश्य ही मैत्री पूर्ण बातचीत हुई होगी।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : किन विषयों पर बातचीत हुई थी?

श्री रघुनाथ रेड्डी । इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : वह कह रहे हैं "हमें इसकी जानकारी मिली है", "मुझे पता चला है" आदि। उत्तरों का यह ढंग नहीं होना चाहिए।

Mr. Speaker : The Hon. Members have not asked for any specific matter. The Hon. Members may please try to ask supplementaries on the basis of main question.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि किन मामलों पर बतचीत हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दल की यात्रा के पश्चात् सरकार के पास किसी मुख्य श्रमिक संगठन की और से युगोस्लाविया और भारत के मध्य घनिष्ट सहयोग के बारे में सुझाव आया है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि युगोस्लाविया में सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध कार्यों में भाग लेना अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ है, क्या सरकार भारत में भी वैसी ही प्रबन्ध संबंधी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है अथवा क्या कार्यवाही की गई है और उसका ब्यौरा क्या है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं युगोस्लाविया में प्रबंध और अन्य मामलों में कर्मचारियों द्वारा भाग लिये जाने का स्वयं अध्ययन कर रहा हूँ।

श्री एस० बी० गिरि : देश में श्रमिकों की समस्याओं पर बातचीत करते समय सरकार को तीन मुख्य श्रमिक संगठनों से व्यवहार करना पड़ता है। दुर्भावना समाप्त कर मनमुटाव दूर करके स्वस्थ्य और सफल औद्योगिक संबंधों को स्थापित करने के लिए क्या सरकार एक ही संगठन को मान्यता देना चाहती है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि युगोस्लाविया के श्रमिक नेताओं ने अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की सभा में भाग लिया तथा वे तत्कालिन श्रम मंत्री श्री खाडिलकर से भी मिले थे। क्या अन्य श्रम संगठनों जिनमें 'इन्टक' 'सीटू' और 'एच० एम० एस०' भी सम्मिलित हैं के भारत और चीन के श्रमिक संगठनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आईटक सम्मेलन में भाग लेने के लिये आया शिष्ट मंडल 'इन्टक' के नेताओं से मिला था। यह मैत्रीपूर्ण निमंत्रण था। 1969 में युगोस्लाविया के प्रमुख श्रमिक नेता जिनमें युगोस्लाविया के श्रमिक नेताओं की कन्फेडरेशन के प्रसिडेन्ट भी थे 'इन्टक' के निमंत्रण पर भारत आए थे। एच० एम० एस० के एक श्रमिक नेता 1968 में बेलग्रेड में श्रमिक नेताओं के संगठन में भाग लेने गये थे। जहां तक भारत और चीन के श्रमिक संगठनों के संबंधों का प्रश्न है, जहां तक मुझे पता है ऐसे कोई संबंध नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : भारत और युगोस्लाविया के श्रमिक आंदोलनों में एक चीज एकसी है वह है श्रमिकों का प्रबन्ध कार्य में भाग लेना। युगोस्लाविया में लक्ष्य और उपलब्धियां के बारे में कर्मचारी निश्चय करते है जबकि भारत में अधिकारी गण उनकी ओर से निर्णय करते हैं। क्या सरकार इस पद्धति को बदलना चाहती है, यदि हां, तो मंत्री महोदय इस प्रश्न का अध्ययन कब करेंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं कुछ समय से इसका अध्ययन कर रहा हूँ, अब मैं सक्रिय रूप इसका अध्ययन कर रहा हूँ।

श्री भागवत झा आजाद : इससे मंत्री महोदय के इरादे के बारे में पता चलता है।

Supply of Coal to Brick and Tile Bakers

***522. Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the brick and tile bakers were being supplied coal before nationalisation of coal mines;

(b) whether the supply of coal to them has not been stopped; and

(c) if so, the reasons therefor?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know how much coal used to be supplied to the brick and tile manufacturers prior to nationalization?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक ईंटे पकाने का संबंध है उनका राज्यवार ब्यौरा देना संभव नहीं है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को उसके पहले और बाद के आंकड़े दे सकता हूँ। नवम्बर, 1972 में 4,198 वैगन आबंटित किये गये और 4,110 का लदान हुआ; दिसम्बर, 1972 में 4,383 आबंटित किए गये जबकि लदान 4,464 का हुआ। जनवरी में 6,742 वैगनों का आबंटन किया गया जबकि लदान 3,689 का हुआ। फरवरी में 4,641 आबंटित किए गये और 2,716 का लदान हुआ। मार्च में हम प्रतिदिन औसतन लगभग 250 वैगन देने की आशा रखते है। इसमें निश्चित सुधार हुआ है।

Shri Dhan Shah Pradhan : In allotment of coal to Madhya Pradesh how much reduction has been made and how much increase the Madhya Pradesh Government has demanded?

Mr. Speaker : This is a general question. You did not ask for a particular State. If he has got the information I have no objection.

Shri Dhan Shah Pradhan : Mr. Speaker, I want to know that arrangements are being made to resume the supply of coal to the bricks, khapreil manufacturers after the rains and at what rates it will be supplied. The small brick kilns without chimneys are lying idle without coal. When would you arrange to issue coal to them as the industry is closed.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि कोई अन्य प्रश्न पूछे क्योंकि विभिन्न उद्योगों के बार में राज्यवार स्थिति की जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरे पास ईंटें पकाने वाले उद्योग के समग्र रूप से दिये गये कोयले के आंकड़े है। यदि वह उनकी अलग अलग जानकारी चाहते हैं तो मैं निश्चय उनको दे दूंगा।

Shri Achal Singh : May I know by when shortage of soft coke and steam coke throughout India continuing for the last one year would be met so that brick and kiln industry and the common people may get relief ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : क्योंकि यह प्रश्न ईंटें पकामेवाले उद्योग के लिए कोयले के बारे में है। वह कोई अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या यह सच है कि ईंटें और टाइलें पकाने वालों को स्लैक कोयले की आवश्यकता होती है और यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा स्लैक कोयला किसी क्षेत्र से बाहर ले जाने पर कोई पाबंदी है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। परन्तु जहा तक ईंटे और टाइलें पकाने वाले उद्योगों का संबंध है, स्वभावत: प्राथमिकता बिजली घरों, इस्पात संयंत्रों और अन्य प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं के पश्चात् ही मिलती है।

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister allots coal to various States and fixes its prices. Is there any proposal to give priority to the co-operative societies manufacturing coal and tiles? Have you at present some arrangements to give preference to co-operative societies as against the individual users?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, वे हर एक राज्य के लिए ढुलाई व्यय के अनुसार अलग अलग होगा। परन्तु कोयला खान अधिकरणों और भारत कोकिंग कोल की ओर से मूल्य स्थिर रखे गये हैं। जहां तक सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का प्रश्न है मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारा प्रयत्न यही होता है कि ईंटें बनाने वाले उद्योगों को हम जितना भी कोयला दे सके दें।

Shri Awdesh Chandra Singh : The hon. Minister has just stated that they have supplied 4,000 wagons of coal but they could not be loaded. I want to know who is at fault whether it is the Railway department or the loaders. The prices of bricks are going high. The brick kiln owners have to do their work by purchasing coal at black market. I want to know whether it is a fact the prices of bricks are increasing day by day on account of shortage of coal?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक विशेष रूप से फरवरी के महीने में वैगनों के पर्याप्त मात्रा में लदान करने का प्रश्न है, ऐसा सरकार द्वारा खानों को नियंत्रण में लेने के बाद बुक करने की नई प्रणाली आरम्भ करने के कारण हुआ। नये संगठन के हितों की रक्षा के लिये उक्त प्रणाली का आरम्भ किया जाना आवश्यक था। फरवरी के महीने के दौरान उपभोक्ताओं को नई प्रणाली की जानकारी होने के साथ साथ स्थिति में मार्च तक भारी सुधार हुआ है और आशा है अप्रैल–मई में स्थिति गत वर्ष की तुलना में अच्छी होगी। हमारे प्रयास से लदान की क्षमता प्रतिदिन 400 वेगन तक पहुंच जायेगी और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि ईंटों के भट्टे के लिये मार्च से जून महत्वपूर्ण मौसम है।

श्री डी० एन० तिवारी : सरकार द्वारा कोयला खानों को नियंत्रण में लेने से पूर्व कोयला खाने भट्टी मालिकों को चोरी छिपे कोयला बेच रही थीं और कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई। अत: भट्टी मालिकों को अपना कोटा मिल रहा था लेकिन अब सरकार द्वारा कोयला खानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद भट्टी मालिकों को केवल 3 से 4 प्रतिशत कोयले की सप्लाई की गई।

क्या सरकार भट्टी मालिकों और लघु उद्योगपतियों के कोटे में वृद्धि करने पर विचार कर रही है जिससे उन्हें सरकारी तौर पर पूरा कोटा मिल सके? जैसा मैंने पहले बताया कि वे कोयला इसलिए प्राप्त कर रहे थे क्योंकि कोयला खाने इसको नहीं दिखाती थीं। ईंटे पकाने के लिये हमें बिहार में भी कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि बिहार में बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हमें समस्या की जानकारी है जहां तक बैगनों के भेजे जाने का संबंध है, समस्या उत्पन्न नहीं होती क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है अधिकांश अवैध उत्पादन ट्रकों द्वारा भेजा गया था। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रक से भेजने के लिये कोयले की उपलब्धता को बढाएं जिससे अवैध उत्पादन को बैध रूप से प्राप्त कर बैध किया जा सके।

श्री मानसिंह भौरा : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में कुछ ईंटे 51 रुपये प्रति हज़ार बेची जाती हैं और कुछ ईंटे 100 रुपये प्रति हजार से अधिक मूल्य पर बेची जाती है क्या यह 50 रुपये प्रति हज़ार का अन्तर कोयले को कालाबाजार में बेचने के परिणामस्वरूप है और क्या सरकार इस मामले में जांच करेंगी क्योंकि 50 रुपये प्रति हजार का अन्तर बहुत अधिक है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जब देश में किसी वस्तु की कमी होती है तो लोगों में उस वस्तु की बिक्री से अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है। सरकार इसकी सप्लाई बढ़ाने, परिवहन व्यवस्था में सुधार करने और इस प्रकार इस कोयले का मूल्य कम करने का प्रयास कर रही है। मेरे विचार से इस बारे में जांच करने से कोई उचित लाभ नहीं होगा क्योंकि जांच करने से भट्टे के मालिकों को कोयला उचित मूल्य पर नहीं मिलेगा। सप्लाई में वृद्धि करने से ही उक्त उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

युगांडा से निकाले गए भारतीयों की परिसम्पत्तियों को प्राप्त करना

*525. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि युगांडा में भारत मूलक निवासियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के संबंध में वहां की सरकार के साथ बातचीत करता रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस देश में वापस आये युगांड़ा के भारत मूलक व्यक्तियों के संबंध में उसी प्रकार की बातचीत के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि वहां भेजने का है ; और

(ग) बाध्य होकर अपनी परिसम्पत्तियों वहां छोड़ने वाले भारतीय की परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिये सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि यू० के० पासपोर्ट धारकों द्वारा छोड़ी गई परिसम्पत्तियों के संबंध में यू० के० सरकार उगांडा सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

(ख) और (ग) : जैसा कि सदन को मालूम है उगांडा से निकाले हुए भारतीयों की छोडी हुई परिसम्पत्तियों के समुचित निपटारे के लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किया है और कर रही है। इसमें विशेष प्रतिनिधि का उगांडा भेजना भी शामिल है। इन्हें जब्त करने के मामलों में कुछ आश्वासनों के अलावा उगांडा सरकार ने इस संबंध में अब तक अपनी कोई नीति निर्धारित

नहीं की है। सरकार राजनयिक सूत्रों के माध्यम से उगांडा प्राधिकारियों से बराबर सम्पर्क में है और इससे यदि किसी मतलब के नतीजे का अनुकूल संकेत मिलेगा तो वह एक विशेष प्रतिनिधि भी भेजने को तैयार है।

श्री डी० डी० देसाई : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक गोष्टी की कार्यवाही में यह उल्लेख किया गया था कि विदेशों में भारतीयों को बहुत परेशान किया जाता है। यदि हां तो क्या भारत के स्वतंत्र होने के बाद सरकार इस बारे में जांच कराने अथवा इन समस्याओं की जांच करने के लिये कोई आयोग नियुक्त करने पर विचार करेंगी ? हमें पता लगा है कि वास्तव में 1950 में भारतीयों को परेशान नहीं किया जाता था बल्कि उनका स्वागत किया जाता था। इसके बाद क्या हो गया है और इस दिशा में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : माननीय सदस्य ने विदेशों में स्थित भारतीयों के बारे में बहुत व्यापक प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न उन भारतीयों के बारे में है जो युगांडा में अपनी परिसम्पत्तियों छोड़ आये थे। अतः यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जहां तक विदेशों में स्थित सब भारतीयों का संबंध है सभा को भारत सरकार द्वारा विदेशों में स्थित भारतीयों के हितों की रक्षा के बारे में समय समय पर सूचित कर दिया जाता है। माननीय सदस्य का यह कहना उचित नहीं है कि विश्व में सब जगह भारतीयों को परेशान किया जा रहा है। वास्तव में उनके रास्ते में कुछ कठिनाइयां आई हैं और उन कठिनाइयों के बारे में हमने उनकी सहायता करने का भरसक प्रयत्न किया है। लेकिन किसी विदेशी सरकार ने उन्हें परेशान करने अथवा उन्हें बाहर निकालने का जानबूझकर प्रयास नहीं किया है।

श्री डी० डी० देसाई : मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है । मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ।। हाल ही में संवैधानिक और संसदीय कार्य संस्थान की एक गोष्टी में यह उल्लेख किया गया था कि विश्व में विदेशों में स्थित भारतीयों को बहुत परेशान किया जाता है मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा गोष्टी में कहा गया था।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : युगांडा सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस मामले को हल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमारा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि हमारा विश्वास दोनों पक्षों द्वारा विचार विमर्श से इस मामले को हल करने का है।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि युगांडा से आये ऐसे बहुत से भारतीय हैं जो अभी भी अपने देश में वहां से जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान लाये थे, लाने में सफल नहीं हुए हैं।

उन लोगों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जो सामान वो अपने साथ लाये हैं उसके बारे में कोई कठिनाई नहीं है। युगाण्डा से सामान निकालने के बारे में कुछ कठिनाई हो सकती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हैं। यदि इस बारे में हम कुछ कर सके तो हम अवश्य करेंगे।

सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्रों में इस्पात के कारखाने

*526. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने और कौन कौन से इस्पात के कारखाने हैं ;

(ख) उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक में गत तीन वर्षों में वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में इस्पात के 5 बड़े कारखाने हैं अर्थात् भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि० और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं जबकि टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० निजी क्षेत्र में है। इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध सरकार ने 14 जुलाई, 1972 को अपने हाथ में लिया था।

निम्नलिखित तालिका में वार्षिक क्षमता तथा वर्ष 1969-70 और 1971-72 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन तथा वर्ष 1972-73 में अनुमानित उत्पादन दिखाया गया है।

उत्पादन—इस्पात पिण्ड

(हजार टन)

	वार्षिक क्षमता	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 (अनुमानित)
भिलाई . .	2500	1859	1940	1953	2120
दुर्गापुर .	1600	818	634	700	714
राउरकेला . .	1800	1104	1038	823	1177
जोड़ हिन्दुस्तान स्टील लि०	5900	3781	3612	3476	4011
टिस्को . .	2000	1708	1715	1708	1710
इस्को . .	1000	700	627	617	453
कुल जोड़ .	8900	6189	5954	5801	6174

श्री डी० पी० जदेजा : उन्होंने वर्ष 1968-69 के आंकड़े नहीं दिये हैं। अन्य आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रति वर्ष उत्पादन में धीरे धीरे कमी हो रही है। सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि उक्त संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम करें।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं माननीय सदस्य से आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का अनुरोध करूंगा। गत वर्षों में उत्पादन में कमी हुई है लेकिन इस वर्ष उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। इंडियन आयरन को छोड़कर 1970–71 और 1972–73 में उत्पादन अधिक रहा है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में 1972–73 में गत वर्षों की तुलना में जिसमें वर्ष 1969–70 भी शामिल है, रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है। मैं यह नहीं कहता कि स्थिति पूर्णतया संतोषजनक है लेकिन इससे यह विदित होता है कि अगामी वर्ष में उत्पादन में सुधार होगा। इस बारे में किये गये उपायों को मैं दोहराऊंगा नहीं। रखरखाव के बारे में किये गये सुधारों के परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। भट्टी की विशेष रूप से मरम्मत, गैस उपलब्धता के लिये वैकल्पिक ईंधन संसाधनों को बढाने के लिये कुछ भट्टियों में आयल फाईरिंग तेजी से पूंजी लगाना और मरम्मत जैसे कार्यक्रमों से हमें आशा है कि 1972–73 में उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति आयेगी।

श्री डी० पी० जदेजा : आपने नये संयंत्रों की स्थापना के बारे में उल्लेख किया है। उनकी स्थापना किन किन स्थानों पर की जायेगी? उनकी स्थापना कौन करेगा ; इस मामले में कौन कौन से देश सहयोग दे रहे हैं?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सदन को सेलम में एक विशेष इस्पात संयंत्र आरम्भ करने और विशाखापट्टनम् और विजयनगर में इस्पात संयंत्र आरम्भ करने की जानकारी है। और इन संयंत्रों के बारे में किसी देश से भी सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सेलम में विशेष इस्पात के उत्पादन के बारे में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है लेकिन इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी लेना बाकी है।

श्री के० माल्लना : माननीय मंत्री ने नये संयंत्र आरम्भ करने का उल्लेख किया है। वे उत्पादन कार्य कब आरम्भ कर देंगे? संयंत्रों की पूरा होने के बाद उत्पादन क्षमता कितनी होगी?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सरकार के लिये यह वचन देना कठिन है कि विशाखापटनम और विजयनगर में स्थापित नये संयंत्र कब उत्पादन की स्थिति में होंगे। इसका कारण यह है कि हम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लें रहे हैं और आशा है उक्त संयंत्र 1979–80 में अपना काम करना आरम्भ कर देंगे। जहां तक संयंत्र के आकार का प्रश्न है, धमन भट्टी के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है कि उक्त भट्टी 2,000 क्यूबिक मीटर अथवा 2,700 क्यूबिक मीटर की होगी। जैसाकि हमें विश्वास है उसका आकार 2,000 क्यूबिक मीटर होगा और संयंत्र की उत्पादन क्षमता 2.25 से 3.00 लाख टन होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : दुर्गापुर के बारे में 16 लाख टन के आंकड़े दिये गये हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि उक्त क्षमता का निर्णय किसने किया था और क्या नये कार्यक्षम इस्पात मंत्री ने इस बारे में कोई अध्ययन किया था कि क्या दुर्गापुर के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी से 16 लाख टन क्षमता प्राप्त करना सम्भव होगा। क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कर्मचारी संघ ने, जो मान्यताप्राप्त संघ है, कर्मचारियों की सलाह से उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कुछ तरीकों का सुझाव दिया है और इस बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो इस बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक दुर्गापुर संयंत्र की क्षमता का प्रश्न है माननीय सदस्य को विदित है कि संयंत्र की स्थापना के समय 10 लाख इस्पात पिण्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और जब इसके विस्तार करने पर विचार किया गया तो जो व्यक्ति इसके विस्तार और इसके आरम्भ करने के लिये जिम्मेवार थे उन्होंने बताया कि उक्त विस्तार 16 लाख टन उत्पादन के लिये पर्याप्त है। लेकिन हिन्दुस्तान स्टील के इन सब संयंत्रों में प्राप्ति लक्ष्य अभी

विचाराधीन है। योजना आयोग की कार्यवाही समिति ने पहले ही सूचित किया है कि भिलाई और रुरकेला मे संतुलित सुविधाएं दी जानी चाहिये जिससे 25लाख तथा 18 लाख की निर्धारित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। जहां तक दुर्गापुर संयंत्र का प्रश्न है कार्यवाही समिति ने स्थिति की अभी तक जांच नहीं की है। किसी भी तरह वर्तमान सम्भावित क्षमता निर्धारित क्षमता की तुलना में कम होगी।

अत: हम इस बात का गम्भीरता से परीक्षण कर रहे हैं कि तीनों संयंत्रों में वास्तविक प्राप्य क्षमता कितनी है और प्राप्य क्षमता को निर्धारित क्षमता स्तर तक लाने के लिये संतुलन करनेवाली कौन सी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : इस्पात का उत्पादन बढाने के लिये मंत्रीमहोदय ने बहुत से सुझाव दिये हैं। क्या यह सच नहीं है कि निष्पादन के प्रति उदासीनता का एक कारण निष्पादन के प्रति प्रबन्ध के उत्तरदायित्व की कमी है और यदि हाँ तो सरकारी उपक्रमों के प्रति इन व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मेरे विचार से जहाँ तक गत दो वर्षों का संबंध है, जो कुछ उन्होंने किया है, उसके लिये हम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते जैसा कि पहले किया जाता था। इसके विपरित उत्तरदायित्व के आधार पर कुछ प्रशासनात्मक पुनर्गठन हुआ है और कुछ ऐसे सुधार हुए हैं जिनसे हमें विश्वास होता है कि आगामी वर्षों में हम प्रगति कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि पांच इस्पात संयंत्रों में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) के अतिरिक्त चार सयंत्र सार्व जनिक क्षेत्र में हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश के हित में टिस्को का अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण कव किया जायेगा।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का अधिग्रहण करने की इस समय कोई सरकारी योजना नहीं है।

Production of Copper

*527 **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state : (a) the production of copper during 1971; and

(b) the estimated production of copper during 1973-74?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1971 के दौरान देश में ताम्र धातु का उत्पादन 9,533 टन था।

(ख) 1973–74 के दौरान ताम्र धातु का अनुमानित उत्पादन 20,000 टन है।

Shri Shiv Kumar Shastri : It is heartening to read the reply that the production of copper is to be more than doubled. May I know the measures being taken for boosting the production, and also the estimated production if full capacity is utilized ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : उत्पादन वृद्धि के लिये हम दो प्रकार के उपाय कर रहे हैं। पहला यह कि हम घाटसिला स्थित भारतीय तांबा उद्योग समूह में केवल स्फरण प्रद्रावकों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं अपितु हमने पुराने परावर्तन भट्टी को भी चालू कर दिया है, और इसलिए घाटसिला में प्रद्रावक क्षमता में वृद्धि हुई है। दूसरे हमें इस वर्ष खेतड़ी तांबा संकेन्द्रक से उत्पादन आरम्भ होने की भी आशा है और खेतड़ी के बने तांबे के दोनों को घाटसिला प्रद्रावक में प्रद्रवण किया जायेगा। हमारे मूल्यांकन का आधार यही है कि हमें 20,000 मीटरी टन उत्पादन की आशा है।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know the total requirement of copper in the country and the time by which it is likely to be met?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है। इसमें काफी समय लगेगा। 20,000 मीटरी टन उत्पादन का लक्ष्य पूरा होने पर भी, आवश्यकता लगभग 1 लाख मीटरी टन की है। परन्तु इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय खेतड़ी के वर्तमान स्तर के बारे में बताऐंगे क्योंकि योजनाओं में संशोधन किया गया है और आपने बताया है कि वहाँ केवल सकेन्द्रक चालू होगा और द्रवण कार्य घाटसिला में किया जायेगा? खेतड़ी प्रद्रवण कब चालू होगा? इसके पुनरीक्षित क्षमता क्या होगी तथा इसमें कितनी पूंजी निवेश होगा।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : खेतड़ी में नियमित उत्पादन प्रद्रवण चालू होने के समय वर्ष 1974–75 में आरम्भ होगा। परन्तु जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है, वर्ष 1973–74 के दौरान जब खेतड़ी की सकेन्द्रक सयंत्र चालू होगा तब वहाँ 8,000 मीटरीटन तांबे के दोनों के उत्पादन की आशा है जिसका प्रद्रवण घाटसिला में होगा। खेतड़ी की प्रगति मेरे विचार से, असन्तोषजनक नहीं है।

मिलिट्री फार्मों/मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस/आर्डिनेंस इन्स्टालेशनों में दैनिक मजूरी पर नियुक्त मजदूर

*528. [illegible] द कछवाय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिट्री फार्मों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस/आर्डिनेंस इन्स्टालेशनों में दैनिक मजूरी पर कितने मजदूर काम करते हैं और वे कब से काम कर रहे हैं?

(ख) क्या 1 कोर ओ० एम० सी० और मिलिट्री फार्मों में अधिकांश मजदूरों ने दैनिक दरों पर मजूरी करते हुए 5 से 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको नियमित करने का है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I am really sorry to say that the Question was asked sufficiently in advance, the Government was given 21 day's time, but the reply is that the information is being collected. The Government is equipped with all the sources, they are in a position to collect the information but they are deliberately avoiding the information.

Mr. Speaker : You have asked about quite a good number of years. The hon. Minister may supply the information at an early date.

श्री जे० बी० पटनायक : बहुत से इस्टालेशन तथा संघटन हैं। अत: जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही जानकारी एकत्र हो जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के आयुध कारखानों के रक्षा उत्पादन में कमी

*529. **श्री एस० एम० बॅनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कटौती के कारण कानपुर सहित उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न आयुध कारखानों में रक्षा उत्पादन में काफी कमी हुई है;

(ख) क्या रक्षा उत्पादन के वृहत हित में पूरी बिजली सप्लाइ करने के लिए मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की गयी है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश में स्थित आयुध कारखानों में विशेष तया कानपुर में स्थित इंजीनियरिंग फैक्टरियों में बिजली की कटौती के कारण उत्पादन में कमी हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां, श्रीमान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की गजेट अधिसूचना संख्या 570 दिनांक 8-2-1973 के अनुसार आयुध कारखानों में बिजली की कटौती की गई थी जिसके अनुसार बिजली की पूर्ति 15 घंटे तक सीमित कर दी गई थी। उसके बाद फरवरी के अन्तिम सप्ताह में सरकार ने 27-2-1973 से ओर आगे कटौती कर दी जिससे आयुध कारखानों में बिजली की पूर्ति 9 घंटों तक कर दी गई ताकि रबी सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज को बिजली उपलब्ध की जा सके। आयुध कारखानों को बिजली कटौती के क्षेत्र में छूट देने का प्रश्न इस मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से उठाया गया था। आयुध कारखानों में बिजली की पूर्ति अब आंशिक रूप से 15 घंटों के लिए कर दी गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : ये रक्षा संस्थान, विशेषतया कानपुर के चार आयुध कारखाने-तथा एक निर्माणाधिन कारखाना-हमारी सेना के लिये आवश्य आधुनिक ढंग के हथियार बना रहे हैं। क्या यह सच है कि यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया, और इसके उपरान्त भी केवल 15 घन्टे बिजली सप्लाई की व्यवस्था की गई है जबकि पहले उन्होंने सप्लाई 15 घंटे से कम करके 9 घंटे कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या प्रक्रिया है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार बिजली की सप्लाई को सामान्य करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया था और उसके परिणामस्वरुप, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है, उहोंने कटौती बन्द कर दी थी। अब एक दिन में 15 घंटे बिजली की सप्लाई है। हमन सरकार से फिर अनुरोध किया है कि वे 15 घंटे की सप्लाई को 16 घंटे कर दे जिस से कि हम कारखानों में 8 घंटे कि दो पारी चला सकें। इस अनुरोध पर वे विचार कर रहे हैं और हमें आशा है कि यह बात मान ली जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि कार्य का समय 7.30 अथवा 8 बजे से आरम्भ होने के बजाय मध्याह्नपूर्व 5 बजे से कर दिया गया है और लोग काम करने के लिये दूर दूर से आते हैं जिसके लिये उन्हें सवेरे 3 बजे जगना पड़ता है। इस बारे में कईबार रिपोर्ट की गई हैं। क्या कारखानों में कार्यका समय इस प्रकार से रखा जायेगा कि कर्मचारियों को असुविधा न हो।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह तो सामान्य कर दिया जाता है। यहां मूल प्रश्न बिजली सप्लाई में कटौती को है। इस पर ध्यान देने के लिये कि बिजली का वितरण उचित रूप में किया जाये, इसके लिये बिजली की अधिकतम खपत के प्रश्न पर विचार करना पड़ता है जिससे कारखानों को बिजली की अपेक्षित सप्लाई की जा सके। अब मुख्य प्रश्न विद्युत प्रजनन संयंत्रों की अधिकतम क्षमता आदि का आता है। क्योंकि कारखानों के कार्य के समय को उसी के अनुकुल व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि कर्मचारियों को कठिनाई होती है। वर्तमान परिस्थिति में, मेरे विचार से इसे दूर नहीं किया जा सकता।

श्री अमृत नहाटा : सरकार ने जब अपना प्रश्न उत्तर प्रदश सरकार के सामने रखा था तब क्या यह भी कहा था कि आयुध कारखानों के लिये तो बिजली की कटौती की जा रही है परन्तु हिन्दातकों के लिये किसी प्रकार की कमी नहीं की जा रही है और वह भी राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम में ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है हमारा संबंध अपनी बिजली सप्लाई से है। अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त और बात हमसे नहीं की।

Shri Narsingh Narayan Panday : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that the Government of Uttar Pradesh are supplying power to certain industrial establishments below the tariff rates and curtailing the power supply to Defence factories which are very important and emergent factories? May I also know whether action will be taken in the matter after obtaining information from Uttar Pradesh?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जानकारी दे चुके हैं यही पर्याप्त है।

राज्यों में अधिक सैनिक स्कूलों का खोला जाना

+

***530. श्री नारायण चन्द पाराशर :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कोई सैनिक स्कूल नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं और क्या इनमें से प्रत्येक राज्य को सरकारने सैनिक स्कूल खोलन के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनुरोधों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर भारत संघ के हरेक राज्य में सैनिक स्कूल स्थापित कर दिए गए है। इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लड़के उनके राज्यों के समीप स्थित स्कूलों में प्रवेश पाने के पात्र हैं। हिमाचल प्रदेश के लड़के सैनिक स्कूल कपूरथला में दाखिल किए जाते हैं और मेघालय से लड़के सैनिक स्कूल गोपालपारा में दाखिल किए जाते हैं। नागालैण्ड, त्रिपुरा, और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के संघ शासित क्षेत्रों से अभ्यर्थी सैनिक स्कूल, इम्फाल में प्रवेश पाने के पात्र हैं।

एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से हाल ही में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। सैनिक स्कूल आरम्भ करने के लिए किसी उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति स्थापित की गई है। स्थल के चयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

श्री नारायण चन्द पाराशर : विवरण में कहा गया है कि सरकार ने एक समिति नियुक्त की है परन्तु इसने अभी अपना प्रतिवेदन नही दिया है। परन्तु समाचारों के अनुसार समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और हमीरपुर जिले क सूरजपुर टीरा में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिये सिफारिश की है। क्या राज्य सरकार से इस संबन्ध में कोई और पत्रव्यवहार हुआ है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह विवरण सभा पटल पर अपने पास प्राप्त अन्तिम जानकारी के आधार पर रखा है, परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने हमें यह बात बताई है, मैं फिर पता लगाऊंगा कि क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो हम फिर आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा मंत्रालय, सैनिक स्कूलों की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि नये खोले जाने वाले सैनिक स्कूलों को अध्यापकों की नियुक्ति आदि के बारे में इस समिति द्वारा किये गये सुझावों का लाभ प्राप्त हो ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति अपना कार्य कर रही है।

Shri Jharkhandey Rai : May I know the Government are thinking of utilising the forts and palaces of the ex-rulers for the purpose of opening Sainik Schools therein?

Shri Vidya Charan Shukla : We can consider it in case we don't get better palaces. If we go for purchasing those palaces or forts, it would benefit those ex-rulers more than us We want such palaces where the work could go on smoothly.

Shri Bibhuti Mishra : Bihar is the second largest State of the country with its population of 2½ crores, but there is no Military School there. Our Defence Minister belongs to Bihar. You should open a school in North Bihar or in Patna, but you must open one. The people there to-day feel that Bihar is being neglected.

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : There is a Sainik School in Bihar but in case the State needs more and fortunately the Chief Minister of Bihar also belongs to hon. Members' district.

Shri Bibhuti Mishra : His in-laws are in Ara.

Shri Jagjiwan Ram : I was saying that in case there is a request from the State Government to open one more school and they ask to locate it at Champaran we would certainly consider that.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या कुछ वर्ष पूर्व निर्धारीती खुराक की मात्रा तथा मुल्य में कोई परिवर्तन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सैनिक स्कूल खोलने के बारे में है खुराक की राशि के बारे में नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि क्या खुराक की राशि के मूल्य में कोई परिवर्तन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये आप अलग से प्रश्न की सूचना दें। अब श्री शंकर दयाल सिंह। आप हर प्रश्न के बारे में अनपूरक प्रश्न पूछने कैसे खड़े हो जाते हैं ?

श्री शंकर दयाल सिंह : मुझे अवसर नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप प्रश्न पूछना चाहते है इसलिये मैं चुप हो जाता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछें।

Shri Shankar Dayal Singh : The schools which have already been opened do not have their buildings. For example the Sainik School at Tilayya in Bihar has no building of its own for the last 10 years, Would that Sainik School continue to run without a building, if not, when would the building of the Sainik School at Tilayya be built. The hon. Defence Minister has himself visited the site.

Shri Vidya Charan Shukla : The buildings for Sainik Schools are built by the State Governments. I would draw their attention in this behalf. We would expedite what the hon. Member has said. I hope his influence would help in getting the building built forthwith.

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या सरकार वर्तमान देश के सैनिक स्कूलों में स्थानों की वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय ऐसा काई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Ram Ratan Sharma : Last year the hon. Defence Minister visited Bandla in U.P. and he had assured to open a Sainik School there. I want to know from him whether he is still firm on his assurance and whether h e would soon implement the scheme for opening the Sainik School?

Shri Jagjiwan Ram : I did so there and the people desired to have a Sainik Schoo there. I had replied that there was already a Sainik School in U.P. and in case the U.P. Govt. needs more they may write to the Central Government. Only then we would consider it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

*523 **श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री बकारिया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विभिन्न उद्यागों को ओर कर्मचारी भविष्य निधि को बहुत बड़ी राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) गुजरात प्रदेश के विभिन्न उद्यागों कि ओर 31-12-1972 को भविष्य निधि अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों की बाबत 63.59 लाख रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) छट न प्राप्त जो प्रतिष्ठान देय राशियों की अदायगी में चूक करते ह, उनके विरुद्ध सामान्यत: निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जाता है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियां प्रारम्भ की जाती हैं।

(iii) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस। न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती हैं।

(iv) अदायगी में चूक नियोजनको और कर्मकारों के संगठनों, जिन में मजदूर संघ शामिल है, के ध्यान ला दी जाती हैं।

(v) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन दंड हरजाने लगाये जाते हैं।

(vi) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी, जमानत आदि के पेश किए जाने पर प्रतिष्ठानों को देय राशि यों का उपयुक्त किस्तों में भुगतान करने का, अवसर दिया जाता है।

(vii) ऐसे, कपड़ा मिलों के मामले में, जो दीवालिया हो गई हों, पुनःनिर्माण योजनाओं की जांच गुणावगुण के आधार पर की जाती है।

दण्डकारण्य परियोजना के निर्माण सर्किल में कार्य प्रभारित कर्मचारी

***524. श्री अनादि चरण दास :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के निर्माण सर्किल के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिये गये हैं यद्यपि प्राक्कलन अभी पूरे नहीं हुए हैं और प्राक्कलनों के लिए अभी धनराशि उपलब्ध है ;

(ख) क्या केवल कार्य प्रभारित कर्मचारियों को ही नोटिस दिये गये हैं अथवा प्राक्कलनों के संदर्भ में कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण में लगे अन्य कर्मचारियों को भी फालतू घोषित किया गया है ; और

(ग) क्या छंटनी किये गये कार्य प्रभारित कर्मचारियों के स्थान पर दैनिक मजूरी पर कर्मचारियों को लगाया जाता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी प्राक्कलन पूरे नहीं हुए है परन्तु सभी कार्य प्रभावित कर्मचारियों की सेवाओं को बनाए रखने के लिए उपलब्ध धन राशि अपर्याप्त है। इसलिए कार्य प्रभारित स्थापना के कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिए गए हैं परन्तु इन्हें फिलहाल 30-4-1973 तक रोक लिया गया है। छंटनी को रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़ कर किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस नहीं दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

देश में इस्पात के वितरण की नई नीति

***531. श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में इस्पात की वितरण की नई नीति बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त सिद्धु समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) देश में 1973-74 में इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जबकि वर्तमान वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण उपभोक्ता क्षेत्रों को इस्पात की सप्लाई समय पर तथा योजनाबद्ध ढंग से करने में पर्याप्त संतोषजनक सिद्ध हुई है, सरकार का विचार था कि वर्तमान वितरण प्रणाली के कार्यकरण की सामान्य समीक्षा करना तथा इसमें सुधार लाने के लिए संशोधन यदि कोई हो सुझाना लाभप्रद होगा। तदनुसार श्री एस० एस० सिद्धु की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था।

(ख) अध्ययन दल ने 20 मार्च 1973 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) वर्ष 1972-73 के अनुमानित उत्पादन की तुलना में 1973-74 में इस्पात के उत्पादन में लगभग 8 लाख टन वृद्धि होने का अनुमान है।

मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेना

*532. **श्री बरके जार्ज** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और ख) मद्रास एल्युमीनियम कम्पनी का, राष्ट्रीयकरण होने तक, प्रबंध ग्रहण के लिए तमिलनाडु सरकार ने मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) विधेयक, 1973 के प्रारुप सहित, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस समय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

'ब्लैक दिसम्बर' संगठन की गतिविधियों की जांच

*533. **श्री समर गुह** :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के विरुद्ध "ब्लैक दिसम्बर" की हिंसात्मक कार्यवाही इस प्रकार की एकमात्र घटना थी ;

(ख) क्या बंगलादेश में भारतीय उच्चायुक्त को दी गई धमकी और भारतीय नेताओं को दी गई धमकियों के समाचार निराधार हैं या ऐसी धमकियां किसी संगठित संस्था द्वारा दी जा रही है ; और

(ग) "ब्लैक दिसम्बर" संगठन तथा उसकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जहां तक हमें मालूम है लंदन में हमारे हाई कमीशन पर जो छापा मारा गया था वह अपनी तरह की अकेली घटना ही थी।

(ख) इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि बंगला देश में भारतीय हाई कमिश्नर को अनाम धमकियां किसी संगठित संस्था द्वारा दी जा रही है।

(ग) "ब्लैक दिसम्बर"—नाम का उल्लेख सबसे पहले एक अनाम टेलिफोन करने वाले ने किया था जिसने लंदन की एक समाचार एजेंसी को टलीफोन किया कि हमारे हाई

कमीशन पर जो हमला किया गया है वह "ब्लैक दिसम्बर" नाम के दल द्वारा किया गया था। यू० के० की सुरक्षा संस्थाओं द्वारा पूरी छानबीन के बाद भी ऐसे किसी संगठन के होने का प्रमाण नहीं मिला।

Strike by workers of Central Pulp Mill Unit, Gujarat

***534. Shri Amar Singh Chaudhari :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the workers of the Central Pulp Mill Unit, Gujarat were on strike in 1972 ;

(b) whether the workers demanded its nationalisation ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c) : The matter falls essentially in the State sphere. According to available information, the workers of the Central Pulp Mills had resorted to relay fast/hunger strike from December 7, 1972 in support of their demand for an increase in their wages. The relay fast was reported to have been withdrawn from December 27, 1972 to facilitate negotiations between the parties.

रत्नागिरी की एल्युमिनियम परियोजना की प्रगति

***535. श्री शंकर राव सावन्त :**

श्री एस० एल० पेजे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि के एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना का कार्य निर्धारित समय से पीछे है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने इस परियोजना की गति बढ़ाने के लिए अब तक क्या सहयोग दिया है ?

स्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। रत्नागिरि परियोजना से संबंधित कतिपय परिवहन कठिनाइयों के कारण सरकार ने अभी तक अंतिम लागत अनुमान स्वीकृत नहीं किए हैं।

(ख) प्रारंभिक व्यय, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, भूमि के अर्जन इत्यादि पर 137 लाख रुपए।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार,

(i) सन्निर्माण सामग्री के संचलन के लिए 1975 के मध्य तक बंबई-रत्नागिरि सड़क पर कार्य आरम्भ करने और उसे सम्पूरित करने और उत्पादन सामग्री तथा परिष्कृत वस्तुओं के संचलन के लिए 1976 तक कोल्हापुर-रत्नागिरि सड़क को सुधारने ;

(ii) संयंत्र और खानों के लिए दीर्घावधिक आधार पर विद्युत शक्ति की अपेक्षित प्रमात्रा की आपूर्ति करने ; और

(iii) अपेक्षित बाक्साइट क्षेत्रों के लिए खनन पट्टों को अनुदत्त करने के लिए सहमत हो गई है।

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम,

(i) जल की अपेक्षित माता की आपूर्ति करने ;

(ii) संयंत्र और उपनगर क्षेत्र के लिए 1075 एकड़ भूमि अर्जित करने ; और

(iii) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की ओर से कतिपय सर्वेक्षण और भूमि समन्वेषण करने

के लिए सहमत हो गई है ।

Scheme to provide accommodation to workers of Bokaro Steel Plant

*536. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of labourers in Bokaro Steel Plant;

(b) the number of those, out of them, who have been provided residential accommodation and the number of those who are not having this facility; and

(c) the scheme of the Government to provide accommodation to those who have not been provided any accommodation so far?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumaramangalam): (a) to (c). At present there are 21,694 employees on the rolls of Bokaro Steel Limited. Government have so far sanctioned construction of 16,890 quarters at the Bokaro Steel City. Out of this 8,756 quarters have been built and handed over for occupation. In all 11,996 employees have been provided accommodation (including some employees who are sharing accommodation). With the completion of the remaining 8,134 units at present under construction, it would be possible to provide accommodation to more than 80% of the present employees of Bokaro Steel Limited.

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को इस्पात की सप्लाई

*537. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डाल्टनगंज (बिहार) से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्र "साप्ताहिक हलधर" दिनांक 22 फरवरी, 1973 में गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को इस्पात की सप्लाई के सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, इन अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां । प्रेस रिपोर्ट में यह आरोप था कि कारपोरेशन के भारी मशीन बनाने वाले कारखाने से निकलने वाले स्टील स्क्रैप की बड़ी माता का इस्तेमाल फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट में नहीं किया जाता है बल्कि इसे कुछ प्राइवेट पार्टियों को निलाम कर दिया जाता है जो उसी माल को भारी इंजीनियरी निगम को इसके इस्तेमाल के लिए अधिक मूल्य पर सप्लाई करते हैं ।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने जिसके अध्यक्ष फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट के महाप्रबन्धक थे ; इस आरोप की जांच की थी । समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ये आरोप निराधार है ।

Threat to Indian Diplomats in Dacca by Black Decembeer Organisation

***538. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Fatehsinghrao Gaekwad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Indian diplomats posted in Dacca (Bangladesh) have been threatened by Black December Organisation;

(b) the arrangements made by Government of Bangladesh for their security; and

(c) the efforts made to detect the culprits and the outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) A few threatening letters were received by our High Commission in Dacca. These were signed as from 'Black December'.

(b) The matter was brought to the notice of the Bangla Desh Government who have as a result, further strengthened the security arrangements for our Mission and thepersonnel attached to it.

(c) The Bangladesh Security agencies who had taken up investigation have not been able to locate the source of these letters.

मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा आरम्भ किया जाने वाला कार्य

*539. **श्री वयालार रवि :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा वर्ष 1973–74 के दौरान आरंभ किये जाने वाले विकास कार्यों की मुख्य बाते क्या है ; और

(ख) निकट भविष्य में इस कम्पनी का कौन-कौन से नये जहाज मरम्मत-काय और जिहाज--निर्माण कार्य आरम्भ करने का विचार है और उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मजगाव डाक लिमिटेड की बढ़ति हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके समीप ही अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जहाजों की मरम्मत के कार्य क्षेत्र में मज़गांव डाक लिमिटेड की गतिविधियां पहले ही विस्तृत है और इस क्षेत्र में कार्य को यथासम्भव बढ़ाने का विचार है। जहाज-निर्माण के बारे में कम्पनी इस समय नौसेना के लिए लीएंडर क्लास फ्रीगेट. भारतीय जहाजरानी निगम के लिए लक्सरी पैसेंजर-कम-कार्गो।

गैर-कोकिंग कोयला खानों के भूतपूर्व मालिकों द्वारा कोयले का उत्पादन

*540. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कोकिंग कोयलाखानों के भूतपूर्व मालिक सरकार को निकाले गए कोयले की सही सही मात्रा नहीं बता रहे थे ताकि उसे रायल्टी, विक्रय कर और उप-कर से वंचित रखा जा सके ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनाक 3 मार्च, 1973 के "फिनांश्यल एक्सप्रैस", बम्बई में "अनरिपोर्टिड कोल आऊटपुट डिटेक्टिड" शीर्ष से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें तत्सम्बन्धी तथ्य दिये गये हैं ;

(ग) इस कारण सरकार को लगभग कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या सरकार इस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) प्रबंध ग्रहण से पूर्व और पश्चात् के बताए गए उत्पादन आंकड़ों की तुलना यह प्रबल सम्भाव्यता उपदर्शित करती है कि विगतकाल में गैर-कोकिंग कोयला खानों के भूतपूर्व स्वामियों द्वारा कोयले का उत्पादन अल्प-प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एसे अल्प प्रतिवेदनों के कारण सरकार को हुई हानि को अनुमानतः प्राक्कलित करना संभव नहीं है ।

(घ) जब तक कि पर्याप्त प्रमाण सहित अल्प-प्रतिवेदन के विनिर्दिष्ट मामले प्रमाणित नहीं होते हैं तब तक ऐसे कोयला खानों के भूतपूर्व स्वामियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकती है ।

टीन के डिब्बे बनाने वाले कारखानों को टीन की प्लेटों की सप्लाई

5128. **श्री के० सूर्य नारायणा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री टीन के डिब्बे बनाने वाले कारखानों को टीन की प्लेटों की सप्लाई के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 दिसम्बर, 1972 के 5250 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूछी गयी जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभा-पटल पर रखी जायगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही प्राप्त हो जाएगी सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

युद्ध से प्रभावित ग्रामीणों का पुनर्वास

5130. **श्री वसंत साठे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1973 के टाइम्स आफ इंडिया में "वार हिट विलेजर्स यट टु बी रिहैबलिटेटिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हां । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सहित सीमावर्ती राज्यों को पाकिस्तान के साथ हुए पिछले संघर्ष द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों को राहत तथा पुनर्वास देने के लिए व्यय करने के अधिकार दे दिए हैं और इस तरह किए गए खर्च की केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है । विस्थापित व्यक्तियों में राहत/पुनर्वास सुविधाओं के त्वरित और सन्तोषप्रद वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक 'लेखे पर' पंजाब सरकार को 15 करोड़ रुपए की राशि दी है ।

पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को इन क्षेत्रों के नर्वास और पुनर्निर्माण

के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने की सलाह दी है जिससे उन गांवों में आम सुविधाओं की व्यवस्था और अधिक उदार हो जाएगी। पंजाब सरकार ने इसी आधार पर इस विभाग को कुछ विशेष योजनाए भेजी है जिनमें निम्नलिखित आती हैं :—

(i) सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं का पुर्ननिर्माण ;

(ii) हैण्ड–पम्पों की स्थापना ;

(iii) कृषि उत्पादन के लिए दरों में वृद्धि ;

(iv) नष्ट तथा क्षति–ग्रस्त भवनों की मरम्मत तथा पुर्ननिर्माण के लिए अनुदान / ऋण की दर में वृद्धि ;

(v) पुनर्वास अनुदान की दर में वृद्धि ; और

(vi) भूमि पर ट्रैक्टर मुफ्त चलाना।

इन योजनाओं की जांच कर ली गई है और उन्हें मुख्यतया मंजूर कर लिया गया है तथा लगभग 4.00 करोड़ रुपयों की व्यय वाली स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं।

Progress made in proposed Steel Plant in Chhatisgarh Area of Madhya Pradesh

5131. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the proposed steel plant in Chhatisgarh area of Madhya Pradesh.

(b) whether Government have not paid proper attention towards its progress; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Perhaps, the reference is to a steel plant in Madhya Pradesh in the Bailadila area.

For formulating the steel development programme in the Fifth Plan, keeping in view the perspective programme over the next fifteen years, a task force on iron and steel has been constituted by the Planning Commission. The task force would be examining the question of expansion of existing integrated steel plants (including Bhilai in Madhya Pradesh) to optimum levels and also suitable locations for new capacities, on techno-economic considerations, locational advantages of potential sites in different States including Bailadila in Madhya Pradesh will be considered while finalising the programme for detailed studies to be undertaken.

(b) & (c): Do not arise.

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड सुनावदा (उडीसा) के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या की न्यायिक जांच

5132. **श्री आर० वी० बडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड सुनावदा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दो छात्रों ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के मुख्य प्रशासन अधिकारी के अत्याचार, जैसा कि जिसका उल्लेख मृतकों द्वारा लिख कर छोड़े गए पत्र में किया गया है, के कारण आत्महत्या की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की न्यायिक जांच करवाने के लिए जनता ने जोरदार मांग की थी ; और

(ग) यदि हां, तो छात्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और क्या मृतकों का माता-पिता को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कोरापुट डिविजन के दो भूतपूर्व शिक्षु प्रशिक्षणार्थियों ने मई 1971 में सुनावेडा से लगभग 50 मील नौरंगपुर में आत्महत्या की थी। प्रशिक्षणार्थी मार्च 1971 के पश्चात हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स में नहीं थे। मृत्यु के समय वे प्राइवेट नौकरी में थे। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई अत्याचार नहीं किया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि बहरमपुर के रेवेन्यु डिवीजन कमीश्नर द्वारा जांच करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दे दिए हैं। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स को सम्बन्धित राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) क्योंकि वे हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारी नहीं थे, अतः मृत व्यक्तियों के माता पिता का हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा कोई मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पकड़े गए जहाजों के नाविकों और यात्रियों को अपने अपने देश भेजना

5133. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 के युद्ध के दौरान पकड़े गए जहाजों के नाविकों और यात्रियों को उनके अपने-अपने देशों में भेजने के संबंध में भारत-पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) प्रत्येक देश से कितने व्यक्तियों को उनके अपने देश भेजा गया है ;

(ग) क्या पाकिस्तान को भेजे जाने वाले व्यक्तियों की सूची में कुछ बंगालियों के भी नाम हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनकी सहमति प्राप्त कर ली गई थीं ; और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : हाल ही में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने पाकिस्तान हिरासत में बन्द भारतीय बेड़े के 79 नाविकों से, दिसम्बर 1971 के संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा खुले समुद्र में पकड़े गए पाकिस्तानी व्यापारी जहाजों से भारतीय हिरासत में लिए गए 101 पाकिस्तानी व्यापारी नाविकों तथा 152 यात्रियों की अदला-बदली की है। ये पाकिस्तानी नाविक तथा यात्री पूर्वी क्षेत्र के भारत-बंगला देश की संयुक्त कमान की परिधि में नहीं आते।

(ग) जी , नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Passports issued during last two years at Bombay

5134. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of passports issued by the Regional Passport Office at Bombay during the last two years, year-wise, and

(b) the number of passports issued to persons desirous to go to the countries of the Arabian Gulf during the said period?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The number of passports issued by the Regional Passport Officer, Bombay during 1971 and 1972 was as follows :—

1971	45,687
1972	47,774

(b) The number of passports issued to those who intended going to the Gulf countries during the years 1971 and 1972 was as follows :—

1971	43,035
1972	44,464

It is noteworthy in this connection that, in practically all these cases, the passports were endorsed for the Gulf States, along with a number of other countries. It is not inconceivable that a large number of the applicants, in fact, did not go to the Gulf countries; or merely passed through one of the Gulf countries *en-route* to other destinations.

विदेशों में भारतीय दूतावासों का स्तर-वार ब्यौरा

5135. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारतीय दूतावासों की कुल संख्या कितनी है और उनका स्तर-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : इस समय विदेशों में भारत के 117 आवासी मिशन हैं । उनकी दर्जावार संख्या निम्नलिखित हैं :

राजदूतावास	68
हाई कमीशन	19
उप हाई कमीशन . . .	3
कमीशन	2
अन्य मिशन	3
प्रधान कोंसलावास	13
कोंसलावास	7
उप कोंसलावास	1
व्यापार कमीशन	1

भारत के अन्य देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

5136. श्री **वयालार रवि :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत का किन देशों के साथ अभी भी राजनयिक संबंध नहीं है और उसका विचार निकट भविष्य में किन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : निम्नलिखित देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं :—

मध्य अफ्रीकी गणराज्य, छाड, डोमिनिकन गणराज्य, कोरिया लोक जन गणराज्य, एल साल्वाडोर, भूमध्यरेखीय गिनी, होन्डुरास, हाइती, इजरायल, नाइजर, पाकिस्तान, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, वियतनाम गणराज्य, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य ।

निकट भविष्य में उपरोक्त किसी भी देश से राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

भारी बिजली इंजीनियरी उद्योग की कुल अधिष्टापित क्षमता

5137. **श्री वयालार रवि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारी बिजली इंजीनियरी उद्योगों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वर्ष 1972–73 में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन का सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्तमान फर्मों के प्रसार एवं सुधार सम्बन्धी नये प्रस्तावों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल नामक सरकारी क्षेत्र के दो प्रमुख उपक्रम विद्युत सामान का निर्माण करने में लगे हुए है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के विभिन्न एककों की अधिष्ठापित क्षमता और वर्ष 1972–73 में प्रत्येक का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	कुल अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन–1972–73 (अनुमानित मूल्य करोड़ रु० में)
(1)	(2)	(3)
1. हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल		
क. सर्किट ब्रेकर्स . . .	2400 संख्या	50.16 करोड़ एप्रोक्स० (ग्रोस वैल्यू)
ख. इसोलेटिंग स्विच . . .	154 संख्या	
ग. स्विचगियर एण्ड कंट्रोलगियर .	1943 संख्या	
घ. पावर ट्रांसफार्मर	3000 एमवीए	
ङ. वैल्डिंग ट्रांसफार्मर्स	200 संख्या	
च. सी टी एस एण्ड पीटीएस	400 संख्या	
छ. ट्रेक्शन इक्विपमेंट्स	200 संख्या	
ज. कैपिसिटर्स	160000 केवीए	
झ. ट्रैक्शन मशीन एण्ड इण्डस्ट्रियल मोटर्स	1565 संख्या	
ट. टर्बो सेट्स	300 एमवी	
ठ. नुक्लियर टर्बाइंस	235 मे०वा० का एक	
ड. हाइड्रो सेट्स	6 आफ एवरेज केपेसिटी विटबीन 60 एम० डब्ल्यू०	

(1)	(2)	(3)
2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार		88.00 करोड एप्रोक्स० (ग्रोस वैल्यू)
क. मोटर्स एण्ड जैनेरेटर्स	515 एस डब्ल्यू	
ख. टर्बो सेट्स	1500 एस डब्ल्यू	
ग. हाइड्रो सेट्स	10 आफ कैपेसिटी बिटवीन 60 एम डब्ल्यू० एण्ड 100 एम० डब्ल्यू०	
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद		
क. ए० बी० सर्किट ब्रेकर्स	36 संख्या	
ख. एम० ओ० सर्किट ब्रेकर्स	600 संख्या	
ग. टर्बोसेट्स	900 एम० डब्ल्यू०	
4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचि	**टोटल इनस्टाल्ड कपेसिटी**	**प्रोडक्शन (1972–73) एस्टीमेटेड वैल्यू इन करोड**
क. बॉयलर्स	30000 टन आफ बॉयलर्स हाउस इक्विपमेंट	

उपर्युक्त के अलावा, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में अन्य भारी वैद्युत इंजीनियरी उद्योग भी हैं जो बिजली के सामान का निर्माण करते हैं ऐसे उद्योगों की वर्ष 1972–73 में कुल अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

	अधिष्ठापित क्षमता लाख रु०	उत्पादन लाख रु०
सरकारी क्षेत्र . . .	2651	1641
गैर सरकारी क्षेत्र . . .	15537	7676
	18188	9317

चूंकी वर्ष 1972–73 अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उत्पादन के आँकड़े अनन्तिम हैं।

सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के कुछ एककों को हाल ही में बढ़ी हुई क्षमता के लिए स्वीकृति दी गई है जो गैर सरकारी क्षेत्र के अधिकांश मामलों में उनकी अधिष्ठापित क्षमताओं के और अधिक उपयोग पर आधारित है। उन्हें स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमताओं के कार्यान्वयन हेतु एककों को सहायता भी दी जाती है। जिसका परिणाम यह निकेलेगा कि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा संयंत्र और मशीनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कुप्रशासन

5138. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को, जो कि 215-करोड़ रुपये की लागत का सरकारी उपक्रम है, प्रशासन अधिकारियों की संख्या अधिक होने, अनियमितताएं होने तथा नियन्त्रण से बाहर तरीके अपनाने के कारण नुकसान हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं । यह कहना ठीक न होगा कि भारी इंजीनियरी निगम को प्रशासन अधिकारियों की संख्या अधिक होने के कारण हानि हो रही है तथा जिन समस्याओं का इसे सामना करना पड़ रहा है वह इस के बस से बाहर है ।

(ख) सरकार द्वारा गठित की गई "कार्यवाही समिति" ने मई/जून 1972 में भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकरण की जांच की थी ।

(ग) कार्यवाही समिति की मुख्य सिफारिशें प्रबन्ध का पुनर्गठन करने, औद्योगिक सम्पर्क में सुधार करने, अधिक आर्डर प्राप्त करने और एक प्रोत्साहन योजना लागू करने के बारे में हैं । प्रबन्धक इन उपायों को लागू करने की आवश्यकता के प्रति जागरुक हैं और इन शिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

माना शिविर समूह में सरकारी गाडियों का दुरुपयोग

5139. **श्री आर० वी० बडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिविर में किसी उच्च पदासीन अधिकारी के नाम पर आवंटित गाड़ी का प्रयोग दिन में कम से कम दो बार उसके निवास स्थान से बाजार, उसकी निजी खरीदारी करने के लिये किया जाता है ; यदि हां, तो सरकार को किस दर पर किराया दिया जाता है, और

(ख) क्या माना शिविर समूह के अन्तर्गत अन्य शिविरों की गाड़ियां मुख्य माना मैं रोज रात को 11 से 12 बजे तक चलती है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं । इसलिए, किसी प्रकार का किराया देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) जी, नहीं । चूंकि माना शिविर समूह के मानाभाटा, नवागांव केन्द्री तथा बड़ोदाभाटा शिविरों को मुख्य माना शिविर के साथ टैलिफोन से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए कभी कभी इन शिवीरो से तत्काल तथा आवश्यक सन्देश लाने के लिए गाड़ियों को प्रयोग में लाया जाता है । इसके अनिरिक्त अन्य शिविरों की गाड़ियों को, समय समय पर माना शिविर अस्पताल में रात्रि के समय रोगियों को लाने तथा साथ ही माना शिविर समूह के परिवारों के स्वागत तथा उन्हें अन्य राज्यों में पुनर्वास स्थलों पर भेजने से संबंधित आपातिक कार्यों के लिए भी प्रयोग लाया जाता है ।

माना शिबिर में शरणार्थियों को सरकारी सहायता प्राप्त राशन

5140. **श्री आर० वी० बडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिविर में बंगला देश वापिस जाने वाले शरणार्थियों के परिवारों सहित सभी विस्थापितों को सरकारी सहायता प्राप्त राशन मिलता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उन शरणार्थियों को, जो बंगला देश के स्वतंत्र होने पर भारत में अपने शिविरों तथा पुनर्वास स्थलों को छोड़कर चले गए थे और जिन्हे माना शिविर में हाल ही में पुनः प्रवेश दे दिया गया है, छोड़कर, 1-1-64 से 25-3-71 के बीच भारत आए सभी शरणार्थियों को सरकारी सहायता प्राप्त राशन मिल रहा है ।

(ख) बंगला देश से वापिस आने वाले शरणार्थियों को सरकारी सहायता प्राप्त राशन न देने का मुख्य कारण यह है कि वे भारत में उपलब्ध राहत तथा पुनर्वास के अवसरों का दुरुपयोग या त्याग कर के बिना सूचना के चले गए थे ।

कृषि उद्योग विकास निगम, बिहार का उत्पादन

5141. कुमारी कमला कुमारी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर उद्योग वर्ष 1975 में उत्पादन आरम्भ कर देगा । और यदि नहीं, तो बिहार के कृषि उद्योग विकास निगम को दिये गये उद्योग लाइसस के अन्तर्गत किस वर्ष में ट्रक्टर बनने लगेंगे ; और

(ख) उपरोक्त उद्योग कहां पर स्थित हैं और इस से कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है और एक वर्ष में कुल कितने ट्रैक्टर बनाये जायेंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए समस्तीपुर या फतवा में एक कारखाना स्थापित करने हेतु बिहार राज्य कृषि-उद्योग निगम का प्रस्ताव अभी अभी विचाराधीन है । निगम को अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । प्रस्ताव में प्रतिवर्ष 10,000 ट्रैक्टर बनाने की क्षमता निर्धारित की गई है । रोजगार की संभावना के बारे में कोई निर्देश नहीं है ।

ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग पर व्यय

5142. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971-72 में ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग और उच्च आयुक्त पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या उपरोक्त व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो बढ़ते हुए व्यय को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ब्रिटेन में हाई कमिशनर पर 1.77 लाख रु० व्यय हुए और हाई कमीशन पर 146.76 लाख रुपये ।

(ख) हाई कमिशनर पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई ; लेकिन ब्रिटेन में हाई कमीशन के व्यय में 17.69 लाख रुपये की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि 1970-71 के व्यय के मुकाबले करीब 13.7 प्रतिशत है ।

(ग) जहां तक हाई कमिशनर के व्यय का संबंध है इसमें कमी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

यू० के० में हाई कमीशन के व्यय के बारे में सरकार किफायत के लिए लगातार तरह-तरह के उपाय काम में ला रही है जैसे कि कर्मचारियों के रखने के ढंग तथा उनकी कार्यप्रणाली को युक्ति संगत बनाना । किफ़ायत के ये उपाय यदि न बरते गये होते तो विश्व भर में रहन-सहन के खर्च

में वृद्धि के कारण हाई कमीशन का व्यय बहुत अधिक हो गया होता । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यदि 1972-73 के लिए 126.03 लाख रु० के बजट प्रावधान के मुकाबले 1972-73 के 118.47 लाख रु० के पुनरीक्षित आक्कलन को देखा जाय तो इन किफायत के उपायों के परिणाम स्वरुप 7.56 लाख रु० की आवर्ती बचत साफ दिखाई देगी ।

पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों द्वारा भागने के लिए सुरंगे खोदा जाना

5143. **श्री अम्बेश** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पाकिस्तानि युद्धबन्दियों ने कैंपों से भाग जाने के लिए सुरंगे खोदी थीं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : रांची, रामगढ़, ग्वालीयर, आगरा और इलाहाबाद शिबिरों में पाकिस्तानी यद्ध बन्दियों द्वारा सुरंगें खोदी पाई गई थीं ।

हिन्द चीन का पुर्नानिर्माण करने हेतु सहायता देने के लिए एशिया के देशों का सम्मेलन

5146. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम युद्धके पश्चात् हिंद-चीन का पुनर्निर्माण करने हेतु सहायता देने के सम्बन्धी उपायों पर चर्चा करने के लिए एशिया के देशों का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : इस तरह का सम्मेलन बुलाने का अभी तो कोई प्रस्ताव विशेष नहीं है ।

सैनिक इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की पदोन्नति

5147. **डी० पी० जदेजा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 फरवरी, 1973 को सैनिक इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के 50 पद भरे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायक कार्यकारी इंजीनियरों और लेखा अधिकारी ग्रेड- II के अधीक्षक ग्रेड-I के पदों पर क्रमश : ग्रेड-I के अधीक्षकों (कार्यभारी) और कार्यालय अधीक्षकों में से केवल वरिष्ठता के आधार पर तदर्थ पदोन्नतियां की जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये पदोन्नतियां केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) : सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के 50 पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गई थीं चूंकि यह नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना थी अत: विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य ने की थी, चयन वरिष्ठता तथा गुण के आधार पर किया गया था ।

प्रशासन अधिकारी ग्रेड-II (क्लास-II) के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नतियां की गई थी, ना कि लेखा अधिकारी के पद पर चूंकि यह नियुक्तियां लगभग 6 माह तक चलते रहने की सम्भावना थी अतः विभागीय पदोन्नति समिति ने पदोन्नति के लिए वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर शिफारिश की थी ।

"एपलिकेशन आफ साइन्स टु माइनिंग कोल" पुस्तिका

5148. **श्री सोमचंद सोलंकी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें या उनके मंत्रालय को 'एपलिकेशन आफ साइंस टू माइनिंग कोल' नामक पुस्तिका मिली है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान रेखा चित्रों (ग्राफ) और चेयरमन द्वारा प्रस्तुत 29 दिसम्बर, 1972 के विवरण की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या विवरण में दिए गए तथ्य तथा आंकड़े सही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो रेखा चित्रों (ग्राफ) में और चार्ट में तथा विवरण में उल्लेखित तुलनात्मक तथ्य और आंकड़े क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी , नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते है ।

महाराष्ट्र में बंद खानों का पुनः खोला जाना

5149. **श्री सोमचंद सोलंकी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री महाराष्ट्र में बन्द खानों को पुनः खोलने के बारे में 30 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2429 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उल्लिखित कम्पनी और सोसाइटी के निदेशकों के नाम क्या हैं और अंशधारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले मालिकों के नाम क्या थे ; और

(ग) उनकी लाइसेंसों की संख्या और क्षमता क्या थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

खेतडी तांबा परियोजना के लिए मांगी गई विदेशी सहायता

5150. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना के लिए कभी कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ; और

(ख) क्या उनके किसी विशेषज्ञ ने खेतड़ी तांबा परियोजना का दौरा किया है अथवा तकनीकी आंकड़ों का अध्ययन किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) संभवतः निर्देश परियोजना चालू करने के लिए विदेशी सहायता से संबंधित है । परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा की अपेक्षा की पूर्ति मुख्यता सरकार को फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, बैलजियम, ब्रिटेन इत्यादि सरकारों से प्राप्त ऋणों और मुक्त विदेशी मुद्रा से की जाती है ।

(ख) जी, हां । परियोजना के अध्ययनार्थ भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के दल ने 1972 के आरंभ में खेतड़ी ताम्र परियोजना का भ्रमण किया था ।

प्रोडक्शन शाफ्ट और सर्विस शाफ्ट के लिए खुदाई करना

5151. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी में प्रोडक्शन शाफ्ट और सर्विस शाफ्ट के लिए खुदाई कार्य कब आरम्भ हुआ था ;

(ख) उनको कब चालू होना था ; और

(ग) इन शाफ्टों को चालू करने की तिथी में बार-बार परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी में उत्पादन कूपक और सेवा कूपक का धसाव कार्य 1964 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) पिछली समय-सूची के अनुसार कूपकों को अप्रैल, 1972 तक संक्रियागत होना था । अब इन कूपकों के 1974 के अंतिम चरण में चालू होने की संभावना है ।

(ग) कूपक धंसाव कार्य के संपूरण में देरी का मुख्य कारण, भूमि की खराब स्थितियां है जिनका धंसाव के दौरान सामना किया गया था । उत्पादन कूपक क्षेत्र में , प्रमुख दोषपूर्ण भाग का सामना किए जाने के कारण, भूमिगत दलित स्टेशन की अवस्थापना को उसके मूल स्थान से स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया ।

सेवा कूपक के मामले मे भी (जिसका धंसाव कार्य अब संपूरित हो चुका है) अधिकांश धंसाव संक्रियाओं के दौरान भूमि में दरारों का सामना करना पड़ा । कूपक के चालू होने में देरी का दूसरा कारण स्वदेशी विनिर्माताओं द्वारा उत्तालकों की अपूर्ति में असाधारण देरी है ।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस् इण्डिया लिमिटेड में काम करने वाले बंगाली

5152. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या भारी उद्योग** मंत्री 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 400 रुपये और इससे अधिक मूल वेतन वाले पदों के लिये अखिल भारतीय आधार पर भर्ती करने की व्यवस्था है और योग्यता एवं उपयुक्तता तथा अर्हताऐं मुख्य कसौटी हैं , और

(ख) क्या नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता है और व्यावहारिक रुप में केवल बंगाली होना अनिवार्य अर्हता है जबकि अन्य अपेक्षाओं को गौण समझा जाता है और इस लिये भारी संख्या मे बंगालियों को भर्ति किया जाता है और यदि कारपोरेशन मे उन वेतनक्रमों में काम करने वाले बंगालियों का प्रतिशत देखा जाये तो इस बात की पुष्टी हो जायेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि इंजीनियरिंग प्राजेक्टस (इण्डिया) लि० द्वारा भर्ति संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । भर्ती के मामले में बंगालियों का कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जा रही है । कंपनी में 400 रुपये तथा इससे अधिक मूल वेतन वाले सभी पदों के लिये प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं और उनकी सूचना रोजगार कार्यालयों को भी दी जाती है और प्राप्त हुए आवेदनों की निर्धारित कसौटियां के आधार पर जांच की जाती है । विभिन्न पदों के लिए बनाए गए चयन मंडलों द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाता है । चयन

मंडलों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य सरकारी क्षेत्र के संगठनों।मंत्रालयों के एक या 2 विशेषज्ञ भी होते हैं । चुनाव केवल गुणावगुण एवं योग्यता के आधार पर किया जाता है । यह कहना ठीक नहीं है कि इंजीनियरिंग प्राजेक्ट (इंडिया) लि० में 400 रुपये तथा इससे अधिक मूल वेतन वाले पदों की भर्ती में बंगालीयों की संख्या बहुत अधिक है ।

लुधियाना जिले में विस्थापित खेतिहर व्यक्तियों की आबंटित निष्क्रान्त भूमि से बेदखली

5153. **श्री आर० वी० बडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 1 मार्च, 1973 के तारांकित **प्रश्न** संख्या 155 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामले कितने हैं जिनमें 20 वर्षों से अधिक अवधि तक कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को उससे वंचित कर दिया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त भूमि उन लोगों को बेचने का कोई प्रस्ताव है जिनको उससे बेदखल किया गया है ;

(ग) क्या लगभग 15 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि पहले ही बेची जा चुकी है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा और आधार क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनकी सहायता करने और पुन: बसाने का है जिनको भूमि से वंचित कर दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) पंजाब सरकार के पास सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । उसे एकत्रित किया जा रहा है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ख) जी, नहीं । वे एलाटी, जिन्होंने अनियमित तौर पर भूमि का एलाटमेंट प्राप्त किया है इन भूमियों को खरीदने के पात्र नहीं है ।

(ग) पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार 1970 की रबी की फसल से अनधिकृत कब्जेदारों के कब्जे की भूमियों को उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया है । इस छूट के क्रम में रद्द की गई 12 मानक एकड़ 6 यूनिट भूमि को लुधियाना ज़िले में भूमिहीन लोगों को बेच दिया गया है ।

(घ) पंजाब सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा इस तरह की कोई योजना तैयार नहीं की गई है ।

पश्चिम बंगाल में सूरी के निकट आयोजित "विवेकानन्द मेले" में कब्जे में लिए गए टैंकों तथा अन्य सामग्री का प्रदर्शन

5154. **डा० सरदीश राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में सूरी के निकट "विवेकानंद मेले" में कब्जे में लिए गए पाकिस्तानी टैंक तथा इस प्रकार के अन्य सामान को प्रदर्शित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सामान के वहन पर व्यय का भुगतान रक्षा विभाग करेगा ;

(ग) क्या विभाग को पता है कि उपरोक्त "विवेकानन्द मेला समिति" रक्षा उपकरण प्रदर्शित करने के लिए विशेष शुल्क प्राप्त कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार एकत्र किए गए विशेष शुल्क का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कब्जे में लिए गए एक पाकिस्तानी टैंक को प्रदर्शनी में दिखाया गया था ।

आसाम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा में आयुध कारखाने

5155. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा में कोई आयुध कारखाने हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) आयुध कारखानों का स्थान हर एक मामले में परियोजना के सामरिक तथा तकनीकी-आर्थिक विचारों सहित सभी सम्बन्धित तत्वों के आधार पर पूरा विचार करने के पश्चात् निश्चित किया जात है ।

भारत और चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों के बीच वार्ता

5156. **श्री समर गुह :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 फरवरी, 1973 के 'स्टेट्समैन' (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत और चीन के प्रतिनिधियों ने दो देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के संबंध में बातचीत की थी ;

(ख) क्या चीन ने राजनयिक संबंधों की पुनः सामान्य बनाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय का समाचार देखा है । किन्तु इसका कोई आधार नहीं है । इसलिए प्रश्न (ख) और (ग) नहीं उठते ।

भारतीय नौसेना द्वारा पकडे गए पाकिस्तानी लडाकू जहाजों को बंगला देश को सौपना

5157. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज को बंगला देश को सौंप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) और (ख) : 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कोई पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज नहीं पकड़ा गया । तथापि भारतीय नौसेना द्वारा पकड़े गए चार व्यापारिक जहाजों में से तीन बंगला देश की सद्भावना तथा सहयोग प्रदर्शन के रूप में दिए जा रहे हैं ।

"टेल्को" जमशेदपुर में भर्ती सम्बन्धी नीति

5158. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जमशेदपूर "टेल्को" की भर्ती सम्बन्धी नीति के बारे में 12 फरवरी 1973 के हिन्दुस्तान स्टंडर्ड, कलकत्ता में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुशल अर्द्ध कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की भर्ती के बारे में प्रबन्धकों द्वारा घोषित नीति क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार की नीति राष्ट्रीय एकता की संकल्पना के विरुद्ध है और अन्य राज्यों में भी इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया हो सकती है ; और

(घ) "टेल्को", जमशेदपुर द्वारा घोषित भर्ती सम्बन्धी नीति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (घ) : सरकार के पास समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं है । बिहार सरकार ने, जिससे इस मामले में रिपार्ट मांगी गई थी, कहा है कि निजी क्षेत्र के संस्थापन भर्ती सम्बन्धी ऐसी कोई भी नीति अपनाने में स्वतंत्र हैं जो किसी कानून का उल्लंघन न करती हो । "टेल्को" जमशेदपूर निजी क्षत्र का संस्थापन है ।

उर्वरक का आयात

5159. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में रुस, जापान तथा अन्य देशों से उर्वरक आयात करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से कितना-कितना आयात करने का प्रस्ताव है ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) तथा (ख) : उर्वरक लगभग प्रतिवर्ष जापान, पश्चिमी यूरोप, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कुवैत, मैक्सिको, रुस, रुमानिया, बलगेरिया, पोलंड जनवादी जर्मन गणतंत्र तथा हंगरी आदि से आयात किए जाते हैं । वास्तविक आयात कृषि विभाग की आवश्यकताओं, धन की उपलब्धी, पूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य, परिदान कार्यक्रम आदि पर निर्भर करता है । पहले से दिए गए ठेकों की एक सूची, जिनकी सप्लाई 1973 के दौरान अपेक्षित है संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4652/73**]

हिन्द महासागर में ब्रिटेन और अमरीका की सैनिक तैयारियां

5160. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, ब्रिटेन के साथ मिल कर बेगोस आर्कपोलेगो, अलडोवरा, फरकुहर तथा अन्य द्वीप समुहों में, जो आज भी हिन्द महासागर में ब्रिटेन की कालोनियां हैं, सैनिक अड्डों का जाल बिछा कर ऐसे क्षेत्र में सैनिक महत्व की सामरिक तैयारियां कर रहा है जो कभी 'ब्रिटिश लेक' कहलाता था ; और

(ख) क्या हमारी सुरक्षा के हित में अमेरीका और ब्रिटेन की हिन्द महासागर में सैनिक तैयारिया करने के प्रयास का विरोध किया जायेगा ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ब्रिटिश हिन्द महासागर क्षेत्र में जिसमें केगोस, अलडोबरा फरकुहर और अन्य द्वीप सम्मिलित हैं, ब्रिटेन और अमेरिका ने 1967 में नौसेना वायु तथा संचार सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक करार किया था । भारत तथा कई अफ्रो-एशिया देश हिन्द

महासागर को इस प्रयोजन के लिए उपयोग करने के विरुद्ध है। भारत ने नवम्बर 1970 म ब्रिटेन-अमेरिका को गतिविधियों का विरोध किया। हिन्द महासागर को ऐसे अड्डों से मुक्त रखने के लिए हमारे विचार पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के अधीन अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न जारी हैं।

बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों की धमन भट्टियों को चालू करने के बारे में रुस से प्राप्त परामर्श

5161. **श्री मधु दंडवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस सरकार ने गुप्त अनुदेश भेजे थे कि कच्चा माल उपलब्ध किये जाने से पूर्व बोकारो की धमन भट्टी को चालू न किया जाये ;

(ख) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के चैयरमैन ने अनुदेशों की अवहेलना कर के धमन भट्टी को चालू करवा दिया था ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भिलाई की धमन भट्टी जो रुस सरकार के परामर्ष के बावजूद 1964 में चालू की गई थी, पूर्ण रुप से नष्ट हो गई थी ; और :

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भट्टी नष्ट नहीं हुई थी चालू किये जाने के समय स भट्टी मान्य रुप से कार्य कर रही है।

हरातालों पर प्रतिबन्ध

5162. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में यह आश्वास्न दिया गया था कि सरकार का हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोइ ईरादा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस आश्वासन के संदर्भ में, श्रमिक संघों के अधिकारों को कम करने वाला प्रस्तावित विधेयक अब नहीं लाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) : प्रधान मंत्री 19 जनवरी, 1973 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में हड़तालों के बारे में संक्षिप्त रूप से हवाला दिया था। पांचवी योजना के दृष्टिकोण-पत्र पर विचार-विमर्श करने के लिए 3 फरवरी, 1973 को हुई एक बैठक में एक सदस्य द्वारा की गई टीका-टिप्पणी के प्रत्युत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा कि हड़तालों पर सामान्य रोक लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोवियत सहयोग से मलजखंड (मध्य प्रदेश) में उद्योग समूह

5163. **श्री रामभगत पस्वान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत विशेषज्ञ दल ने, जिसने मध्य प्रदेश के मलंजखंड क्षेत्र में उद्योग समूह की संभावनाओं का अध्ययन किया है, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : रूसी विशेषज्ञों ने भारतीय पक्ष के साथ वार्ताक्रम के पश्चात् संविदा प्रारूप दिया है जिसमें मध्य प्रदेश के मालंजखण्ड क्षेत्र में ताम्र निक्षेपों पर आधारित सद्रिक की स्थापना के लिए साध्यता अध्ययन तैयार करना परिकल्पिक किया गया है। संविदा का प्रारुप अब सक्रिय रुप से सरकार के विचाराधीन है।

बिजली की कमी होने से उद्योगों में श्रमिकों की छंटनी

5164. **श्री एम० कतामुत्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में बिजली की कमी के कारण उद्योगों में उत्पादन कम होने के फलस्वरूप प्रत्येक राज्य में कितने-कितने श्रमिकों की छंटनी की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

Purchase of Lime Stone for Rourkela Steel Plant

5165. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the reasons for which Rourkela Steel Plant to meet its requirement purchases lime stone from private industrialists. Whereas a large lime stone area in Madhya Pradesh has been reserved for steel industry?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : The entire requirements of limestone for the bast furnace and the steel melting shop of Rourkela have always been and are being met from the captive mines of the plant at Purnapani in Orissa and Satna in Madhya Pradesh. The limestone fines required for the sintering plan were also being obtained from the captive mines at Purnapani. Recently, however, in order to improve the quality of the sinter, it has become necessary to change the size of the fines from-25mm-6mm. As the present crushing facility available with the plant to reduce the fines to-6mm size is inadequate, the plant is temporarily purchasing about 20,000 to 25,000 tonnes per month of limestone fines of this size from private sources. When additional crushing facility now being planned, is installed, purchase from private parties will not be necessary.

रोडेशिया में बहुसंख्यकों का शासन कायम करने के प्रयास

5166. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है कि मुख्यरूप से रोडेशिया के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जाने से उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों के कारण रोडेशिया की अल्पसंख्यक सरकार ब्रिटन के साथ बातचीत करने को तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये रोडेशिया में बहुसंख्यकों का शासन कायम हो, सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रिटन, संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य माध्यम से रोडेशिया की सरकार पर दवाब डालने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने एसी खबरें देखी हैं। परन्तु सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार एसा कोई संकेत नहीं है कि आर्थिक प्रतिबंधों के फलस्वरूप रोडेशियाई अल्पमत सरकार अब बहुमत को स्वीकार्य समझौते पर ब्रिटन से बातचीत करने को तैयार है ।

(ख) स्वतंत्रता की इकतरफा घोषणा किए जाने के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों के वाद-विवाद में बराबर यही कहा है कि स्मिथ सरकार गैर कानूनी है और अपने उपनिवेश दक्षिण रोडेशिया में प्राथमिक जिम्मेदारी यू० के० की है। भारत ने जिम्बाबवे के लोगों के अधिकारों का समर्थन किया है और स्मिथ शासन के विरूद्ध प्रतिबंध की नीति पर अमल किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिणी रोडेशिया संबंधी सभी एफ्रो-एशियाई प्रस्तावों के भी पक्ष में मत दिया है ।

सरगुजा जिले के एक अन्य एल्युमिना/एल्यूमीनियम संयंत्र लगाया जाना

5167 **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री रण बहादूर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सरगुजा जिले में बड़े पैमाने के बाक्साइट निक्षपों को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक अन्य एल्यूमिना/एल्यमिनियम संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (सुखदेव प्रसाद) : भारत में एलूमिना के प्रतिवर्ष 500,000 टन के उत्पादन के लिए, रूसी सहायता से मध्य प्रदेश के बालाघाट, सुरगुजा और मांडला जैसे जिलों के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एलूमिना संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह स्वीकार किया गया है कि रूसी संगठन द्वारा तकनीकी और आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसमें भारतीय विशेषज्ञ पूर्णत: भाग लेंगे, संविदा करने की दृष्टि से उपयुक्त भारतीय और रूसी संगठन बात-चीत करेंगे और तकनीकी और आर्थिक रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात् उत्पादन सहयोग का विनिश्चय किया जाएगा। इस संयंत्र के लिए रूसी संगठन द्वारा तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए संविदा के निबन्धन रूसी पक्ष के साथ विचार-विमर्शाधीन हैं।

नेपाल को दिए गए ऋणों की राशि

5168. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा नेपाल को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ख) इन ऋणों पर लिये जाने वाले व्याज की दर क्या है; और

(ग) क्या इन ऋणों का कुछ भाग नेपाल द्वारा वापिस भी किया जा चुका है और यदि हां, तो कितना ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : (क) 11 करोड़ रु० जिसमें 1 करोड़ रु० का औद्योगिक ऋण और 10 करोड़ रु० का सहज-सुलभ ऋण शामिल है।

(ख) (1) रु० 1 करोड़ के औद्योगिक ऋण पर : 3 प्रतिशत वार्षिक।

(2) रु० 10 करोड़ के सहज-सुलभ ऋण पर—वास्तवमें ली गई राशि पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा ऋण के उस भाग पर जो लिया नहीं गया——आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष का वचनबद्धता प्रभार।

(ग) (1) रु० 1 करोड़ के औद्योगिक ऋण में से; रु० 57 लाख दिया जा चुका है और अद्यतन वापस चुकाई गई राशि रु० 13 लाख है।

(2) रु० 10 करोड़ के सहज-सुलभ ऋण की कोई वापसी-अदायगी अभी देय नहीं है।

आटोमेशन कमेटी की स्थापना

5169. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969 में आटोमेशन कमेटी स्थापित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कमेटी ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उस समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त प्रतिवदन सभा-पटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) और (घ) : रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद् के पुस्तकालय को पहले ही भेज दी गई हैं ।

कोयला खान मजदूरों में क्षय रोग

5170. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मजदूरों में क्षय रोग बड़ी तेजी से फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश की विभिन्न खानों का इस रोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला खान मजदूरों में क्षय रोग की चिकित्सा और इसे समाप्त करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) : कितने कोयला खान श्रमिक तपेदिक से पीड़ित हैं; इसकी ठीक-ठीक संख्या बताना कठिन है। तथापि कोयला खान कल्याण संगठन, कोयला खनिकों में तपेदिक की समस्या से पूर्णत: जागरूक है और यह संगठन पात्र श्रमिकों के लिए अन्तरंग, स्वास्थ्यलाभ गृह उपचार तथा वित्तीय सहायता संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करता है । ोयला-क्षेत्रों में रहने वाली राज्य सरकारों की बी० सी० जी० टीमें ऐसे कोलियरी श्रमिकों और उनके आश्रितों को बी० सी० जी० के टीके लगाती हैं; जिन पर इस बीमारी का असर हो सकता है ।

Facilities of House and land to wounded and disabled Jawans

5171. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the State-wise steps taken by Government to provide facilities in regard to land and houses to the Jawans wounded and disabled in the last war ;

(b) whether the Central Government have also given some suggestions and provided funds for this work; and

(c) it so, the facts thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagajivan Ram) : (a) to (c): The disabled or permanently disabled jawans/officers are being paid more than normal pension so that they may not face any hardship. Even then, for those who want to earn more, efforts are being made to get agricultural land allotted to them and to provide suitable residential accommodation to those who do not own their own homesteads. The matter has been taken up with State Governments. Uptil now the States of Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Kerala, Maharashtra, Manipur, Mysore, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal have signified their agreement to allot agricultural land. The States of Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Mysore, Manipur, Rajasthan, Assam, Tamil Nadu, West Bengal and U.P. have agreed to give suitable residential plots or ready built accommodation to them. The matter is being persued with the other State Governments.

The above-mentioned facilities have to be provided by the respective State Government from within their resources.

टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के विस्तार के लिए निपन स्टील, जापान द्वारा सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करना

5172. **श्री वसंत साठे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर इस्पात कार्य की क्षमता के विस्तार का टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा निपन स्टील आफ जापान से सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार कारवाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो निपन स्टील को ठेका देने से पूर्व कितनी पार्टियों से अध्ययनार्थ दर सूचियां आमंत्रित की गई थी ;

(ग) क्या अध्ययन से तकनीकी रुपरेखा, डिज़ाइन और विशिष्टियां प्राप्त होंगी जिससे हम स्वयं संयंत्र की स्थापना कर सकेंगे; और

(घ) क्या ठेके में कोई ऐसी धारा भी है जिसके अनुसार निपन स्टील भारतीय इंजीनियरों/तकनीशियनों को इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए ऐसा प्रशिक्षण देगा जिसमें हमें भविष्य में विदेशी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) देशीय परामर्शदाताओं के पास अब काफी काम है । तिस पर भी जापान में विकस्ति उन्नत इस्पात प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना लाभदायक रहेगा । तकनीकी मामलों में निप्पन स्टील के साथ टाटाओं के बहुत पुराने सम्बन्ध है, अतः सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लमिटेड के इस्पात कारखाने के लिए निप्पन स्टील से शक्यता प्रतिवेदन तैयार कराने की अनुमती दे दी है । शक्यता प्रतिवेदन कराने के लिए अन्य पार्टियों से निविदाएं नहीं मांगी गई थी ।

(ग) और (घ): करार के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूपएं दिया जाना है । शक्यता प्रतिवेदन को तैयार करने में भारतीय इंजीनियरों और केन्द्रीय इंजीनियरों और रूपांकन ब्यौरो के इंजीनियरों को भी शामिल किया जाएगा । शक्यता अध्ययन के आधार पर विस्तृत तकनीकी विशिष्टियां और ड्राइंग आदि तैयार करना संभव हो सकेंगा ।

इस्पात उद्योग में विकास-दर की प्रतिशतता

5173. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात उद्योग में विकास की दर की प्रतिशतता कितनी रही ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : गत 3 वर्षों में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है यद्यपि भविष्य में क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किऐ गये है जैसे कि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करना तथा सेलम, जयनगर और विशाखापत्तनम में नये इस्पात कारखाने स्थापित करना ।

सिक्किम में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने की स्थापना

5174. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने सिक्किम में भी अपना कारखाना लगाने का निर्णय किया था और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्कूटरों और ट्रैक्टरों के लिए आशय-पत्र और लाइसेंस जारी करना

5175. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 के दौरान स्कूटरों और ट्रैक्टरों के लिए कितने आशय-पत्र और लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) क्या आशय पत्र चौथी और पांचवीं योजना की आवश्यकताओं को पूरा करेंगें ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान स्कूटरों के लिये 8 आशयपत्र तथा ट्रैक्टरों के लिये 3 आशयपत्र और 8 लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) चौथी और पांचवीं योजना में स्कूटरों की अधिकांश जरूरतें वर्ष में दिये आशयपत्रों से पूरी हो जायेगी । चौथी और पांचवी योजना में ट्रैक्टरों की जरुरतें पूरी करने हेतु आशयपत्र और लाइसेंसगत क्षमता पर्याप्त है ।

रूमानिया के सहयोग से छोटा नागपुर एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना

5176. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूमानिया के सहयोग से छोटा नागपुर में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में सरकार रूमानिया के सहयोग से किस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) इस समय रूमानिया के सहयोग से बिहार में उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Implementation of recommendations of second wage Board for working Journalists by Urdu Dailies

5177. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether several Urdu daily newspapers have not yet started paying salary to the working journalists as per recommendations of the Second Wage Board;

(b) if so, the names of such Urdu daily newspapers; and

(c) the action taken by Government for ensuring payment of salaries to the working journalists of the said newspapers as per the recommendations of Wage Board and the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c): The information is being collected.

भावनगर मशीन टूल्स के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

5178. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर मशीन टूल्स परियोजना के सम्बन्ध में दिये गये परियोजना प्रतिवदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1967 में तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार भावनगर मशीन टूल्स परियोजना में विभिन्न प्रकार के लेथो और बोरिंग मशीनों के उत्पादन का प्रस्ताव था।

(ख) विपणन की कठिन स्थिति के फलस्वरूप कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बढती हुई मांग

5179. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश तथा विदेश में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की मांग बढ़ रही है;

(ख) क्या मांग की तुलना में उत्पादन बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या निश्चित कार्यवाही करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : बंगलौर का वर्तमान एच० एम० टी० घड़ी कारखाना संयंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करके 3,60,000 जनानी तथा मर्दानी दोनों प्रकार की सामान्य कलाई घड़ियां बना रहा है। उसने 2,00,000 की निर्धारित वार्षिक क्षमता में बंगलौर में दिन तारीख वाली स्वचालित घड़ियां बनाना भी प्रारंभ कर दिया है। उसने 3,00,000 की वार्षिक क्षमता में सामान्य घड़ियों का निर्माण करने के लिये श्रीनगर में एक नया घड़ी कारखाना स्थापित करने हेतु भी कदम उठाया है। 1973-74 तक कलाई घड़ियों की मांग प्रतिवर्ष 45,00,000 हो जाने का अनुमान है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादन से इस मांग के केवल कुछ अंश को ही पूरा किया जा सकेगा। सरकार ने, मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु 40.79 लाख घड़ियों की कुल क्षमता वाले प्रस्तावों के लिये स्वीकृति दे दी है।

Repatriation of Indians from Sri Lanka

5180. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the arrangements being made by Governament for the rehabilitation of about 30 thousand persons of Indian origin being repatriated from Sri Lanka to India. ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : Under the Indo-Ceylon Agreement 1964, 5,25,000 persons of Indian origin together with the natural increase are to be repatriated from Sri Lanka to India over a period of 15 years. Up to 31st December, 1972, about 79,000 persons arrived from Sri Lanka. During 1973, the influx is likely to be of the order of about 40,000 persons against which 8,067 repatriates have arrived up to 10th March, 1973.

2. The repatriates bringing assets exceeding Rs. 10,000 are not considered for rehabilitation assistance as they are expected to resettle themselves on their own.

3. The following steps have been taken for resettlement of the repatriates bringing assets up to Rs. 10,000 :—

(i) Loans for trade and business up to a ceiling of Rs. 5,000 per family are granted.

(ii) Priority has been accorded for employment under the Central Government through the Employment Exchanges.

(iii) Upper age limit has been relaxed to 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) for appointment under Central Government through the Employment Exchanges.

(iv) Upper age limit has been relaxed by 3 years, and fee concessions have also been granted, in respect of appointments made through competitive examinations held by the Union Public Service Commission.

(v) Special Employment Liaison Officers have been appointed at Madras and Vishakhapatnam to render employment assistance to the repatriates.

(vi) Financial assistance is given for housing upto Rs. 4,100 in urban areas and Rs. 2,050 in rural areas.

(vii) Educational conscessions in the form of grants for purchasing books and stipends. in deserving cases are granted.

(viii) Agricultural families are given assistance as under :—

(a) *Land Colonisation Schemes* : The State Governments have been authorised to sanction individual schemes and to incur expenditure up to a ceiling of Rs. 4,360 per family (Rs. 4,300 as loan and Rs. 60 as grant).

(b) The repatriates who own land in India not exceeding 5 acres each, provided the value of the assets repatriated by them from Sri Lanka together with the value of land owned in India does not exceed Rs. 10,000, are given assistance in the form of loans ranging from Rs. 3,000 to Rs. 4,300 and grant from Rs. 20 to Rs. 60 according to the area of the land owned.

(*d*) Loans are given to repatriates who with to settle in their own villages for purchase of land up to a ceiling of 3 acres per family at a rate not exceeding Rs. 1 000 per acre. In addition, they are given financial assistance for agricultural purposes up to Rs. 4,360 per family.

(ix) The following schemes have been sanctioned for providing employmnet to the repatriates :—

State/Union Territory	*Name of Scheme*
Tamil Nadu . . .	1. Nilgiris Tea Plantations Scheme.
	2. Kannyakumari Rubber Plantation Scheme.
	3. Tiruchender Co-operative Spinnin g Mills, Nazareth.
Mysore . . .	4. Sullia Rubber Plantatioı Scheme.
	5. Raising of Additional Rubber Plantation near Sullia, South Kanara District.
Kerala . .	6. Rubber Plantations in Anchal Reserve, Distt. Quilon.
Andaman and Nicobar Islands . .	7. Rubber Plantation in Katchal Island.
Andhra Pradesh . .	8. Coffee Plantation Scheme in Vishakhapatnam.
	9. Ramagundam Textile Township Scheme.
	10. Co-operative Spinning Mills, Nellore and Rajahmundry.

Note.—2 workers in a family are provided employment in plantations,

(x The Repatriates Co-operative Finance and Development Bank has been set up with headquarters at Madras, for giving loans to the repatriates for small scale industries, business and other commercial schemes.

Compensation to Adivasis for Land coming within Nationalised Mines

5182. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Advasis are not getting due compensation properly for their land acquired in connection with nationalisation of coal mines;

(b) whether he is aware that land of many Adivasis is in the name of the owners of the companies but the Adivasis have been paying land revenue;

(c) whether Government have started payment of compensation in repect of the land coming within the nationalised Mines; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in to Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (d) : Under the Coal Mines (Taking Over of Management) Ordinance, 1973, only the management of the coal mines has been taken over pending nationalisation. There fore, the question of payment of compensation for land acquired in connection with nationalisation of these coal mines does not yet arise. However, provision for payment of and amount to all the owners of the coking coal mines nationalised, has been made under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972.

Countries willing to Maintain peace in Indian Ocean

5183. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the countries which have given their consent and assured their co-operation for maintenance of peace in the Indian Ocean; and

(b) the progress made in this direction.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The 26th session of the United Nations General Assembly adopted Resolution 2832 (XXVI) declaring the Indian Ocean as a Zone of Peace. At its 27th session, the General Assembly adopted Resolution 2992 (XXVII) which set up a 15-Member *Ad-hoc* Committee on the Indian Ocean. Ninty-five countries, including India, voted in favour of the Resolution, none opposed it and 5 countries abstained. The names of the countries which voted in favour and those which abstained are enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T. 4653/73.]

(b) The 15-Member *Ad hoc* Committee which includes India has been set up to study the implications of the proposal with special reference to the practical measures that may be taken in furtherance of the objectives of the Resolution. The *Adhoc* Committee is scheduled to meet from May 21 to 24 and from June 11 to 22. A third meeting is likely to take place in september to finalise the report which will be submitted to the General Assembly at its 28th session.

दण्डकारण्य परियोजना के पुनर्वास कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गये पत्र

5185. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनर्वास कर्मचारी संघ और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा लिखे गये पत्रों की प्राप्ति की सूचना नहीं दी जा रही है और दण्डकारण्य के अधिकारियों द्वारा उनका उत्तर नहीं दिया जा रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसोसिएशन और पुनर्वास कर्मचारी संघ ने दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों के समक्ष अपने कितने मामले रखे और ऐसे कितने मामलों पर निर्णय किया गया ;

(ग) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसोसिएशन और पुनर्वास कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त प से दिये गये मांगों के चार्टर की स्थिति क्या है और चार्टर की कितनी मांगे परी कर दी ई है ; और

(घ) क्या दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों की तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसयेशन एवं पुनर्वास कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत का कार्यवाही वृत्तान्त रकार्ड और जारी नहीं किया जा रहा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जानकारी नीचे दी गई है :—

(क) पुनर्वास कर्मचारी यूनियन द्वारा लिखे गए पत्रों की पावती और उत्तर नहीं दिये जाते हैं क्योंकि परियोजना प्रशासन ने इस यूनियन को मान्यता नहीं दी है। जहां तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसोसिएशन की दण्डकारण्य शाखा के संबद्ध में आवश्यक होता है उनके पत्रों के उत्तर दिए जाते हैं।

(ख) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन ने 1–12–1972 को 38 भागों का मांग-पत्र दिया था। व वैयक्तिक मामलों सहित कई विषयों के बारे में भी लिखते रहते हैं। पुनर्वास कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तुत मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि इस यूनियन को परियोजना प्रशासन की मान्यता नहीं मिली है। 38 मांगों के मांग पत्र की, यद्यपि इसे पुनर्वास कर्मचारी युनियन और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन की दण्डकारण्य शाखा दोनों ही द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है, यह समझकर जांच की गई थी की उसे केवल तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन की दण्डकारण्य शाखा द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है।

(ग) 38 मांगों में से 6 मांगों की जहां तक सम्भव हुआ पूरा कर दिया गया है। शेष मांगे परीक्षाधीन हैं।

(घ) पुनर्वास कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ कोई बात चीत नहीं की जाती है क्योंकि यह मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। जब तृतीय और चतुर्थ श्रणी कर्मचारी एसोसिएशन की दण्डकारण्य शाखा के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक आधार पर बातचीत की जाती है तो उसके कार्यवृत्त को रिकार्ड तथा जारी नहीं किया जाता है।

दंडकारण्य परियोजना के सिंचाई सर्किल में श्रमिकों की छंटनी और उन्हें पुनः काम पर लगाना

5186. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के सिंचाई सर्किल में बांध और टंकी निर्माण कार्यों पर 1959 में मासिक आधार पर लगाये गये श्रमिकों की 1968 में छंटनी कर दी गई थी और उन्हें फिर 'मस्टर रोल' पर रख लिया गया था तथा थोड़े समय पश्चात् फिर निकाल दिया गया था और क्या उनके स्थान पर नये श्रमिकों को काम पर लगा लिया गया था, यदि हां, तो इस के क्या कारण है और उनकी संख्या क्या है ;

(ख) क्या निर्माण तथा सिंचाई सर्किलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को पहली और दूसरी अन्तरिम राहत नहीं दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पुनर्वास कर्मचारी संघ ने मांग की है कि फालतू कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को किन्हीं सरकारी एजन्सियों के माध्यम से वैकल्पिक समान दर्जे का रोजगार देने की व्यवस्था की जाये ; दि हां, तो किस ऐजेन्सी के माध्यम से सरकार वैकल्पिक रोजगार देने पर विचार कर रही हैं ौर कहां पर ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, परियोजना की प्रारम्भिक अवस्था में, जब यातायात के साधनों का विकास न होने के कारण कार्य करना कठिन था, रिहायशी तथा कार्यालय आवास और अन्य सुविधायें अभाव के कारण बहुत से आकस्मिक श्रमिकों को सैकड़ों मील की दूरी पर परियोजना के विभिन्न भागों में तालाबों तथा नहरों आदि को खोदने के लिए नियुक्त करना पड़ा था। उस समय की परिस्थितियों के कारण ईन कामगारों को साप्ताहिक या यहाँ तक पाक्षिक अदायगी करना असम्भव था। इसका यही कारण है कि नहरों आदि की खुदाई पर लगाए गए अकुशल श्रमिकों को जिन्हें मुख्यतया मस्टर रौल के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था, मासिक आधार पर रखना पड़ा था।

1968 में कार्य संबंधी स्थितियों, अर्थात्––यातायात और रिहायशी तथा कार्यालय आवास में पर्याप्त सुधार हो गया था और कार्य को अच्छी तरह से संगठित कर लिया गया था, इस मासिक अदायगी की पद्धति को समाप्त कर दिया गया और श्रमिकों को मस्टर रौल के अधीन कर दिया गया था। फिर भी, किसी कर्मचारी को काम से वंचित नहीं किया गया और इस परिवर्तन के कारण किसी को निकाला नहीं गया।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) दण्डकारण्य परियोजना के फालतू कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को पोटेरु सिंचाई योजना में जिसको अभी हाल में योजना आयोग की स्वीकृति मिली है खपाने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

Claims of Refugees from Pakistan

5188. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of such claims of the refugees coming from Pakistan which are yet to be finally decided; and

(b) the number of such claims, out of them, which have been pending for decision for more than 20 years and the time by which final decision is proposed to be taken on them.

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy): (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

जंजीबार जाने वाले भारतीयों के हितों का संरक्षण

5189. श्री डी० डी० देसाई : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार की सरकार ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि वह अपने प्राकृतिक संसोधनों के विकास के लिये या उसके बारे में उसे परामर्श देने के लिये भारतीय तकनीशनों का स्वागत करेगी ; और

(ख) युगांडा तथा अन्य अफ्रिकी देशों में भारतीय प्रवासियों के कटु अनुभव के संदर्भ में वहां जाने वाले भारतीयों के हितों का संरक्षण करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हमें पुरा विश्वास है कि जो भारतीय तकनीशियन और विशेषज्ञ संविधा के अन्तर्गत जंजीबार में काम करने के लिए जा रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। सरकार ऐसा समझती है कि उगांडा में एशियाई लोगों को जिस अमानवीय ढंग से निकाला गया है वह एक ऐसी घटना है जो अपवाद ही कही जाएगी।

गुजरात राज्य की इस्पात की आवश्यकता

5190. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की वर्ष 1970–71, 1971–72, और 1972–73 में इस्पात की कितनी आवश्यकता थी ; और

(ख) इस अवधि में कितना इस्पात सप्लाई किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात की राज्यवार आवश्यकता नहीं आंकीं जाती है।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

दण्डकारण्य परियोजना में कर्मचारियों के क्वार्टर

5191. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में स्टाफ क्वार्टर जितनी अवधि के लिए बनाये गये थे वह अवधि पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां तो कर्मचारियों को उन क्वार्टरों में रहने की अनुमति देने के क्या कारण है और सामान्य अवधि के पूरा हो जाने के बाद उन क्वार्टरों में रहने वालों से अधिक किराया लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यहां कितने क्वार्टर हैं और उनमें से कितने मामलों में दाण्डिक किराया लिया जा रहा है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

"आर्मी आर्डनेंस कोर" (सेना आयुध कोर) की विघटित/विलय की गई/एकीकृत बचाव (साल्वेज) यूनिटों के कर्मचारी

5192. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना आयुध कोर की बचाव यूनिटों का विघटन, विलय अथवा एकीकरण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बचाव यूनिटों में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों की वरिष्ठता पदोन्नति और स्थानांतरण आदि के संबंध में क्या स्थिति है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) कतिपय बचाव यूनिटों का समीपस्थ मुख्य आयुध संस्थापनों में विलय कर दिया गया है।

(ख) बचाव यूनिटों, में कोई असैनिक गैर औद्योगिक कर्मचारी प्राधिकृत नहीं है। भूतपूर्व बचाव यूनिटों के औद्योगिक कर्मचारी अब उन आयुध संस्थापनों का भाग बन गए हैं जिनके साथ

उनका विलय किया गया है। उनकी वरिष्ठता सामान्य नियमों के अनुसार होती हैं। सामान्यत: यह उनके ग्रेड़ अथवा समकक्ष ग्रेड में उनकी सेवा की अवधि के आधार पर निश्चित की जाती हैं। उनकी पदोन्नति को तदनुसार नियमित किया जाता है। औद्योगिक कर्मचारियों का सामान्यत: स्थानान्तरण नहीं होता है।

इन्स्पेक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स, उत्तर भारत, आनन्द पर्वत, दिल्ली के प्रशासन अधिकारी द्वारा मनमानी छटनी।

5193. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्पेक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स, उत्तर भारत, आनन्द पर्वत, दिल्ली के प्रशासन अधिकारी ने मनमाने ढंग से कुछ वरिष्ट कर्मचारियों की छटनी कर दी है और उन्हें कही बाहर नियुक्त कर दिया है जबकि अपनी पसन्द के कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को यूनिट में बनाये रखा है ;

(ख) यदि हां, तो छटनी किए गए तथा बनाए रखे गए कर्मचारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) दोषी अधिकारी, जिसने रक्षा निरीक्षण संस्थान के उच्च अधिकारियों की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाई है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इन्स्पेक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स, उत्तर भारत, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली के कार्यभार का पुनरीक्षण करने के फल स्वरूप कुछ पदों को फालतू घोषित कर दिया गया था। विभिन्न ग्रेडों में हुए फालतू कर्मचारियों को या तो उसी युनिट में वैकल्पिक पदों पर खपा लिया गया था या उन्हें दिल्ली ही में अन्य कार्यालायों/यूनिटों में कठोरता से कनिष्टता के आधार पर स्थानान्तरित किया गया था केवल उन मामलों को छोड़कर जिन्होंने दिल्ली में दूसरी यूनिटों में स्वेच्छा से स्थानान्तरण स्वीकार किया था तथा एक कनिष्ठ आराकश को एक समकक्ष पद पर दिल्ली में एक सिविल कार्यालय में अधिमान देकर तैनात कर दिया गया था जब कि एक वरिष्ठ कर्मचारी को इन्सपैक्टोरेट में उपलब्ध वैकल्पित पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था। केवल सात कर्मचारियों को जिन्होंने वैकल्पिक नियुक्तियों को मंजूर नहीं किया था उन्हें सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सेवा मुक्त कर दिया गया था।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

कानपुर छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

5194. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं ;

(ख) क्या कुछ निर्वाचित सदस्यों ने रक्षा मंत्री, सेना भूमि तथा छावनी निदेशक तथा अन्य अधिकारियों के पास अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ग) क्या एक संसद सदस्य ने भी रक्षा मंत्रालय को अपना अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) जी हां, श्रीमन्। एक जांच की गई थी। यह पाया गया कि छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रशासन की उन कतिपय कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जो प्रकाश में आई हैं।

उत्तर पश्चिमी भारत में भारी उद्योग आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव

5195. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिमी भारत में अर्थात् जम्मू तथा काश्मिर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में कोई भारी उद्योग प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है जैसा कि इन प्रदेशों के लोगों द्वारा समय-समय पर मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय उक्त प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में भारी परियोजना शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के संबंध म भू-गर्भीय सर्वेक्षण

5196. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1965-66 के क्षेत्र सत्र में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गागल क्षेत्र में सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयुक्त चुनाश्म का अन्वेषण सम्पूरित किया गया।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, सर्वेक्षण पद्ध मानचित्रण, गर्त्तन, खदान और प्रतिचयन द्वारा बिलासपुर जिले के गागल क्षेत्र में चूनाश्म की लगभग 1180 लक्ष टन की उपलभ्य राशियों अनुमानित की गई है। इसमें से 1095 लाख टन सीमेंट श्रेणी चूनाश्म और शेष इस श्रेणी से निम्न का चूनाश्म है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यधन द्वारा और आगे विस्तृत अन्वेषण किया है।

चूंकि यह निक्षेप सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, अत: भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यह सिफारिश की गई है कि औद्योगिक और आर्थिक पहलूओं को देखते हुए इस क्षत्र के लिए सीमेंट संयंत्र की संभावना का अध्ययन किया जाना चाहिए।

भारतीय क्षेत्र में जासूसी करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अमरीकी जासूसी वायुयानों का उपयोग

5197. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र पर जासूसी करने के लिए अमरीकी जासूसी वायुयानों का उपयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत 1972 के वर्ष में इन जासूसी वायुयानों के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर की गई तथा भारत द्वारा पता लगाई गई उड़ानों संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने भारत स्थित स्विटजरलैण्ड के दूतावास की मार्फत विरोध प्रकट किया है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस विषय पर सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

'राकेट प्रोपेलेट' तथा विस्फोटक कारखाने का निर्माण और विस्तार

5198. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'राकेट प्रोपेलेट' और विस्फोटक कारखाने जो भंडारे आयुद्ध कारखाने का अंग है, के निर्माण और विस्तार के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) समूचा कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) उक्त कारखाने के पूरा हो जाने और पूरी क्षमता पर उत्पादन आरंभ करने पर कारखाने का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ;

(घ) यह कारखाना किस सीमा तक देश की आवश्यकतायें पूरी करेगा ; और

(ङ) क्या राजस्थान में भी संबद्ध कारखाना स्थापित किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मुख्य संयंत्र प्राप्त हो चुका है। सहायक संयंत्र भी आने आरम्भ हो गए हैं। सिविल वर्क भी कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है।

(ख) समूचा कार्य 1974 के मध्य तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) जब संयंत्र चालू हो जायेगा तो फैक्टरी, योजना के अनुसार, विशेष प्रकार के प्रोपेलेट तथा बलास्टिक्स की आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम होगी।

(ङ) जी नहीं, श्रीमन्।

Housing facilities to Coal Mine Labourers

5199. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of coal mine labourers in the entire country;

(b) the number thereof before the nationalisation of coal industry and the extent of increase in their number thereafter; and

(c) the number of labourers out of them provided with Government houses and the details of the scheme for the remaining labourers who have not been provided houses?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) The number of workers in Coal Mines in 1971 was 3,82,250.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The houses to coal miners are not provided by Government. However, there are four Housing Schemes, *viz.*, (i) New Housing Scheme, (ii) Low Cost Housing Scheme, (iii) Build your own house Scheme, and (iv) Co-operative Housing Scheme, sponsored by the Coal Mines Welfare Fund Organisation and colliery managements are required to avail of the assistance under these schemes. The total number of houses constructed with Funds, assistance is 68,978.

Hindi Translators in Ministry of Labour and Rehabilitation

5200. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Hindi Translators/Hindi Assistants in his Ministry and their scales of pay; and

(b) the number of permanent and temporary Translators out of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) The number of Hindi Translators/Hindi Assistants in the Ministry (Main) is as follows :

(i) Department of Labour (Main)	4
(ii) Department of Rehabilitation (Main)	2
TOTAL .	6

Scales of Pay

Senior Translator	Rs. 320-530
Junior Translator	Rs. 210-425
(b) Permanent	Nil
Temporary	Six

Hindi Translators and Assistants in Defence Ministry

5201. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of Hindi Translators/Hindi Assistants in his Ministry and their scales of pay; and

(b) the number of temporary and permanent Translators out of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) & (b) : There are three posts of Hindi Translators in the Ministry of Defence Secretariat. One of these posts is in Grade I (Scale: Rs. 320-15-425-EB-15-530) and the remaining two in grade II (Scale : Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425). The incumbents of all the three posts are temporary. There is no post of Hindi Assistant.

अनुसूचित जातियों / अनुसचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र में पदों का आरक्षण

5202. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिये आरक्षित पद बोकारो इस्पात संयंत्र में पूरी तरह नहीं भरे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निकट भविष्य में इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गये पदों की संख्या सरकारी निर्देश के अनुसार नहीं है।

(ख) इन जातियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु किए गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

1. अर्हता तथा अनुभव के मामलों में उचित रियायत/ढील देना।

2. रिक्तियों की सूचना राज्य के अनुसचित जातियों या अनुसचित जनजातियों के मान्यता-प्राप्त संगठनों को दी जाती है। यह सूचना उस क्षेत्र के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के संसद सदस्यों को भी दी जाती है।

3. केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए एक विशेष आपरेटिव का प्रशिक्षण पाने हेतु एक विशेष प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

4. वित्त मंत्रालय में सरकारी उद्यम ब्यूरों से कहा गया है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुभवी इंजीनियरों के नाम भेज ताकि इस्पात कारखानों में उन की नियुक्ति के मामल पर विचार किया जा सके।

5. बिहार के रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशक से कहा गया है कि वह रिक्तियों की सूचना छोटा नागपूर क्षेत्र में स्थित अन्य रोजगार कार्यालयों को भी दे ताकि इस्पात कारखानों में भर्ती के लिए ऐसे उम्मीदवारों की उपलब्धि में वृद्धि हो सक ।

उच्च कार्बन वाले इस्पात का उत्पादन

5203. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1971–72 तथा 1972–73 वर्षों के दौरान उच्च कार्बन वाले इस्पात का कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य का उत्पादन हुआ; और

(ख) देश में उपरोक्त अवधि में कुल कितनी खपत हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ऐसा मालूम हुआ है कि वर्ष 1971–72 में अधिक कार्बन वाले इस्पात का उत्पादन लगभग 5.2 लाख टन हुआ है। वर्ष 1972–73 के उत्पादन के आंकड़े तथा 1971–72 और 1972–73 के उत्पादन मूल्य के आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायगे।

(ख) उत्पादन तथा आयात के आधार पर (निर्यात नहीं के बराबर है) 1971–72 की खपत का अनुमान लगभग 7 लाख टन है। वर्ष 1972–73 की खपत के आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिये ठेकेदार

5204. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न कार्यों अर्थात् सिविल कार्य, संयंत्र लगाने के कार्य आदि को पूरा करने के लिए किन ठेकेदारों को ठेका दिया गया था और ठेकेदार–अनुसार ठेके के कार्य का मूल्य क्या है; और

(ख) उनमें से कितने ठेकेदारों की राशि को ठेका इस्तावेजों में रखी गई सोपानधारा के अन्तर्गत बढ़ाया गया और कितना बढ़ाया गया?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों के लिये परामर्शदात्री सेवा

5206. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के अब तक चालू किये जा चुके अथवा निर्माणाधीन और चालू किए जाने वाले विभिन्न इस्पात संयंत्रों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए किन-किन व्यक्तियों/संगठनों को ठेके दिये गये थे;

(ख) प्रत्येक परामर्शदाता को परियोजना अनुसार तथा मद-अनुसार यदि कोई धनराशि दी गई है तो कितनी; और

(ग) क्या परामर्शदाता ठेके की, शर्तों के अनुसार और निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कर सकें हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाये गये सरकारी उपक्रम

5205. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाए गए हैं और नए भारी उद्योग मंत्रालय के गठन से पूर्व इन उपक्रमों के कार्य का पर्यवेक्षण कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग कर रहे थे;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन उपक्रमों में एकक-वार, कुल कितना पूंजी निवेश कर रखा है; और

(ग) इनमें से कितने सरकारी उपक्रमों को गत दो वर्षों में हानि हुई और प्रत्येक को कितनी हानि हुई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4654/73**]

भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों का विस्तार

5207. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों के प्रस्तावित विस्तार की तकनीकी एवं आर्थिक रिपोर्ट कौन सा प्राधिकरण/अभिकरण तैयार करेगा ;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होगा और रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो जायेगी ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विकसित तकनीकी जानकारी विस्तार संबंधी ऐसी तकनीकी एवं आर्थिक रिपोर्ट तैयार कर सकने के लिए पर्याप्त नहीं है ; और

(घ) क्या विस्तार योजनाओं को पूरा करने का काम गैर-सरकारी एजेंसियां को सौपा जाएगा या सरकारी एजेंसियों को ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता का 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करन के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने और इसका आगे लगभग 70 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करने के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरों, बोकारो इस्पात कारखान का लगभग 100 लाख टन पिण्ड क्षमता तक विस्तार करने के लिए भी शक्यता प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने के 40 लाख टन पिण्ड चरण के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन जून 1973 तक तथा इसके 70 लाख टन पिण्ड चरण के लिए शक्यता प्रतिवेदन के मई 1973 तक तैयार हो जाने की संभावना है। बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए शक्यता प्रतिवेदन सितम्बर 1973 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। अभी यह मालम नहीं है कि इन रिपोर्टों को तैयार करने पर कुल कितनी लागत आएगी/खर्च होगा।

(ग) यह प्रतिवेदन सरका ी क्षेत्र के भारतीय सलाहकारों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और जहां कहीं आवश्यक होगा सोवियत अभिकरणों से तकनीकी सहायता ली जाएगी।

(घ) विस्तार योजनाओं का कार्य मुख्यत: सरकारी क्षेत्र में इन कार्यों को करने के लिए उपलब्ध अभिकरणों से कराया जाएगा।

Raising of People's Army by Pakistan

5208. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report that Pakistan is raising there a huge people's army of the persons in the group of 18 to 55 years; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) A careful watch is kept on developments in Pakistan having a bearing on our security.

भारी उद्योगों पर व्यय

5209. श्री विभूति मिश्र : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारी उद्योगों पर सरकार कुल कितना खर्च करती है ;

(ख) प्रत्येक उद्योग का कुल उत्पादन कितना है ; और

(ग) सरकार को इन से कितना लाभ होता है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : ऐसा समझा जाता है कि यह प्रश्न सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों से संबंधित है जो कि अब इस मंत्रालय के परीवीक्षा के अधीन हैं। इन सभी एककों में सरकार द्वारा किये गये निवेश, वर्ष 1971–72 की अवधि में हुए उत्पादन तथा वर्ष 1971–72 की इसी अवधि में प्रत्येक एकक में हुए लाभ/हानि की जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4655/73]

महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर काठमांडु जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं देना

5210. श्री विभूति मिश्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाशिवरात्री पर्व के अवसर पर लाखों भारतीय तीर्थयात्री प्रति वर्ष काठमांडू (नपाल) की यात्रा करते हैं ;

(ख) उन तीर्थयात्रियों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार काठमांडू जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी वही सुविधाएं देने का है जो हज जाने वाले यात्रियों को दी जाती हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

(क) प्रति वर्ष अनुमानतः 30,000 और 40,000 के बीच भारतीय तीर्थयात्री महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर काठमान्डू की यात्रा करते हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार हज यात्रियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं की तरह काठमान्डू जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करती क्यों कि महामहिम नपाल की सरकार द्वारा इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है ।

औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए उपाय

5211. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में औद्योगिक सम्बन्धों की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कोई सहमत उपाय अपनाने हेतु कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ किए गए परामर्श के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : औद्योगिक सम्बन्ध प्रणालियों में सुधार करने के सम्बन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधि अभी तक कोई सम्मत आधार का सुझाव देने में समर्थ नहीं हुए हैं। इस लिए इस संबंध में हुए अनेक विचार

विमर्शों और व्यक्त किए गए मतों को ध्यान में रखकर सरकार स्वयं ही इस मामले पर विचार कर रही है ।

गत तीन वर्षों में जारी किये गये पारपत्र

5212. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार, विदेशों के लिए सरकार द्वारा कितने नये परिपत्र जारी किये गये; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने पारपत्रों का नवीकरण किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

(क) और (ख) : 1970 तथा 1971 में जारी किए गए और नवीकृत पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :–

जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या

1970 . .	2,91,880
1971 . .	2,59,994

नवीकृत पासपोर्टों की संख्या

1970 . .	1,42,456
1971 . .	1,41,048

(रिकार्ड उपलब्ध न रहने के कारण पाकिस्तान स्थित हमारे मिशन द्वारा जारी तथा नवीकृत पासपोर्टों से सम्बद्ध सूचना उपर्युक्त आंकडे में शामिल नहीं है ।

1972 में जारी पासपोर्टों से सम्बद्ध सूचना एकत्न की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

केरल का भू–गर्भीय सर्वेक्षण

5213. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री 10 अगस्त, 1972, के तारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में लोहे–अयस्क के कुल निक्षेपों का पता लगाने के लिए भारतीय भू–विज्ञान **सर्वेक्षण विभाग की जांच की अद्यतन स्थिति क्या है ;**

(ख) क्या उहोंनें जांच पूरी करली है; और

(ग) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में केरल में इस्पात कारखाना लगाने के प्रश्न पर निर्णय ले लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुख देव प्रसाद) :

(क) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कोजिकोडे के चेरूपा, एवलीटूटीमाला नामिन्दा और नादुवेत्तुर के चार निक्षेपों में लोह अयस्क के लिए व्यधन द्वारा अन्वेषण सम्पूरित हो गए है और रिपोर्टें प्राप्त हो गई है । समीपवर्ती आलमपारा निक्षेप में, जो **प्रगति में है, अन्वेषण मई, 1973 में सम्पूरित हो जाने की आशा है । माल्लापूर जिले के कोराट्टीमाला, नीलाम्बर क्षेत्र में नवम्बर, 1972 में लौह अयस्क का पूर्वेक्षण आरम्भ हुआ**

और जुलाई, 1973 तक व्यधन द्वारा प्रारंभिक समन्वेषण किए जाने की सम्भावना है। चेरुपा, ऐलीट्टीमाला, नांमिन्दा और नादुवेल्लुर के चार निक्षेपों में अस्वीकृत और अनास्वीकृत अयस्क की 31 और 42 प्रतिशत वाली लगभग 440 लाख टन की उपलब्ध राशियां अनुमानित की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आलमपारा क्षेत्र में लौह अयस्क के भूवैज्ञानिक अन्वेषण के पूरे होने और सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में विनिश्चय लिया जा सकता है।

बीडी और सिगार अधिनियम, 1966 को लागू करना

5214. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 14 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीडी और सिगार मजदूर (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या इसके लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस अधिनियम में उचित संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राज्य सरकारें बीडी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 को पूर्णतः लागू नहीं कर सकी है क्योंकि बीडी प्रतिष्ठान मालिकों / संघों ने इस अधिनियम के अधिकार को चनौती देते हुए काफी संख्या में रिट् याचिकाएं दायर कर रखी है और इन मामलों में अधिनियम के लागू किए जाने पर रोक के बारे में मंजूरी आदेश दिए जा चुके है। उच्च न्यायालयों में से कुछ के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पडी हैं। इन मामलों का शीघ्र निपटान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रहने वालों की सूची

5215. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों की कोई सूची बना रखी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी हां। विदेशों में हमारे मिशन अपने अपने कोंसली कार्यक्षेत्र में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की सूची तो रखते हैं लेकिन यह सूचियां आमतौर से अधूरी होती है और इसका स्पष्ट कारण यही है कि अक्सर उन्हें हरेक भारतीय राष्ट्रिक के बारे में सूचना नहीं मिल पाती है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधीन क्वार्टरों का अनधिकृत कब्जा

5216. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राऊरकेला इस्पात संयंत्र के अन्तर्गत कितने क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा हुआ है; और

(ख) इस्पात संयंत्र अधिकारियों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 20–3–72 को 332 क्वार्टर अनधिकृत कब्जें में थे। इनमें 300 मामले ऐसे हैं जिनमें भूतपूर्व कर्मचारी क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं।

(ख) भूतपूर्व कर्मचारियों के लगातार अनधिकृत कब्ज के मामलों में उनकी बेदखली करने के लिए न्यायालय में मुकदमें दायर किए जाते हैं। इस के अलावा अन्य प्रशासनिक उपाय, जैसे जहां कहीं सम्भव हो विभागीय कार्यवाही करना, ठेकेदारों के भतपूर्व कर्मचारियों के हिसाब के अन्तिम भुगतान को रोकना आदि, भी किए जाते हैं। दूसरे मामलों में आपराधिक अतिचार के मामलों में पुलिस की मार्फत कार्यवाही की जाती है। खाली क्वार्टरों पर कड़ा पहरा रखने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

बोगस पार्टियों को इस्पात के कोटे का आबंटन

5217. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस्पात का कोटा कई बार बोगस पार्टियों को दिया गया है;

(ख) पता लगाई गई बोगस पार्टियों के नाम क्या है; और

(ग) क्या बोगस पार्टियों को कोटा देने के कारण अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) संशोधित वितरण नीति के अन्तर्गत कोटे देने की प्रथा, जो मई 1970 से लागू थी, समाप्त कर दी गई है। फिर भी इस्पात के दुरूपयोजन के मामले जिनमें अविद्धमान फर्मों के मामले भी शामिल है, ध्यान में आए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या कल० टी० **4656/73**]

(ग) जिस काम के लिए इस्पात दिया गया हो अथवा मांगा गया हो उससे भिन्न किसी काम के लिए इस का इस्तेमाल एक दण्डनीय अपराध है। जब कभी एसा दुरुपयोजन सिद्ध हो जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी।

यदि इस प्रकार के दुरुपयोजन में अधिकारियों की सापराधिता सिद्ध हो जाती है तो संबंन्धित अधिकारियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जाएगी।

निकल परियोजना के मुख्यालय को भुवनेश्वर स्थानान्तरित करना

5218. श्री **श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या क्योंझर स्थित उडीसा का निकल परियोजना का मुख्यालय दिल्ली से भुवनेश्वर स्थानान्तरित किया जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : उडीसा में सकिन्दा क्षेत्र में निकल परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस परियोजना के कार्य की देखभाल करने के लिए हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है । इस समय, विशेष कार्य अधिकारी का कार्यालय दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि

5219. **श्री चन्दुलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी और इस संयंत्र के लिए कृषकों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) संयंत्र दवारा इस समय कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) अनधिकृत व्यक्तियों ने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने का कार्य 1955 में आरम्भ हुआ था। इस कारखाने के लिए कुल 28,669 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी। इसमें से 20,522 एकड़ भूमि कृषकों से अर्जित की गई थी।

(ख) और (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को छुट्टी यात्रा रियायत

5220. **श्री चन्दुलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीय कर्मचारियों को किसी समय 'छुट्टी यात्रा रियायत' के रूप में धनराशि दी जाती थी और अब यह समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या भर्ती के समय अन्य राज्यों के बहुत से व्यक्ति अपने को मध्य प्रदेश के वासी बता देते है परन्तु कुछ समय के पश्चात वे अपने अपने मूल राज्यो में जाने के लिए 'छुट्टी यात्रा रियायत' मांगने लगते है, और

(ग) कितने कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों में 'छुट्टी यात्रा रियायत' का लाभ उठाया और कितनी राशि प्राप्त की ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने "छुट्टी यात्रा रियायत" को वापिस नहीं लिया है । केवल वर्ष 1969 के लिए यह अतिरिक्त रियायत दी गई थी कि कर्मचारी अपने घोषित मूल निवास स्थान (होम टाउन) के अलावा अन्य स्थान की यात्रा कर सकता था किन्तु उसे दोनो तरफों के किराये में प्रत्येक तरफ की यात्रा के लिए 750 किलोमीटर तक की ही प्रतिपूर्ति हो सकती थी। यह रियायत 1969 के बाद भी 3 महीने के लिए उन कर्मचारियों के लाभ के लिए बढा दी गई थी जिन्होंने 1969 में इस रियायत का लाभ नहीं उठाया था। इसके बाद इसे और आगे नहीं बढाया गया।

(ख) जी, नहीं। भर्ती के समय कर्मचारियों को अपने स्थायी निवास स्थान (होम टाऊन) की घोषणा करनी होती है जो नियमानुसार छुट्टी यात्रा रियायत के लिए भी मूल निवास स्थान (होम टाउन) माना जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों में उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होनें छुटटी यात्रा रियायत का लाभ उठाया है तथा उनको दी गई राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	राशि (लाख रु०)
1969-70	15,552	49.22
1970-71	10,750	25.30
1971-72	9,969	29.17

भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों और श्रमिकों को सवारी भत्ता

5221. **श्री चन्दुलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को कोई सवारी भत्ता दिया जाता है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों ने इसका लाभ उठाया और गत दो वर्षों में कुल कितनी धनराशि का व्यय हुआ ;

(ग) अधिकारियों को छोड कर, श्रमिकों को कितना भत्ता दिया जाता है; और

(घ) क्या पांच मील वे इस से अधिक दूरी से आने वाले श्रमिकों को यह भत्ता नहीं मिल रहा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वित्त वर्षो अर्थात 1970-71 और 1971-72 में 1050 अधिकारियों को सवारी भत्ता दिया गया है और इस अवधि में उन्हें सवारी भत्ते के रूप में कुल 18.78 लाख रुपए दिए गए हैं।

(ग) अधिकारियों को छोडकर कर्मचारियों को 13 रुपये मासिक दर से परिवहन सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए, जिन्हें कारखानें/बस्ती/खानों में अपनी डयूटी पर अधिक घूमना पडता है और जिन्हें प्रायोजना की तरफ से साइकिलें नहीं दी गई है, 6 रुपए मासिक दर से साइकिल भत्ता भी दिया जाता है।

(घ) जो कामगार अपने काम करने के स्थान से 5 किलो मीटर अथवा इससे अधिक दूरी पर रहते वे यदि कंपनी की सवारी इस्तेमाल नही करते है तो उन्हें सवारी भत्ता दिया जाता है।

माना शिबिर में शरणार्थी

5222. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायपुर जिला (मध्य प्रदेश) के माना शिबिर में कितने शरणार्थी है;

(ख) क्या इस जिले में कोई और भी शरणार्थी शिविर है और यदि हां, तो इस शिविर में कितन शरणार्थी हैं;

(ग) इस शिविर में शरणार्थी कब आये थे और क्या इस शरणार्थी शिविर को स्थायी बनाया जा रहा है; और

(घ) इस शिविर की स्थापना से लेकर अब तक वर्ष-वार इस पर कितना व्यय किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) 17-3-1973 को जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) के माना शिविर समूह में 93,050 व्यक्तियों के 22,184 शरणार्थी परिवार रह रहे थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उन शरणार्थियों को, जो 1-1-64 से 25-3-1971 के बीच आए थे, माना शिविर समूह में आवास दिया गया है। ऐसा प्रस्ताव है कि जैस ही शरणार्थियों को पुनर्वास स्थलों पर भेज दिया जाएगा, आवाजाही केन्द्र बन्द कर दिए जाएंगे।

(घ) 1964 से माना शिविर समूह के संबंध में अब तक किया गया खर्च संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1964 से माना शिविर समूह पर किया गया खर्च

वर्ष	रुपए
1964-65	4,03,16,040
1965-66	2,07,32,263
1966-67	1,31,40,661
1967-68	1,15,17,328
1968-69	1,35,14,323
1969-70	1,31,07,644
1970-71	6,17,14,830
1971-72	3,89,87,733
1972-73	3,24,83,000 (अनंतिम फरवरी, 1973 तक)
योग	24,55,13,822

बंगला देश से आए शरणार्थियों पर किया गया खर्च निम्न है :—

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1971-72	340.42
1972-73	2.25

(फरवरी, 1973 के अंत तक)

दण्डकारण्य परियोजना में बसे परिवार

5223. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उडिसा में दण्डकारण्य परियोजना में कितने परिवारों को बसाया गया है;

(ख) इस परियोजना में किन स्थानीय जनजाति के कितने परिवारों को बसाया गया है;

(ग) इस परियोजना पर शुरू से लेकर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों में वर्ष वार उन सरकारी कर्मचारियों पर कितना व्यय किया गया है जो इस परियोजना में काम करते है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार वहां पर सदा के लिए कर्मचारियों को बनाये रखने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के 16,015 परिवार बसाए जा चुके है । इनमें से, 9,346 परिवार उडीसा में तथा 6,669 परिवार मध्य प्रदेश में बसाए गए है ।

(ख) जनजाति के 3,407 परिवार बसाए गए है। इनमें से 2,342 परिवार उडीसा में और 1,065 परिवार मध्य प्रदेश में बसाए गए है।

(ग) और (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ङ) दण्डकारण्य परियोजना के कुछ और समय तक चालू रहने की संभावना है । इस लिए परियोजना कार्य के पूर्ण होने तक अपेक्षित स्टाफ को बनाए रखना आवश्यक होगा ।

मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी को हाथ में लेने के संबंध में केन्द्र से परामर्श

5224. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी को अपने हाथ में लेने के संबंध में तामिलनाडु सरकार ने केन्द्र से परामर्श नहीं किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुख देव प्रसाद) :

(क) और (ख) : तामिलनाडु के मुर्ख्य मंत्री ने 26 फरवरी, 1973 को तमिलनाडु विधान सभा 1973-74 के लिए अपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी का, उसके राष्ट्रीयकरण किए जाने तक प्रबंध ग्रहण करने के संबंध में अख्यापित किया था। उक्त अख्यापन से पूर्व तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श नहीं किया था, तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) विधेयक, 1973 का प्ररूप भारत सरकार को अग्रसारित किया गया था । उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायक्साइड प्लांट की स्थापना

5225. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 3,600 टन वार्षिक क्षमता वाला एक इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायक्साइड प्लांट स्थापित करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :

(क) से (ख) : सरकारी क्षेत्र में 3 करोड रुपये की पूंजीगत लागत से देश में, विकसित प्रक्रिया पर आधारित 10 टन दैनिक क्षमता का एक एलक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायक्साइड संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

सिधी जिला (मध्य प्रदेश) का वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण

5226. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सिधी जिले में किए गए वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ख) सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप इस जिले के औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं है; और

(ग) इन संभावनाओं के शीघ्र समुपयोजन के लिए क्या उपाय किए जाने है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :

(क) मई में जून 1972 के दौरान मध्य प्रदेश के सिधी जिले के केन्द्रीय और उत्तरी भागों में चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय और वर्णक्रम मापी सेन्सरों का प्रयोग करते हुए बहु-उपकरण हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण किए गए। उडान स्थल पर प्रारंभिक आंकडों के विश्लेषण ने कुछ उदीयमान भूभौतिकीय असंगतियां उपदर्शित की है, जिनका धरातल पर परीक्षण करना होगा। तथापि, पेरिस के बी० आर० जी० एम० से, जो यह सर्वेक्षण करते है, हवाई भूभौतिकीय आंकडों का विस्तृत विश्लेषण और निर्वचन अपेक्षित है ।

(ख) जिले में इस सर्वेक्षण पर आधारित औद्योगिक विकास की संभाव्यताओं को ज्ञात करना समय पूर्व की बात है । यह विनिश्चय लेने से पूर्व कि क्या खनिजों के कोई वाणिज्यिक कार्य योग निक्षेप विद्यमान है, भूतल सर्वेक्षणों को सम्पूरित करना होगा।

(ग) समन्वेषण के संपूरण के पश्चात और उदीयमान पूर्वेक्षण को अवस्थापित करने के पश्चात ही किसी निक्षेप का समुपयोजन किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश में बढिया किस्म (हाई ग्रेड) के बाक्साइट के निक्षेप

5227. **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बढिया किस्म के बक्साइट के विशाल निक्षेप आरक्षित कर रख है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें निकालने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) इन्हें निकालने का निर्धारित समय क्या है; और

(घ) क्या किसी निर्धारित समय के अभाव में सरकार का विचार इन क्षेत्रों को ऐल्यूमीनियम उत्पादन यूनिटों की स्थापना हेतु गैर सरकारी उपक्रमों को देने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :

(क) जी हां ।

(ख) से (घ) : भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, अपने कोरबा ऐल्यूमिनियम संयंत्र के लिए अमरकंटक (जिला शाहडोल) और फुल्कापहाड (जिला बिलासपुर) में बाक्साइट निक्षेपों में कार्य कर रही है । उपर्युक्त क्षेत्रों की अनुमानित उपलभ्य राशियां 110 लाख टन है जो कि कोरबा ऐल्यूमिनियम संयंत्र के लिए लगभग 18 से 20 वर्ष तक के लिए ही पर्याप्त होगी। चूंकि ऐल्यूमिनियम संयंत्र का आर्थिक जीवन 20 वर्ष से अधिक है, कोरबा ऐल्यूमिनियम संयंत्र का भावी संक्रिया के लिए अतिरिक्त बाक्साइट वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त भविष्य में परियोजना की क्षमता के विस्तारण के लिए और सोवियत सहायता से स्थापित किए जाने वाले नए ऐल्यूमिनियम संयंत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भी अतिरिक्त उपलभ्य राशियों की आवश्यकता होगी। उपलभ्य राशियों के निक्षेपों के समुपयोजन के लिए समय सारणी उपदर्शित नहीं की जा सकती है क्योंकि सोवियत संगठनों द्वारा तकनीकी और आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए संविदा निबंधन अभी भी विचाराधीन है। प्राइवेट दलों को अनुदान के लिए क्षेत्रों को निर्मुक्त करने पर केवल उसी दशा में विचार किया जा सकता है जबकि वह क्षेत्र पब्लिक सेक्टर समुपयोजन के लिए अपेक्षित नहीं हो ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा सुरंगे बिछाने का कार्य

5228. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पाकिस्तान के बड़े नगरों में पाकिस्तानी सैनिक जमाव के समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या गत तीन महीनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सीमा में सुरंगे बिछाने के कार्य की और भी भारत सरकार का ध्यान गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : यह सूचित किया गया है कि पाकिस्तानी संरचनाओं में से कुछ जो पहले सीमा पर लगाई हुई थी उन्हें अब मुख्य छावनी शहरों में स्थित उनके स्थायी स्थानों पर भेज दिया गया है। पाकिस्तानी सेनाएं सीमा क्षेत्रों में अपनी रक्षा तैयारी में भी सुधार कर रही है।

(ग) सरकार पाकिस्तान में सैनिक गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए है।

Decline in Production of I.I.S.Co.

5229. Shri Lalji Bhai :

Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the production in the Indian Iron and Steel Company has considerably declined in 1972 as compared to that in 1971;

(b) whether about 60 thefts were committed in the said company during the latter six months of 1972 and the goods so stolen were taken out of the factory by keeping in rail engines; and

(c) if so, the facts thereof and the action being taken this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) :

(a) Yes, Sir. The figures of production for the calendar years 1971 and 1972 are as under:

	Steel Ingots (in tonnes)	*Saleable Steel* (in tonnes)
1971 . .	638,214	504,058
1972	462,817	332,657

(b) During the period July to December, 1972, the total number of thefts reported was 230 out of which 143 related to thefts of brass bearings. Out of these, in 41 cases the security and watch and ward staff recovered the stolen articles. One of the means of stealing is by the use of rail engine.

(c) The management of the company has been taken over by Government with effect from the 14th July, 1972, in order to improve the management and to arrest deterioration in production. A rehabilitation programme has been drawn up to restore the plant to its rated capacity and it is being implementsd.

Every effort is being made to prevent the thefts and to investigate those that occur inspite of the precautions and to award punishment to those proved guilty.

कर्मचारियों की सुरक्षा

5230 डा० हरिप्रसाद शर्मा :

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनें चलान वालों की सुरक्षा की नितान्त उपेक्षा की गई है और औद्योगिक दुर्घटनाएं कुछ समय से 'महामारी' की सीमा तक बढ़ गई हैं जैसा कि 4 मार्च, 1973 के 'टाइम्स वीकली' में बताया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं और मरने वालों तथा गम्भीर रूप से घायल होने वालों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) औद्योगिक सुरक्षा के लिए इन वर्षों में क्या उपाय किए गए और औद्योगिक दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और इन दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों को पर्याप्त मुआवज़ा दिलाने के लिए और कौन से कानूनी तथा अन्य उपाय किए जाएंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) : 1969, 1970 और 1971 वर्षों के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण चोटों की संख्या नीचे दी जाती है :—

कारखानों में चोटों की संख्या

वर्ष	घातक	गैर घातक	जोड़
1969	618	261,997	262,615
1970	613	287,495	288,108
1971 (अनंतिम)	584	319,589	320,173

1972 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कारखाना अधिनियम के अधीन निर्मित राज्य कारखाना नियमों द्वारा निर्धारित की गई सरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को, जहां कहीं आवश्यक हो गया है, लागू किया जा रहा है, उन्हें निरन्तर पुनरीक्षीत, अभिवर्धित और सुधारा जा रहा है। राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और शिक्षा भी दी जा रही है। सरक्षा उपायों को सबल बनाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन भी विचाराधीन है। घायल श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन जहां वे लागू हैं प्रतिकार का भुगतान किया जाता है।

Financial Help to Suppliers of Raw Materials to Defence Department

5231. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the entrepreneurs, who supply raw material required by the Defence Department, are given liberal financial assistance and if so, the terms thereof and the names of the goods together with the names of the entrepreneurs given financial assistance for supply thereof during the years 1971 and 1972 indicating the amount of financial assistance given; and

(b) whether the entrepreneures are given financial assistance and other kind of co-operation for the import of raw material and if so, the names of the goods together with the value thereof for the import of which co-operation was given to them during the year 1972?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Defence Production) (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) & (b) : Raw materials are procured by the Ordnance and Departmental factories as well as by public sector undertakings under the aegis of Ministry of Defence. In many cases, assistance is given to the entrepreneur for import of raw material particularly for manufacture of components, sub-assemblies, assemblies and complete equipment etc. There are however, a number of procurement agencies for the Defence Services like DGS&D, Department of Defence Supplies, Service Headquarters Store Depots, Departmental and Ordinance Factories and public sector undertakings under the aegis of Ministry of Defence etc.

For answering the question of the Hon'ble Member, it will be necessary to collect information from a large number of sources, which will be time consuming. The effort put in may not be commensurate with the advantage likely to be gained.

Technical Co-operation provided under I.T.E.C. programme during 1971-72

5232. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether an amount of rupees one crore was provided for technical cooperation for the year 1971-72 under Indian Technical and Economic Cooperation Programme ; and

(b) if so, the names of the countries where this amount was spent on providing technical cooperation, the amount given to each of the countries and the nature of technical cooperation provided ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) An amount of Rs. 1.14 crores was provided in the Final Budget Grant for 1971-72.

(b) A statement is attached. [**Placed in Library** *See* **No. L.T. 4657/73.**]

Purchases made from Cottage Industries

5233. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) the names and value of goods purchased by Government from cottage industries and small scale industries in the country during 1971 and 1972 respectively indicating the purchase price of each article; and

(b) whether Government purchased goods from Khadi Gramodyog during 1971 and 1972, if so, the value and names thereof?

The Minister of Supply (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) A statement (I) giving store-wise value of orders placed by the D.G.S. & D. on Cottage and Small Scale Industries during the period 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (upto December' 72) is laid on the table of the House [**Placed in Library.** *See* **No. L. T. 4658/73**]; and

(b) A statement (II) showing the stores and the value of orders placed by D.G.S. & D. on Khadi and Village Industries Commission during the period 1970-71, 1971-72 and 1972-73, is also laid on the Table of the House. [**Placed in Library** *See* **No. L.T. 4658/73.**]

Legislation to provide necessities of life to workers

5234. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether government propose to enact any legislation for building constructions, workers, casual workers engaged in forest work, carpenters and blacksmiths so that they get the minimum necessities of life in addition to their salary; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) and (b) Apart from the Minimum Wages Act, workers in the building construction industry are also covered by other labour legislations like the Workmen's Compensation Act and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, etc. and it is proposed to legislate on the safety aspect of their working conditions also.

The recommendations of the National Commission on labour in respect of forest labour have been commended for suitable action to the State Governments and other concerned authorities. Such forest workers as are engaged in the resin industry are covered by the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act. This Act, amongst other labour Acts, is also applicable to carpenters and blacksmiths engaged in workshops and establishments which process or treat wood.

Loss incurred by H.S. Ltd.

5235. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Hindustan Steel Limited had suffered a total loss of Rs. 172.83 crores upto March, 1970 and if so, the reasons therefor as also the total capital invested therein upto that period, and

(b) whether the Hindustan Steel Limited suffered loss or earned profit during the years 1971 and 1972 and if it suffered loss, the reasons therefor, indicating the extent of loss during each year?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) & (b) The cumulative loss incurred by Hindustan Steel Limited upto 31st March, 1970, amounted to Rs. 172.83 crores. On that date, the total investment of Government funds in the company was Rs. 1,059.15 crores (equity Rs. 557 crores and long-term loans Rs. 502.15 crores). During the years 1970-71 and 1971-72, the company also suffered losses amounting to Rs. 5.41 crores and Rs. 44.85 crores respectively.

The losses of the company are attributable to a number of factors. Briefly, these include inadequate utilisation of capacity, higher incidence of capital-related charges, disturbed industrial relations in some of the plants in the relevant years and escalations in cost elements.

Hindi Translators in Deptt. of Supply

5236. Shri Prabodh Chandra : Will the Minister of **Supply** be pleased to state:

(a) the total number and pay scales of the Hindi Translators/Hindi Assistants in his Department;

(b) the number of permanent and temporary Hindi Translator/Hindi Assistants separately out of them;

(c) the number of such translators who have been working on their posts for the last three years or more than three pears but they are still temporary and the reasons therefor; and

(d) the time by which they would be confirmed?

The Minister of Supply (Shri Shah Nawaz Khan):

(a)	Hindi Translators . . .	3
	Scale of pay	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.
(b)	Permanent . . .	1
	Temporary . . .	2

(c) Nil

(d) As and when Permanet posts become available.

Pay Scales of Hindi Translators/Hindi Assistants in Ministry of Steel and Mines

5237. Shri Prabodh Chandra : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number and pay-scales of the Hindi Translators/Hindi Assistants in his Ministry;

(b) the number of permanent and temporary Hindi Translators separately out of them;

(c) the number of such translators who have been working on their posts for the last three years or more but are still temporary and the reasons therefor; and

(d) the time by which they would be confirmed?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) There are three posts of Hindi Translator Grade I (scale of pay Rs. 320-530) in the Ministry; one in the Department of Steel and two in the Department of Mines; four posts of Hindi

Translator Grade II (scale of pay Rs. 210-425)—three in the Department of Steel and one in the Department of Mines; and one post of Hindi Assistant (scale of pay Rs. 210-530) in the Department Steel.

(b) All the posts of Hindi Translator Grades I & II are still temporary and as such the question of confirming anyone against themdoes not arise. The post of Hindi Assistant is permanent and the incumbent holding a lien against it has been confirmed. The post has, however, been kept in abeyance.

(c) & (d) Only one Hindi Tanslator Grades II, who joined on August 16, 1969, has been working as such for the last three years or more. As the post of Hindi Translator has not yet been made permanent, the incumbent thereof is still temporary. Action has been initiated to make the post permament and confirmation against it will be considered soon thereafter.

पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के मामले

5238. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, पूर्ति विभाग के सतर्कता निदेशक ने वर्ष 1972-73 के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया और निपटान किया इसके परिणामस्वरुप दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(1) भ्रष्टाचार के मामले जिनका पता लगाया गया	34
(2) निपटाए गए मामले	14
(3) जिन मामलों में छानबीन की जा रही है	20

अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही :

(1) जिन अधिकारियों को चेतावनी दी गई	3 (एक मामले में)
(2) जांच के बाद छोड़ दिया गया	13

सशस्त्र सेना के जवानों का अनिवार्य बीमा

5239. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के जवानों का अनिवार्य बीमा किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन है जिस से कि सेवा निवृत्त होने पर वे अपना जीवनयापन कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमन। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के अध्ययनाधीन नहीं। तथापि "सेना बीमा-सहबचत निधि" नामक एक योजना के प्रारुप का सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बिना काटे और बिना तराशे हीरों का विक्रय

5240. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बिना काटे और बिना तराशे बेचे जाने वाले हीरों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे हीरोंके मूल्य की तुलना में बहुत कम हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों में गिरावट के इस रुख को रोकने के लिए, विशेषकर मूल्यों की सामान्य वृद्धि की दृष्टि से, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पन्ना की खानों से निकलन वाले बिना तराशे हीरों का औसत विक्रय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की हीरा खनन परियोजना की हानि

5241. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित हीरा खनन परियोजना में हर वर्ष हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और स्थिती को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या 1971-72 वर्ष के दौरान कुल बिक्री की 40 प्रतिशत तक हानि हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई जांच करने का है और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित हीरा खनन प्रायोजना की लाभ और हानि स्थिति निम्नलिखित है :—

	(लाख रुपये) (+)लाभ (–)हानि
1968-69 तक	(–) 21.92
1969-70	(+) 12.15
1970-71*	(–) 21.90
1971-72	(–) 30.74

आधार : वार्षिक लेखा।

(ख) और (घ) : हानि के कारण ये थे कि उत्पादन लागत अधिक थी और बिक्री से आय कम थी। उत्पादन लागत अधिक होने के कारणों में भण्डारों का पर्याप्त न होना 100 क्यूबिक मीटर से केरट की प्राप्ति की प्रतिशतता कम होना, परामर्शदाताओं द्वारा ऊपरी सतह को हटाने वाल उपस्करों के बारे में कम अनुमान लगाना तथा प्रोसेसिंग संयंत्र द्वारा उत्पादन करना। प्रायोजना की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार मझगा-वन हीरा खानों के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस परिस्थितियों में कोई विशेष जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

कुछ भारी उद्योगों में संतोषजनक उत्पादन

5242. श्री अर्जुन सेठी : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक कुछ भारी उद्योगों में उत्पादन की संतोषजनक वृद्धि लक्षित हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन – किन उद्योगों में संतोषजनक वृद्धि हुई है ; और

(ग) कुल वृद्धि की प्रतिशतता क्या है और पहले हुई हानि को ये उद्योग कब तक पूरा कर लेंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) निम्नलिखित एककों के उत्पादन में वृद्धि हुई है :—

(1) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स , लि० नई दिल्ली;

(2) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल;

(3) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची ;

(4) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर ;

(5) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि०, विशाखापट्टनम ;

(6) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, इलाहाबाद ;

(7) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्टस, लि०, तुंगभद्रा बांध ;

(8) हिन्दूस्तान मशीन टूल्स, लि०, बंगलौर ;

(9) मशीन टूल्स कारपोरशन आफ इंडिया ; अजमेर।

इन एककों में से बी० एच० ई० एल०, एच० ई० सी० एम० ए० एम० सी०, बी० एच० पी० वी०, एच० एम० टी० और एस० टी० सी० आई० के उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो कि उत्साह वर्द्धक समझी जा सकती है।

(ग) यद्यपि इन एककों के उत्पादन में हाल ही में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है, फिर भी इस बात का ठीक ठीक पता लगाना कठिन है कि गत वर्षों में हुई हानि को किस वर्ष तक पूरा किया जा सकेगा क्योंकि यह विभिन्न कारणों पर निर्भर करेगा, जिनमें आगामी वर्षों में इन एककों की कार्य क्षमता को हानि रहित स्थिति पर पहुंचने की दिशा में लगातार सुधार करते रहना सम्मिलित है।

रडार उपकरणों में आत्म–निर्भरता

5243. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रडार उपकरणों में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : रडार उपकरणों में अधिकतम सीमा तक आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गये हैं। वायु रक्षा सेट–अप के लिए आधुनिकतम रडारों के निर्माण के लिए मेसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा गाजियाबाद में एक नई फैक्टरी स्थापित की जा रही है। विभिन्न रडार परियोजनाओं में सुधार का कार्य पहले ही चल रहा है और अधिक सुधार योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

हिन्द महासागर के बारे में संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति में भारत की भूमिका

5244 **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति में भारत की क्या भूमिका रही ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत 15 राष्ट्रों की उस तदर्थ समिति का सदस्य है जो हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव के निहितार्थों का इस प्रस्ताव के लक्ष्यों का पूरा करने के लिए किए जाने वाले व्यावहारिक उपायों के विशेष संदर्भ में अध्ययन करने के लिए गठित की गई है। इस तदर्थ समति की बैठकें 21 मई से 24 मई तक और 11 जून से 22 जून तक होने वाली है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए तीसरा अधिवेशन होने की संभावना है यह रिपोर्ट महासभा के 28 वें सत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किए जाने का भारत ने पूर्ण समर्थन किया है। इस बात का सुनिश्चिय करना इस क्षेत्र के सभी राज्यों के हित में है कि हिन्द महासागर में बड़ राष्ट्रों की सैनिक प्रतिद्वंदिवता किसी भी रूप न रहने पाए।

Boycott of Welcome Ceremony Extended to President Giri in Malaysia by Pakistan Diplomat

5245. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Shashi Bhushan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan Diplomat boycotted the welcome ceremony organised in the honour of the President of India in Malaysia during his tour to that country; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The Diplomatic Representative of Pakistan in Malaysia was not present at the Kuala Lumpur Airport on the occasion of the President's arrival in and departure from Malaysia.

(b) Government has taken due note.

Firing in Coal Mines in Madhya Pradesh

5246. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether firing was resorted to in several coal mines in Madhya Pradesh during the ast two years;

(b) whether Government had given orders for an enquiry in the said firing; and

(c) if so, the results of the enquiry?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) It is reported that there was one case of firing in the West Phagrakhan Collieries of Madhya Pradesh during the last two years.

(b) and (c) . This is a Matter for the State Government.

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh and Gujarat

5247. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether textile mills in Madhya Pradesh and Gujarat remained closed for several days as a result of the strike of labourers in may textile mills there; and

(b) if so, the demands of the labourers?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) and (b): The matter falls in the State sphere. According to available in formation, there was strike by the workers in 11 textile mills in Indore and Ujjain February 20, 1973 in support of their demands concerning privillege leave and casual leave from with pay and an increase in bonus. The strike in 4 textile mills in Ujjain was called off on March 1, 1973 following an agreement to refer the disputed issues to the State Chief Minister of arbitration. The strike in the textile mills in Indore, it would also appear, was called off on March 2, 1973 following the intervention by the State Chief Minister. The Ministry of Labour have no information in respect of textile mills in Gujarat.

E.P.F. Arrears with Sugar Mills in Madhya Pradesh

5248. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the sugar mills in Madhya Pradesh which have not deposited their contribution to Employees Provident Fund so far;

(b) the action taken by Government against those mills/persons on that account; and

(c) the amount of provident fund due from the said mills?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : The Povident Fund Authorities have reported as under :—

(a) M/s. Joara Sugar Mills Private Limited, Joara (District Ratlam), an exempted establishment in Madhya Pradesh, has defaulted in the payment of provident fund contributions.

(b) Action has been initiated to prosecute the establishment for non-transfer of provident fund contributions for the period from November, 1969 to February 1971. A proposal to cancel the exemption granted to this establishment has been sent to the State Government.

(c) Rs. 42,418.

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का कोयला खानों के प्रबन्ध, उसके उत्पादन और बिक्री पर प्रभाव

5249. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या इस्पात और खान मंत्री 1 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1511 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी खान मालिकों द्वारा अवैध रूप से ले जाए गए कागजातों, औजार और आस्तियों के संबंध में वस्तु स्थिति इस बीच पता कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) देश भर में विशेषकर उत्तर बिहार में उपभोक्ताओं को राष्ट्रीयकरण से पहले के मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ; और

(घ) क्या कोयले को सरकारी एजेंसियों की मार्फत बेचने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : प्राइवेट स्वामियों द्वारा ले जाए गए दस्तावेजों, साधनों और आस्तियों के पूर्ण विवरण अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) कोयला खानों के प्रबंध को ग्रहण करने के पश्चात् कोयले की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। वह कीमतें जो, प्राइवेट सेक्टर कोयला उद्योगों के संयुक्त कार्यकारी समिति द्वारा अधिसूचित की गई थीं, 1 दिसम्बर, 1972 से प्रभावी थीं, प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् परिवर्तित की जा रही

है। परिवहन की उपलब्धता के अध्यधीन विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कोयला आपूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र संगठनों को विभिन्न क्षत्रों में आपूर्ति स्थिति से भी सम्पर्क बनाए रखना है।

(घ) विद्यमान व्यापार पद्धतियों को विश्रृंखलित नहीं किया गया है क्योंकि इससे कोयल की उपलब्धता में बाधा पड़ेगी और इससे उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़गा। वितरण की पब्लिक अभिकरणों के माध्यम से व्यवस्था की संभाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है। कोयला डेरों के माध्यम से राज्य सरकार की संरक्षता के अधीन लघु उपभोक्ताओं के लिए अपेक्षित कोयले के वितरण के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

नारंग डिवीजन, पूर्वी कमांड, के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सुविधायें

5250. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कमांड के अधीन कार्य कर रहे एम० ई० एस० जी० ई० नारंग डिवीजन, गोहाटी (आसाम) में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन वर्ष से अधिक समय तक काम करने के बावजूद स्थायी घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को वर्दियां, कम्बल, जूते, गर्म कपड़े, चिकित्सा सुविधायें और अवकाश की सुविधायें आदि नहीं दी जाती है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रो के श्रमिकों के वेतनमान

5252. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के वर्तमान पदनाम और वेतनमान क्या हैं;

(ख) विभिन्न विभागों में उपरोक्त इस्पात संयंत्रों में वर्तमान उत्पादन बोनस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बोकारो स्टील लिमिटेड में उत्पादन बोनस योजना लागू करने का विचार कब बनाया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के परिचालन और रख-रखाव विभागों में काम करने वाले कामगारों के लिए इस समय 8 मुख्य वेतनमान हैं। ये वेतनमान और प्रत्यक वर्ग के कुछ विशिष्ट पदनाम अनुलग्नक में दिए गए हैं। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4659/73**) इसके अतिरिक्त प्रशासन, कार्मिक, चिकित्सा नगर प्रशासन, जन-संपर्क आदि जैसे गेर निर्माण विभागों के कर्मचारियों के लिए 17 विविध और 4 अनुसचिवीय वेतनमान हैं।

(ख) इन कारखानों में उत्पादन-बोनस योजना दिसम्बर, 1961 में लाग की गई थी। इस योजना में कार्य मापन तथा भारत के प्रशासकिय स्टाफ महाविद्यालय के परामशदातृ और व्यावहारिक अनुसंधान प्रभाग के सहयोग से किए गए विस्तृत औद्योगिक इन्जीनियरी अध्ययनों के आधार पर संशोधन किया गया है। जबकि भिलाई इस्पात कारखाने में संशोधित योजना लागू की जा चुकी है, परन्तु राउरकेला इस्पात कारखाने (खास कारखाने के लिए) कुछ संशोधनों के साथ पिछली योजना कुछ ही चल रही है। राउरकेला इस्पात कारखाने में लागू पुरानी योजना के अनुसार

मुख्य परिचालन विभागो में प्रोत्साहन की पात्रता के लिए प्रमुख परिचालन विभागों के प्रत्येक विभाग में उत्पादन की निश्चित मात्रा रखी गई है। एक बोनस अनुसची बनाई गई है जिसमें उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए तदनुरुपी बोनस की प्रतिशतता दी गई है। किसी कर्मचारी के प्रोत्साहन भुगतान का हिसाब ,उसके मूल वेतन की किसी प्रतिशतता पर घोषित प्रोत्साहन प्रतिशतता के अनुसार लगाया जाता है जो कर्मचारी विशेष की श्रेणी पर निर्भर है। सेवा और कुछ सामान्य ग्रुप के विभागो में बोनस का भुगतान मख्य उत्पादन विभागों के लिए घोषित बोनस का क्रमशः 90 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होता है।

भिलाई इस्पात कारखाने में लागू संशोधित योजना कामगारों के छोटे छोटे ग्रुपों के कार्य परिणामों पर आधारित है। इस काम के लिए कार्य–परिणाम प्रभावशाली उत्पादन के लिए किए गए प्रयत्नों के रूप में मापे जाते है और व्यक्तिगत बोनस लाभ ऐसे छोट–छोटे ग्रुपों की उत्पादिता से संबद्ध है।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाना अभी निर्माणाधीन है। कारखाने में उत्पादन–बोनस योजना लागू करने के प्रश्न पर प्रबन्धक कारखाने के उत्पादन करने लगने के बाद तथा जब व उचित समझेंगे विचार करेंगे।

मेसर्स भिलाई कंस्ट्रक्शन कम्पनी और सेंट्रल सिंडीकेट इंजीनियरिंग कम्पनी के श्रमिकों को देय राशि

5253. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० एस० एल० के ठेकेदार भिलाई कंस्ट्रक्शन कम्पनी और सेन्ट्रल सिंडिकेट इंजीनियरिंग कम्पनी, जिन्होंने बोकारो इस्पात नगर में अपने संस्थानों को बन्द कर दिया है, कि और श्रमिकों की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) मैसर्स भिलाई कंस्ट्रक्शन कम्पनी और सेन्ट्रल सिंडीकेट इंजीनियरिंग कम्पनी के श्रमिकों को देय र शि का भुगतान करने के लिये बी० एस० एल० के प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धनबाद की रिफ्रैक्टरियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

5254. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद जिले की अधिकांश रिफ्रैक्टरियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और इसके अधीन बनी योजना के अधीन नही लाया गया है यद्यपी भूतलक्षी प्रभाव से ये इन पर लागू किए जा सकते है;

(ख) यदि हां तो कितनी रिफैक्टरियों अभी तक उक्त अधिनियम तथा योजना के अधिन नहीं लाई गई ;और

(ग) सभी शेष रिफैक्टरियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) : धनबाद जिले की 26 रिफैक्टरियों में से 17 रिफैक्टरियों पर कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और इसके अधीन बनाई गयी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबन्ध लागू कर दिये गये हैं। छ: रिफैक्टरियां उक्त अधिनियम और योजना के अधीन लाए जाने योग्य नहीं है। बाकी की तीन रिफैक्टरियों को अधिनियम और योजना के अधीन लाने के लिए जांच की जा रहा है।

मैसर्स क्रेस्टीन माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड डाकखाना डोमचंच, हजारीबाग को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना ।

5255. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स क्रेस्टीन माइका इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डाकखाना डोमचंच, हजारीबाग का मुख्यालय (कलकत्ता स्थित) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 2क और योजना के अन्तर्गत इसके लागू होने की तारीख से ही नहीं लाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :–

(क) और (ख): कम्पनी के मुख्यालय को 31-12-1960 से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया गया है।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखना

5256. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 राष्ट्रीय तदर्थ समिति ने हाल ही में बैठक की थी और हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किया था; और

(ख) क्या तदर्थ समिति अगले अधिवेशन में अपना प्रतिवेदन महासभा के समक्ष रखेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 26 वें अधिवेशन प्रस्ताव सं० 2832(XXVI) स्वीकार करके हिन्द महासागर को शान्तिक्षेत्र घोषित किया गया था। अपने 27 वें अधिवेशन में महासभा ने प्रस्ताव सं० 2992(XXVII) स्वीकार किया जिसके अनुसार 15 सदस्यीय तदर्थ समिति नियुक्त की गई। इस समिति का उद्देश्य इस प्रस्ताव के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले व्यावहारिक उपायों के विशेष संदर्भ में इस प्रस्ताव के निहितार्थ का अध्ययन करना है। इस तदर्थ समिति की बैठक 21 से 24 मई और 11 से 22 जून तक होगी। सितम्बर में इसका तीसरा सत्र होने की संभावना है।

(ख) तदर्थ समिति महासभा के 28 वें सत्र में अपनी रिपोर्ट देगी।

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में अकुशलता और भ्रष्टाचार

5257. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा हाल ही में की गई इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में अकुशलता और भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हाल ही में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के कार्य संचालन में सुधार के उपाय सुझाने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने रोजगार सेवा सम्बन्धी समिति का गठन किया है, जिसके प्रधान श्री एच० के० एल० भगत, संसद सदस्य हैं ।

इण्डिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड, सहारनपुर के कर्मचारियों को बोनस देना

5258. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड, सहारनपुर के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि भारी लाभ कमाने के बावजूद इस कम्पनी ने अभी तक बोनस संदाय अधिनियम 1965 (1972 तक संशोधित) लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) बोनस का भूगतान न करने के लिए कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) :(क) से (ग) : यह मामला मुख्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । तथापि, अपेक्षित सूचना भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है ।

भारतीय वायुसेना के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आयात

5259. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री भारतीय वायु सेना के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आयात के बारे में 22 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जब्त की गई चोरी से लायी गई तथा सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपी वस्तुओं की सूची सभा पटल पर रखेंगे ;

(ख) ये वस्तुयें कहां से लाई गई थीं ;

(ग) भारतीय वायु सेना के सम्बन्धित कर्मचारियों के पदनाम क्या हैं और इस घटना से सम्बन्धित प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सीमा शुल्क अधिकारी अपनी जांच पूरी कर चुके है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) :पकड़े गए माल तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंपे गए माल में टी० वी० सेट, टेपरिकार्डर, ट्रांजिस्टर, मिक्सी, बिजली के पंखे, बिजली का चुल्हा बिजली की बाल सुखाने की मशीन, शराब की बोतलें, साड़ियां, छाते, इत्र, प्रसाधन सामग्री, कांच का सामान, टेप-कैसेट्स, सूट-कमीज-पतलून के कपड़े, हाथ की घड़ियां, घड़ियां, सूखे मेवे, दरियां, डिनर/टी सेट, कमरा तथा फिल्म, सिगरेट कार्टन, बिजली की इस्त्री, ब्लेड पैकेट, तैयार वस्त्र, सोविनियर, खिलौने, एक सिलाई की मशीन, एक टंकण मशीन, इत्यादि शामिल थे। माल को वायुयान मार्ग के विभिन्न रुकने वाले स्थानों से लाया गया था। जिसमें डुबाई, तेहरान तथा मास्को से और मास्को तक की यात्रा शामिल है।

2. दो ग्रुप कैप्टनों को वायु सेना अध्यक्ष ने अप्रसन्नता "डिसप्लेज़र" का दण्ड दिया है। एक विंग कमांडर को स्क्वार्डन की कमान से हटा दिया गया है। एक स्क्वार्डन लीडर को वायु सेना अध्यक्ष की अप्रसन्नता "डिसप्लेजर" का दण्ड दिया गया है। तथा दो स्वा० लीडरों को वायुसेना अध्यक्ष के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए भारी अप्रसन्नता "सीवीयर डिसप्लेजर" का दण्ड दिया गया है। तीन फ्लाइंग ले० को वायुसेना अध्यक्ष के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए भारी अप्रसन्नता "सीवीयर डिसप्लेजर" का दण्ड दिया गया है। एक फ्ला० ले० जो इस घटना से सम्बन्धित था एक स्कूटर दुर्घटना में मर गया है। 6 वायुसैनिकों को एयर अफसर इन्चार्ज प्रशासन ने भारी अप्रसन्नता "सिवीयर डिसप्लेज़र" का दण्ड दिया है।

3. सीमा शुल्क प्राधिकारियों के द्वारा भी इस घटना की जांच की गई है। इस जांच का एक भाग अभी भी पूरा होने को बाकी है।

कोयला खानों के सरकारीकरण के बाद साफ्ट कोक के मूल्य में वृद्धि

5260. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के सरकारीकरण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, प्रति 40 किलोग्राम कोयले के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) इस मूल्य वृद्धि के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा गैर-कोककारी कोयला खानों के प्रबंध ग्रहण के तत्काल पश्चात् कोयले की परचून कीमत और घरेलू उपभोग के प्रयोजन के साफ्ट कोक की कीमत में वृद्धि के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। वृद्धि का कारण सरकार या कोयला खान प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई विनिश्चय नहीं था अपितु उसका कारण प्रबंध ग्रहण से उत्पन्न हुई स्थिति से कुछेक व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ उठाना था।

पश्चिम बंगाल में रशोंजा गांव (24-परगना) के परिवारों को उनकी भूमि के लिए मुआवजा देना

5261. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग ने पश्चिम बंगाल में जिला 24-परगना (दादीपा, बेहाला के निकट) रशोंजा गांव में भूमि रक्षा कार्यों के लिए अधिगृहीत की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी ;

(ग) इससे कितने परिवार प्रभावित हुए है ; और

(घ) यदि प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है तो वह कितना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में रशपुंज तथा खानेबेरियां गांवों में प्रारम्भ में 211.12 एकड़ भूमि क्षेत्र 1966 में अधिगृहीत किया गया था। तत्पश्चात् 1971 में यह भूमि अधिगृहीत की गई थी। 25-4-1966 से 24-4-1971 तक की अवधि के लिए 1,259 सम्बन्धित व्यक्तियों को 1,35,998.90 रुपये की धन राशि आवर्ती मुआवजा के लिए दे दिया गया है। भूमि के अधिग्रहण की लागत की अदायगी के लिए 5,80,638.23 रुपए की राशि मंजूर की गई है। अदायगी भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

खेतडी तांबा परियोजना के पुरा होने में विलम्ब

5262. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी में तांबा परियोजना के पूरा होने में और विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : पुनरीक्षित समय अनुसूची के अनुसार सांद्रिक संयंत्र को दिसम्बर 1972 में चालू किया जाना था। सिविल सन्निर्माण कार्यों में देरी और जुलाई/अगस्त, 1972 में खेतड़ी ताम्र परियोजना में कर्मकारों द्वारा हड़ताल के कारण अब इस संयत्र के अप्रैल, 1973 में चालू किए जाने की सम्भावना है। अन्य प्रक्रिया संयंत्रों के सूची-अनुसार चालू होने की सम्भावना है तथा आशा है समग्रतः संयंत्र अनुसूची के अनुसार चालू हो जाएंगा।

सरकारी क्षेत्र में नये मेंगनीज अयस्क संयंत्र की स्थापना

5263. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० आई० ने सरकारी क्षेत्र में एक नया मैंगनीज अयस्क संयत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। सुझाव एक इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज बायक्साइड संयंत्र के बारे में है।

(ख) सरकारी क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से देश में, विकसित प्रक्रिया पर आधारित 10 टन दैनिक क्षमता का एक इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायक्साइड संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव विचार किया जा रहा है।

सेना में अधिकारियों तथा "अन्य रैंकों" के बीच विषमता

5264. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में अधिकारियों तथा "अन्य रैंकों" के बीच वेतन-आवास तथा अन्य सुविधाओं के मामले में अभी तक काफी विषमतायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) अफसर पद से नीचे के कार्मिकों के लिए आवास तथा राशन की मात्रा का समय समय पर पुनरीक्षण किया गया है और गत दो दशकों तथा अधिक के दौरान काफी सुधार किए गये हैं।

अफसरों तथा अफसर पद से नीचे के कार्मिकों की, नकद तथा वस्तुओं के रूप में लाभों सहित, परिलब्धियों की संरचनाओं तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ का अध्ययन करने के लिए वेतन आयोग को कहा गया है।

Completion of Indo-Pak boarder Roads

5265. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government would complete the construction work of those roads in those Indo-Pak border areas where these were left incomplete and were damaged badly by Pakistan; and

(b) if so, the outlines of the scheme therefor?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b) Government havy no reports regarding incomplete roads in the Indo-Pak border areas having been badl damaged by Pakistan. However, incomplete roads of operational significance would be completed under the existing schemes.

Pakistan arms captured by India and Indian arms captured by Pakistan

5266. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the quantity of Pakistani Military hardware including arms, ammunition Tanks etc., captured by India during Indo-Pak War of 1971;

(b) the quantity of Indian military hardware captured by Pakistan during the said war;

(c) whether some aircrafts were also captured; and

(d) if so, the number thereof:

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d) It will not be in public interest to disclose the information.

Facilities provided to scheduled caste and scheduled tribe students by Sainik Schools

5267. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the facilities provided to the sons of the people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes in the Sainik Schools?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Although admission to Sainik Schools is made strictly according to the order of merit, all Scheduled Caste/Scheduled Tribe boys who have qualified in the entrance examination are admitted irrespective of their position in the order of merit. In order to enable more Scheduled Caste and Scheduled Tribes boys to get admitted to Sainik Schools, It has been decided that from the current year those Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys who fail by 7 marks in two subjects will be declared eligible for admission provided they pass in the aggregate.

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys who are admitted the Sainik School are also entitled to scholarships subject to conditions laid down regarding income limits etc. in Scholarship Schemes of the Central and State Governments.

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा ट्रकों और मोटरों के रेसिलियेन्ट गियर व्हील का निर्माण

5268. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल ने ट्रकों और मोटरों के उपयोग के लिए रेसिलियेन्ट गियर व्हील बनाए हैं, यदि हां, तो प्रत्येक व्हील की लागत क्या है;

(ख) क्या इस निर्मित माल से हमारे देशको विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और प्रत्येक वर्ष कितने गियर व्हीलों का निर्माण हो सकता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। प्रत्येक पहिए का विक्रय मूल्य लगभग 10,000 रु० है ।

(ख) और (ग) प्रति गियर पहिए पर लगभग 4,400 रु० (लागत बीमा भाड़ा सहित) की विदेशी मुद्रा की बचत होती है । हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल की निर्माण क्षमता 100 सेट प्रतिवर्ष है जो उपभोक्ता विभाग की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है ।

भारत और कोरिया में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी अन्तर सरकारी संयुक्त समिति

5269. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कोरिया में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी अन्तर-सरकारी संयुक्त समिति बनाइ गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके भारतीय सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं और उसने वास्तव मे क्या काम किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सीमा सडक निर्माण कार्यक्रम पर व्यय

5270 **श्री सी० जनार्दनन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान और अन्य देशों से आये विस्थापितों का पुनर्वास

5271. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और अन्य देशों से आए विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने कार्य को अन्तिम रूप दिया गया है और कितना कार्य अभी तक बाकी है ; और

(ग) पुनर्वास विभाग को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कुछ अवशिष्ट समस्याओं को छोड़कर भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आए विस्थापित व्यक्तियों और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों (अर्थात् जो 31-3-1958 तक भारत आए थे) से सम्बन्धित पुनर्वास कार्य 1964

तक पूरा हो गया था। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1964 से 1969 की अवधि के दौरान आए नए प्रवासियों को पुनर्वास सहायता मंजूर करने से सम्बन्धित कार्य 1969 के अन्त तक प्राय: समाप्त हो गया था। इस अवधि में बर्मा, श्रीलंका और मोजाम्बिक से लौटे प्रत्यावासियों तथा तिब्बती शरणार्थियों को भी पुनर्वास सहायता मंजूर की गई थी।

पुनर्वास विभाग द्वारा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों को, जो 1970 में और 25-3-1971 तक आए थे, राहत तथा पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य, बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावासियों के लगातार आने से सम्बन्धित कार्य और तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास से सम्बधित शेष कार्य तथा साथ ही भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आए विस्थापित व्यक्तियों तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासियों से सम्बन्धित अवशिष्ट कार्य को किया जा रहा है। युगाण्डा से आए प्रत्यावासियों के लिए एक पुनर्वास योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) किए गए तथा किए जा रहे कार्य की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4660/73**]

(ग) अभी भी किए जाने वाले पुनर्वास के कार्य के स्वरूप तथा मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि पुनर्वास विभाग को कब तक बन्द कर दिया जाएगा।

मजूरी बोर्ड

5272. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कितने मजूरी बोर्ड कार्य कर रहे हैं तथा उनके नाम और संक्षिप्त कृत्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मजूरी बोर्डों के कार्य को सुव्यवस्थित करने का है जिससे कि उनकी सिफारिशें बिना समय खोए मिल सकें और उन्हें शीघ्रता से लागू किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इस समय कोई मजदूरी बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) अब तक चलाई गई मजदूरी बोर्डों की प्रणाली में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की है। त्रिपक्षीय बैठकों में इस विषय पर व्यक्त विचारों को ध्यान में रखकर इन पर विचार किया जा रहा है।

बंगलौर में स्वचालित इस्पात ट्यूब कारखाना

5273. **श्री के० लकप्पा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में, अपनी किस्म का पहला, स्वचालित इस्पात ट्यूब कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक स्थापित हो जायेगा; और

(ग) क्या इसमें किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं।

Representation of Coal Mine Workers, Union, Chindwara District, Madhya Pradesh

5247. **Shri G. G. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state : (a) whether Government have received any representation from Coal Mines Workers, Union of Chindwara District in Madhya Pradesh containing the grievances of workers;

(b) if so, the demands thereof; and

(c) the action taken to meet their demands ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) There is no union named Coal Mines Workers Union functioning in Chindwara District. However, 330 representations from unions of Coal Mines of Chindwara District containing grievances of workers were received during 1972.

(b) Demands raised by unions include implementation of Wage Board recommendations for Coal Mining industry such as Variable Dearness Allowance, increments, proper categorisation, reinstatement of dismissed workmen, amendment of Coal Mines Regulation, 1957 relating to periodical medical examination of the mining staff, revision of pay scales and grades of mining technicians, setting up of bi-partite negotiating machinery on pattern of Steel Industry for revision of wage structure.

(c) In 70 cases settlements were brought about; in 58 cases failure of conciliation reports submitted to the Government, 158 cases were settled otherwise or withdrawn by workmen. In 44 cases action is in progress.

Contract Labour in Coal Mines in Madhya Pradesh

5275. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the coal mine owners of Madhya Pradesh are employing maximum number of contractor's workers in place of permanent coal mine workers; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) According to the information available, there are 52 collieries in Madhya Pradesh employing 54,228 workers out of which 45 collieries are engaging 8,889 contract labours through 186 contractors. No instance of employment of maximum number of contract labour in place of permanent workers has been noticed in any of these Coal Mines.

(b) Where contract labour is engaged, the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and Central Rules framed thereunder are being implemented with a view to regulate the conditions of their employment.

Swadesh Printing Press, Gwalior

5276. **Shri G C Dixit** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of employees working in the daily Swadesh Printing Press of Gwalior and the number of temporary employees among them ;

(b) the amount of provident fund in respect of every employee deposited with Government during the last three years; and

(c) the amount still due?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

7—6 LSS/73

श्रीलंका में भारत मूलक बागान श्रमिकों के साथ भेदभाव

5277. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान कोलम्बो में हुए सेमिनार में हुई चर्चा की ओर दिलाया गया है कि भारत मूलक बागान श्रमिकों के साथ विभिन्नक्षेत्रों में भे द-भाव किया जा रहा है और रोजगार, प्रशिक्षण तथा आर्थिक प्रगति के क्षेत्रों में उनके अवसरों को बहुत सीमित कर दिया गया है ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : 24 फरवरी से 2 मार्च 1973 तक कोलम्बो में हुए सेमिनार के समाचार सरकार ने देखे हैं जिसमें विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया था। 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अंतर्गत आने वाले भारत मूल के राज्य विहीन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार श्रीलंका सरकार के अधिकारियों के साथ समय समय पर इन मामलों पर विचार करती रही है ।

माना शिबिर के ड्राइवरों को समयोपरि भत्ता

5278. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिबिर में ड्राइवरों को कार्यालय के निर्धारित समय के पश्चात भी कार्य करने को कहा जाता है और यदि हां, तो इस समयोपरि कार्य के लिए उन्हें किस प्रकार मुआवजा दिया जाता है;

(ख) क्या माना शिबिर में ड्राइवरों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर भुगतान किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कार्य की आवश्यकता के अनुसार माना शिबिर में ड्राइवरों को काम के निर्धारित समय के पश्चात् भी कभी-कभी कार्य करने को कहा जाता है । इस समय वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ये समयोपरि भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं । ड्राइवरों को समयोपरि भत्ता देने के संबंधित सामान्य प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

स्टाफ वैलफेअर एसोसिएशन, माना शिबिर

5279. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री आर० बी० बडे :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाफ वैलफेयर एसोसिएशन, माना शिबिर, संयुक्त परामर्श दात्री व्यवस्था योजना के अन्तर्गत एक मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त एसोसिएशन के शिबिर के केन्द्रीय स्थान में कैसे स्थान दिया गया है जबकि क्लास iii तथा iv एम्पलाइज एसोसिएशन को जो कि सयुक्त परामर्शदात्ती व्यवस्था योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है, शिबिर के एक दूरस्थ कोने में अन्तरिम रूप से स्थान का आवंटन किया गया है और वह भी बहुत अधिक समय तक आग्रह के पश्चात् ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अराजपत्रित स्टाफ वैलफेयर एसोसिएशन, माना को संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था से बाहर मान्यता दी गई है जिससे कि एसोसिएशन की सरकार से पत्र व्यवहार तथा स्टाफ की सामान्य शिकायतों का निरूपण करने की सुविधा का अधिकार प्राप्त हो गया है।

(ख). दोनों एसोसिएशनों, अर्थात् अराजपत्रित स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन तथा क्लास III तथा क्लास IV एम्पलाइज एसोसिएशन, को अस्थायी आवास आबंटित किया गया है। आशा है कि जैसे ही माना शिविर में वर्तमान आवास की कमी पूरी हो जाएगी इनको किसी केन्द्रीय स्थान में उपयुक्त आवास उपलब्ध कर दिया जाएगा।

माना शिविर के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

5280. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 जनवरी, 1973 को माना शिविर के अपने दौरे के दौरान तत्कालीन पुनर्वास उपमंत्री द्वारा माना शिविर के कितने कर्मचारियों को अपने अभ्यावेदन विधिवत ढंग से (बराबर चैनेल) भेजने को कहा गया था;

(ख) क्या स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को उपमंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और शिविर अधिकारियों द्वारा कितने अभ्यावदनों को अपने पास रखा गया हैं; और

(ग) कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और इनका अलग-अलग, संक्षेप में पाठ क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) भतपूर्व उप मंत्री (श्री बर्मा) ने जनवरी 1973 में माना के अपने दौरे के दौरान किसी कर्मचारी से अपना प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से भेजने को नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने माना में श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को पद्धति की दृष्टि से अपने प्रतिवेदन तथा ज्ञापन मुख्य कमाण्डेण्ट माना के माध्यम से भेजने की सलाह दी थी।

(ख) जी, हां।

(ग) दो-एक पदोन्नति में अतिक्रमण के मामले से सम्बन्धित है और दूसरा विभागीय कार्यवाही तथा वरीयता का निर्धारण, प्रतिनियुक्ति भत्ते की मंजूरी आदि जैसी अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब से सम्बन्धित है।

सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग संयंत्रों की प्रयुक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग

5281. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग संयंत्रों की वर्गवार, उत्पादन क्षमता का कितना भाग अप्रयुक्त है; और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विभिन्न भारी औद्योगिक एककों में किस सीमा तक क्षमता का कम से कम उपयोग हुआ है यह वर्ग के अनुसार कुछ खास कठिनाइयों के कारण विशेष रूप से उस स्थिति में जब कि उन्हें प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के क्रयादशों क आधार पर विविध प्रकार का उत्पादन करना पड़ता है बता सकना कठिन है। यह कहा जा सकता है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल तथा मशीन टूल्स कारपोरेशन, अजमेर में करीब 30 प्रतिशत तक, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० में 60 और 70 प्रतिशत के बीच, त्रिवणी स्ट्रक्चरल्स लि०, नैनी, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर तथा भारत हैवी इंजीनियरिंग कापोरेशन, राँची तथा भारत हेवी प्लेट एण्ड वसल्स लि० विशाखापट्टनम में करीब 85 प्रतिशत क्षमता का न्यून उपयोग हुआ है। निर्धारित क्षमता प्राप्त न कर सकने के कारणों में से एक कारण यह है कि किस प्रकार के उपकरणों का

उत्पादन करने के लिये, संयंत्र की स्थापना की गई है उसके पर्याप्त क्रयादेशों का न मिलना है जैसा कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, भारत हेवी प्लेटस एण्ड वसेल्स तथा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० केसंबंध में हुआ है। प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धकीय कमी सूक्ष्म प्रकार का उत्पादन करने के लिये कुशल कर्मचारियों के मिलने में होने वाला विलम्ब, नियमित और पर्याप्त कच्चा माल सम्भरण करने में आने वाली कठिनाइयाँ, ढलाई और गाढाई के लिये संतोषजनक संभरण न होना, आवश्यक स्तर का रख-रखाव न होना या श्रमिकों द्वारा कम उत्पादन किया जाना आदि अन्य कारण रहे हैं।'

(ख) उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिये किए गये अभ्युदायों में कम से कम समय में अनुकूलतम उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिये निर्धारित समय में पूरे किये जाने वाले कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, प्रबन्ध व्यवस्था में और उत्पादन में सुधार करने के लिये अपनाये गये अभ्युपाय आदि सम्मिलित हैं। संयंत्रों से कठिनाइयों वाले क्षेत्रों में सुविधाओं की वृद्धि करने के साथ-साथ सही प्रणाली तथा प्रक्रिया अपनाने तथा उपर्युक्त कार्मिक संबंधी नीतियों अपनाने के लिये कहा गया है।

उड़ीसा में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि में जमा राशि

5282. **श्री चिन्तामणी प्राणिग्रही :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि में अब तक कितनी धनराशि जमा कराई गई है ;

(ख) अब तक इसमें से कितनी धन-राशि का प्रयोग किया गया है ; और

(ग) इसका प्रयोग किस ढंग से किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1,50,71,454/- रुपये ।

(ख) 67,21,199/- रुपये।

(ग) इस राशि का लौह अयस्क खनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा उन्हें चिकित्सा, आवास, जल-प्रदाय, शैक्षिक और मनोरंजन आदि जैसी सुविधाएँ देने के लिए किया गया है।

उड़ीसा में खोज कार्य

5283. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज खोज निगम ने उड़ीसा में अब तक कोई खोज कार्य आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उड़ीसा के लिए निगम का क्या कार्यक्रम है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : उड़ीसा में गंगपुर के सर्गीपल्ली खण्ड में बहुधात्विक खनिजीकरण, सुकिन्दा क्षत्र के सुकेरांगी कालियापानी खण्डों में कतरन क्षत्रों और निकल खनिजीकरण के विस्तृत निर्धारण की परियोजनाएं खनिज समन्वेषण निगम द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से ग्रहण करने की प्रक्रिया में है। खनिज समन्वेषण निगम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से ग्रहण करन की प्रक्रिया संपूरित होते ही दोनों परियोजनाओं में संपूरित संक्रियाएं आरंभ करगा। इसके अतिरिक्त खनिज समन्वेषण निगम का उड़ीसा में (भागतः बिहार में भी) बोनाई क्योंझर पट्टी के लौह और मैंगनीज अयस्क संसाधनों का पुनः निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में लौह अयस्क खान मजदूरों के लिए अस्पताल की स्थापना

5284. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में लौह अयस्क खानों के मजदूरों के लिये एक अस्पताल स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसको कहां पर स्थापित किया जा रहा है ; और

(ग) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और अस्पताल में कितने बिस्तरे होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) : सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के अधीन जोडा में, एक 50 पलंगों वाला केन्द्रीय अस्पताल स्थापित किया जाये। उड़ीसा में निधि के उप-अध्यक्ष, चुनी गई जगह के संदर्भ में, नक्श और अनुमान तैयार करवा रहे हैं।

"ब्लैक दिसम्बर" संगठन द्वारा हांगकांग स्थित भारतीय उच्चायुक्त को धमकी

5285. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 में हांगकांग स्थित भारतीय उच्चायुक्त को "ब्लैक दिसम्बर" संगठन द्वारा यह धमकी दी गई थी कि उसका अपहरण कर लिया जायेगा; और

(ख) उच्चायोग के अधिकारियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस तरह की सुरक्षा समस्याओं के संबंध में क्या उपाय किए जाएं इसके लिए हमारे मिशनों को पहले ही से विस्तृत अनुदेश दे दिए गए हैं । हमारे मिशन तथा उससे संबद्ध कार्मिकों की रक्षा की जिम्मेदारी मूलतः अतिथेय सरकार की है । इस मामले में स्थानीय पुलिस के प्राधिकारियों ने एहतियाती प्रबंध को और तीव्र कर दिया था।

यह धमकी झूटी ही साबित हुई ।

विमान यात्रा के दौरान चीनी नागरिकों को भारतीय शहरों में घूमने और ठहरने की अनुमति

5286. **श्री आर० वी० बडे :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रा के दौरान सरकार ने चीनी नागरिकों को विशेष परमिट पर भारतीय शहरों में घूमने और ठहरने की अनुमति दी है; और

(ख) क्या ऐसी ही सुविधा चीनी सरकार भारतीय नागरिकों को देती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सही स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :—

भारत से होकर गुजरने वाले चीनी राष्ट्रिकों को, यदि वे सीधे पारगमन में है अथवा यदि उन्हें किसी भारतीय हवाई अड्डे पर 24 घन्टे से अधिक रुकना नहीं है, तो वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इन 24 घन्टों की अवधि में वे शहर में जाना चाहें, तो अवतरण परमिट लेकर वे ऐसा कर सकते हैं। अन्य प्रत्येक मामले में पारगमन या प्रवेश वीजा लेना आवश्यक है।

(ख) जी नहीं, किन्तु ऐसी सुविधा प्राप्त किए जाने का अभी तक प्रश्न नहीं उठा।

उड़ीसा में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजूरी का बढाया जाना

5287. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजूरी कब बढाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो मजूरी दर क्या नियत की गई थी;

(ग) उड़ीसा में विद्यमान मजूरी दर क्या है; और

(घ) क्या इनमें वृद्धि की जाने वाली है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) : कृषि संबंधी रोजगार के लिए संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरों की सिफारिश करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें प्राप्त होने तक राज्य सरकार ने 29-8-72 को समस्त राज्य के कृषि कार्यों के सभी वर्गों के लिए दो रुपया प्रति दिन की न्यूनतम मजूरी अधिसूचित की। उड़ीसा में मजदूरी की उच्चतम दरें क्या हैं, इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के गैर अध्यापन कर्मचारियों को शामिल करना

5288. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत लाया जा रहा है;

(ख) क्या इसके लिए सरकार का विचार संसद् में आवश्यक विधेयक पेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : एक विधेयक यथाशीघ्र पेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर का विस्तार करने का प्रस्ताव

5289. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के सरकारीकरण के बाद खानों के बढे हुए क्रयादेशों का पूर्वानुमान लगाते हुए क्या सरकार का विचार माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन का विस्तार करने का है;

(ख) क्या रूस के श्री एस० ए० स्केचकर की उपस्थिति में भारत रूस संयुक्त आयोग की 9 फरवरी, 1972 को हुई पहली बैठक में इस पहलू पर चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या ह ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपारेशन के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) भारत सोवियत संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक में विशेष रूप से माईनिंग एण्ड एलाइड मशिनरी कारपारेशन के विस्तार के प्रश्न पर विचार विमर्श नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, लिमिटेड, दुर्गापूर के कर्मचारियों को आवास

5290. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापूर में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों को आवास प्रदान किया गया है; और

(ग) सभी कर्मचारियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापूर, की नियमित सिब्बंदी में 6,525 कर्मचारी हैं ।

(ख) 4,482 कर्मचारियों को, जो नियमित सिब्बंदी का 68% है, आवास दिये गये हैं ।

(ग) वर्ष 1973 के अन्त तक 600 क्वार्टर बनाने का काम कारपोरेशन ने पहले ही हाथ में ले रखा है । कम्पनी के कर्मचारियों के लिए 400 और क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल सरकार से साहाय्यप्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत 500 आवासों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ।

आशा है कि ऊपरी बताए गए उपायों से कम्पनी के काफी कर्मचारियों को आवास की सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी ।

माइनिग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को हुआ घाटा

5291. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1970–71 और 1971–72 के दौरान माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को कितना घाटा हुआ;

(ख) 1972 तक कुल संचित घाटे की धनराशि कितनी है;

(ग) उद्योग को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या वर्ष 1971–72 के तुलन पत्र में घाटे की जितनी राशि दिखाई गई थी वह राशि ऋण के लिए सरकार को देय ब्याज की राशि को बट्टे खाते डालने के बाद दिखाई गई थी; और यदि हां, तो ब्याज की कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई थी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापूर, को वर्ष 1970–71 और 1971–72 में क्रमशः 6.45 करोड रुपए तथा 3.58 करोड रुपये की हानि हुई।

(ख) 31–3–1972 तक कम्पनी की कुल संचित हानि 36.51 करोड रुपए थी।

(ग) कम्पनी को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उत्पादन बढाने हेतु कई उपाय शुरू किये गये हैं। इन उपायों में उत्पादन, आयोजन और नियन्त्रण, सामग्री प्राप्त करने के तरीकों, रख रखाव में सुधार करना और रुपांकन संगठन को सशक्त बनाने आदि के उपाय शामिल है। कम्पनी की वित्तीय आवश्यकताओं की वास्तविक बिक्री द्वारा पूरी करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) जी हां, वर्ष 1971–72 में 1.59 करोड रुपये की ब्याज की रकम बट्टे खाते डाली गई।

संगठकों का लगाया जाना

5292. **श्री गदाधर साहा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में लगाये जाने वाले संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जोन वार उनकी संख्या कितनी है और व्यापार उद्योग सरकार शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान प्रतिष्टान तथा जनता द्वारा कितने संगठणकों का प्रयोग किया गया; और

(ग) क्या संगठणकों के लगने के परिणामस्वरूप भारत के श्रमिकों की छंटनी हुई है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना जैसी कि स्वचालन संबंधी रिपोर्ट में दी गई है, संलग्न विविरणों में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी० 4661/73]

(ग) इस पहलू पर समिति ने निम्नप्रकार विचार व्यक्त किये है :–

> "यद्यपि संगठणकों के लगाये जाने से श्रमिकों की सीधी छंटनी नहीं हुई, लेकिन संस्थाओं में तुरन्त उपलब्ध होने वाले रोजगारों की संख्या में कमी हो गई थी, क्योंकि स्वाभाविक क्षति के परिणामस्वरूप खाली होने वाले पदों को, संगणीकृत विभागों से फालतू हुए कर्मचारियों द्वारा भरा गया।"

समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

आगामी तीन वर्षों में ट्रैक्टरों की मांग

5293. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में देश में ट्रैक्टरों की मांग के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमान के क्या निष्कर्ष निकले है; और

(ग) सरकार द्वारा किस प्रकार मांग की पूर्ति करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्माण करने के सम्बन्ध में स्थापित किये गय एक कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि आगामी तीन वर्षों में ट्रैक्टरों की मांग निम्न प्रकार हो जायेगी :—

वर्ष	संख्या
1973–74	40,000
1974–75	46,000
1975–76	53,000

सरकार ने व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद से विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ट्रैक्टरों की मांग का पता लगाने के लिए कहा है। उनके प्रतिवेदन की प्रतिक्षा है।

(ग) संपूर्ण मांग देश के उत्पादन से ही पूरी करने का विचार है ।

श्रमिक विवादों को निपटाने के बारे में दिए गए सुझाव

5294. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं में रत श्रमिकों के विवादों को निपटाने के लिए विधि आयोग के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए सुझावों (हिन्दुस्तान टाइम्स, 25 फरवरी 1973) की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने सुझाओं को ध्यान में रख लिया है।

लीबिया के यात्री विमान को मार गिराने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जांच

5295. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायली वायु सेना द्वारा लीबिया के यात्री विमान को हाल ही में मार गिराने की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन की महासभा का 19 वां (असाधारण) सत्र न्यूयार्क में हुआ था जिसमें 27 फरवरी 1973 को एक प्रस्ताव पास किया गया कि लीबिया के सिविल हवाई जहाज को गोली मार कर गिराए जाने की जांच की जानी चाहिए । भारत ने अन्य देशों के साथ एक प्रस्ताव पेश किया जिसका मूल-पाठ इस प्रकार है :

"यह सभा, मिस्त्र अधिकृत सिनाई प्रदेश पर इसराईली लडाकू विमान द्वारा 21 फरवरी, 1973 को लीबिया के सिविल हवाई जहाज को गोली मार कर गिरा देने से संबद्ध मद पर विचार करने के पश्चात,

इसराइली कार्रवाई की निन्दा करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप 106 निर्दोष व्यक्तियों ने प्राण गवाएं,

आश्वस्त है कि इस दुर्घटना से अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन की सुरक्षा पर बुरा असर पडता है, इस लिए इस बात पर बल देती है कि उक्त दुर्घटना की तत्काल जांच कराई जाए,

1. परिषद को आदेश देती है कि वह महासचिव को जांच का निदेश दे ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके और शीघ्र ही परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करे,

2. सभी संबद्ध पक्षों से आग्रह करती है कि वे जांचकारी दल के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करें।

Number and Pay scales of Hindi Translators/Hindi Assistants in Ministry of External Affairs

5296. **Shri Pannalal Barupal** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total number and pay scales of the Hindi Translators/Hindi Assistants in this Ministry; and

(b) the number of permanent and temporary Hindi Translators/Hindi Assistants separately among them?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) There are six posts of Hindi Translators in the scale of Rs. 325-575 and two posts of Junior Hindi Translators in the scale of Rs. 210-425. There is no post of Hindi Assistant in this Ministry.

(b) All the officials are holding the posts in temporary capacity.

मैसर्स बिहार घी ट्रेडिंग लिमिटेड, रोशरा को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना

5297. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बिहार घी ट्रेडिंग लिमिटेड, रोशरा, जिला दरभंगा को कर्मचारी-भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत लाया गया है ; परन्तु उसके द्वारा अधिनियम का पालन अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित कया है :—

(क) दरभंगा जिले में मैसर्स बिहार घी ट्रेडिंग लिमिटेड, रोशरा के नाम के किसी प्रतिष्ठान के बारे में संगठन की कोई जानकारी नहीं है। परन्तु मैसर्स बिहार घी ग्रेडिंग स्टेशन के नाम

का एक प्रतिष्ठान रोशरा में विद्यमान है जिसे 9–1–1970 से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया गया है । तथापि, यह इस अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के उपबन्धों का पालन नहीं कर रहा है।

(ख) अनुपालन कराने के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन वसूली कार्यवाही और धारा 14 के अधीन अभियोजन संबंधी कार्यवाही शुरू कर के कार्यवाही की जा रही है ।

बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सैंड लीज का न दिया जाना

5298. **श्री रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की रांची स्थित खानों में सैंड स्टोईंग के कार्य में बाधा पड़ी है चूंकिं बिहार सरकार ने उक्त निगम को सैंड लीज देने से इंकार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार द्वारा यह लीज न दिए जाने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की करणपुर स्थित कोयला खानों में बालूभराई कार्य को निगम को बालू के पट्टे के अनुदान में देरी के कारण क्षति पहुंची है।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को इस कारण से पट्टा अनुदत्त नहीं किया गया है कि क्षेत्र के लिए निजी दल का पूर्ववर्ती आवेदन पत्र है । निगम ने मामला राज्य सरकार के साथ उठाया है।

वियतनाम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से अनुरोध किया था कि असैनिक कैदियों को तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में दक्षिण वियतनाम में रखा जाये जब तक कि उन्हें अंतिम रूप से नहीं छोड़ दिया जाता;

(ख) क्या हाल ही में पैरिस में हुए वियतनाम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संमेलन में इस सुझाव पर चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया था और इस विषय पर भारत सरकार के क्या विचार हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : सरकार को ऐसी किसी चर्चा के बारे में जानकारी नहीं है और न ही इस बात की कि पैरिस संमेलन में इस विषय पर कोई विचार-विमर्श हुआ था या नहीं । इसका न तो पैरिस समझौते में कोई उल्लेख है और न उस 'फाअिनल ऐक्ट' में, जिस पर पैरिस सम्मेलन के अंत में हस्ताक्षर किए गए थे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रूसो द्वारा पाकिस्तान को 'कोमार' प्रक्षेपणास्त्रों से युक्त नौसैनिक नौकाएं सप्लाई करने का कथित सौदा

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, I want to draw the attention ofthe Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public Importance and to request him to give a statement thereona :—

"Reported deal for supply of naval baots "Komar" missiled by U.S.S..R. to Pakistanand reported decision of U.S.S.R. to waive the ban on Arms supply to Pakistan."

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 6 जुलाई 1971 को सदन में मैंने इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि सोवियत राजदूत ने हमें बताया है कि बंगला देश में पाकिस्तानी सैनिक दमन के बाद, सोवियत सरकार द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने के बारे में समाचार पत्रों में जो खबरें आईं, वे झूठी थीं। उस समय से, शांति, मैत्री तथा सहयोग के लिए की गई भारत-सोवियत संधि की भावना के अनुकूल हमने सोवियत संघ से निकट सम्पर्क बनाए रखा है। यदि सोवियत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ होता तो हमें विश्वास है कि वे अवश्य ही हमें इसकी सूचना देते।

सरकार को जब इस समाचार की सूचना मिली तो सोवियत राजदूतावास से इस सम्बन्ध में जांच की गई। हमें यह सूचना दी गई है कि उक्त रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है।

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker. This news item was released by a News Agency.

An hon. Member : Please state the name of the news agency.

Shri Atal Behari Vajpayee Bharati. : The report contained that Islamabad is negotiating with U.S.S.R. for the purchase of naval boats fitted with 'Komar' missiles. There has been much progress in the talks and the deal has been finalised.

The report further says that there had been ban on the supply of arms to Pakistan before the Indo-Pak war.

It is satisfying that the External Affairs Minister has denied the report. The Soviet Union supply arms to other countries including Iran. Has the Government ensured that the arms supplied to Iran would not go to Pakistan?

Is it a fact that when Shah of Iran recently visited U.S.S.R. an arms deal was finalized? This not only included naval boats but also other arms. Would that country not be permitted to send arms to Pakistan in accordance with the Indo-Soviet Treaty? Any information received from U.S.S.R. may please be laid on the table of the House.

The hon. Minister has stated that after Indo-Soviet peace treaty the Government has been in close touch with the U.S.S.R. Government. Since the resumption of arms supply to Pakistan from U.S.A. the situation in this sub-continent has been changed substantially. Has this matter been discussed with Soviet Union?

Recently a statement of a Soviet spokesman was published in Indian Press wherein Pakistan President was praised very much for making efforts to reduce tension in the territory. Has there been discussion with U.S.S.R. in this regard?

श्री स्वर्ण सिंह : ईरान को शस्त्रास्त्र मुख्य रूप से अमरीका से मिलते है क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की 'सीटो' सैंटों के सदस्य है। अभी हाल ही में ईरान ने रूस से आधुनिकतम सैनिक उपकरणों का सौदा किया है। इसके बारे में हमें जानकारी है। हमें यह भी पता है कि अमरीका का कुछ सैनिक सामान ईरान से पाकिस्तान गया था।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई के बारे में मैंने इस सभा में एक वक्तव्य दिया है। अभी तक इस बारे में रूस से बातचीत नहीं हुई है।

ध्यानार्कषण प्रस्ताव कल ही दिया गया था। उक्त समाचार केवल एक ही पत्र में प्रकाशित हुआ था जो कि मेरी नजर में नहीं आया है। यदि हमने रूसी दूतावास से सम्पर्क स्थापित किया होता तो हमें कुछ भी जानकारी न मिल पाती।

Shri Ambesh (Ferozabad) : We had never hoped that Soviet Russia would have such a arms deal with Pakistan. What are the reasons that France, Jordan, Iraq, South Arabia and Iran are supplying arms to Pakistan even today. Would the hon. Minister kindly clarify as to what is lacking in our foreign policy?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ देश पाकिस्तान के मित्र है। कुछ देश हमारे मित्र हो सकते है अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां इसी प्रकार की है और हमें उन्ही स्थितियों में रहना है।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : Everybody was shocked to read the news item. The people would be satisfied with the statement of the Minister for External Affairs. Has our Ambassador in U.S.S.R. also contacted the Soviet Government?

Is there some fault in our foreign policy that we are involved in one thing or the other.

Our relations with U.S.S.R. had been not only friendly but brotherly. There are certain fences in the world who intend to damage the relations between our two countries. Are our embassies in the world are over alert in this regard.

The External Affairs Minister should announce that the countries helping Pakistan would be properly dealt with.

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे पास समय कम था। हम इस मामले की विस्तृत जांच करेंगे? मैं अपने मित्र द्वारा व्यक्त भावनाओं का आदर करता हूं।

Shri Ram Rattan Sharma (Bauda) : Does the arms supplied to Iran by Russia include naval boats fitted with 'Romar' missiles?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास इसका विवरण नहीं है । यह नौसैनिक नावें अमरीका से अथवा पश्चिमी योरुपीय देशों से उपलब्ध नहीं है । रूस और चीन के पास ही यह उपलब्ध है। हमें पता चला था कि चीन ने ऐसी नावें पाकिस्तान को दीं थी परन्तु उनकी संख्या हमें पता नहीं चली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला खान (सलाहकार बोर्ड) निपत्र

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : मैं कोयला खान (प्रबन्ध–ग्रहण) अध्यादेश, 1973 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत (कोयला खान सलाहकार बोर्ड) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 166 (ड) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4646/73।]**

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना का दृष्टीकोण" की प्रति

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं "विज्ञान और प्रौद्योगिखी योजना का दृष्टिकोण" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभाय पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4647/73।]**

कंपनी अधिनियम, 1956 सम्बधी वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन सम्बधी वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4648/73।]**

नियंत्रक और महालेखा परिक्षक का प्रतिवेदन और वर्ष 1971-72 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हू।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवाएं) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) वर्ष 1971-72 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखें गये। दे ए संख्या एल० टी० 4649/73।]**

लोक सभा में सरकार द्वारा दिए गये आश्वासनों के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के तेरह विवरण सभा पटल पर रखता हू **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4650/73।]**

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4651/73।**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव: मैं आन्ध्र प्रदेश (लेखानुदान) विधेयक, 1973, आन्ध्र प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973, उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 और उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1973 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त चार संदेशों की सूचना देता हूं।

इस्पात मिलों के लिए अर्जित भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में 8 मार्च 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर की शुद्धी

CORRECTION OF ANSWER TO S. NO. 250 DATED 8TH MARCH, 1973 *RE.* EMPLOYMENT OF PERSONS DISPLACED FROM LANDS ACQUIRED FOR STEEL MILLS

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम): महोदय, दिनांक 8-3-1973 को तारांकित प्रश्न संख्या 250 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि इस्पात प्रायोजनाओं के लिए ली गई भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों को इस्पात प्रायोजनाओं में नौकरी लेने के लिए रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नहीं जाना पड़ता है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि अकुशल कामगारों, कुशल कामगारों, लिपिकों तथा अन्य गैर तकनीकी कर्मचारियों के पद जिनके वेतनमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, प्रायोजना के निकटवर्ती रोजगार कार्यालयों की मार्फत भरे जाते हैं। रोजगार कार्यालयों की मार्फत रखे गये लोगों में प्रायोजना विशेष के लिए प्राप्त की गई भूमि से विस्थापित हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

महोदय, मैं इस वक्तव्य द्वारा इस बात की पुष्टि करना चाहता हुं कि उपर्युक्त तारांकित प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई स्थिति ठीक है।

मुझे खेद है कि इस भूल के समय पर ध्यान में न आने के कारण सदन को सही स्थिति से अवगत कराने में कुछ विलम्ब हो गया है।

समितिओं के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय कैडेट कोर की सलाहकार समिति

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कैडट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में कार्य करने के लिए 23 जून, 1973 से आरम्भ होने वाले एक वर्ष के कार्य-काल के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में कार्य करने के लिए 23 जून, 1973 से आरम्भ होने वाले एक वर्ष के कार्य-काल के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

RE. REPORT OF THIRD PAY COMMISSION

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रोजाना एक न एक समाचार आता है क्योंकि समाचार पत्रों को भी अपना कर्तव्य निभाना है । पर जब अध्यक्ष बोल रहा है, तब किसी अन्य सदस्य द्वारा कही गई बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Publishing of the news daily cannot decrease the importance of the Pay Commission Report. If this report is ready why it is not bein: g placed before the house?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन वित्त मंत्री को 31 मार्च को दे देगा । हमें नहीं पता कि कोई रिपोर्ट, जिसके बारे में समाचार आ रहे हैं पेश की गई है ।

जे० के० मिल्स, कानपुर में हड़ताल के बारे में

RE. STRIKE IN J.K. MILLS, KANPUR

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, कानपुर में जे० के० मिल में 62 दिन से हड़ताल चल रही है । मिल मालिक मजदूरों की मांगों को नहीं मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल उचित है । हम चाहते हैं कि श्रम मंत्री इस सम्बन्ध में तुरन्त एक वक्तव्य दे अन्यथा हमें मिल को सरकार अपने हाथ में लेने की मांग करनी पड़ेगी ।

यदि यह मामला दो-तीन दिन में तय नहीं होता है, तो कानपुर के सभी सूती कपड़ा मिलों में हड़ताल हो जायगी । यदि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री और मुख्य मंत्री चुनाव के चन्देक कारण जे० के० से डरते हैं तो मैं माननीय श्रम मंत्री और प्रधान मंत्री से 4000 मजदूरों की क्षा की अनुरोध करूं और श्रम मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे एक वक्तव्य इस सम्बन्ध में दें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे वक्तव्य देने को तैयार हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं । **(व्यवधान)** यह सब क्या हो रहा है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता । प्रत्येक बात की कोई सीमा होती है । अनुमान के बिना किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई भी बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जायगी ।

अनुदानों की मांगे--1973-74

Demands for Grants—1973-74

गृह मंत्रालय

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Before saying any thing about the Demand for Grants regarding Ministry of Home Affairs I would like to pay homage to the Jawans of Boarder Security Force who have laid their lives during Indo-Pak war of 1971. I had an opportunity of visiting their training centre at Tarakpur near Gwalior. The training arrangements are good but the arrangement for the education of their children is not adequate. Home Ministry should give attention towards that.

The main duty of Home Ministry is to have law and order in the country as a whole but today we see complete absence of law and order in the country. It has failed completely in this respect. To remove the discontentment of the public reorientation of administrative set up is necessary.

Yesterday so much had been said about communal riots. False allegations were made against my party also. I am sorry that we have not taken any lesson from the creation of Bangla Desh.

Why the communal atmosphere in the country is deteriorating? Why does a section of Muslims say in Bombay that they are not prepared to sing 'Vande Mataram'.

The distrubance started in Bombay when the students reading in Urdu schools refused to sing 'Vande Mataram' on the 26th January,

This unfortunate controversy over 'Vande Mataram' should be brought to an end. *(Interruption)* the Muslim League has raised this controversy and this league was supported by a leader of Congress Party in the Bombay Corporation. They cannot fight with the communalism of another section by encouraging Muslim Communalism.

Now a great deal is being said in regard to Muslim character of the Aligarh University. What is meant by the Muslim Character? Are the Muslims living only in India and not elsewhere? Should a University represent the hopes of the society in which it is functioning or not?

If the subject of Muslim Theology is to be taught there that can certainly be done but it should not be made an institution of the muslim minority. The character of every university in India should be Indian.

I disagree to a particular aspect of the university and that is that the Government is going to take more powers in their hands in every university. *(Interruption)*

It is my submission that the universities should be democratized. It is wrong if there is a nominated academic council in Aligarh.

Shri B.P.Maurya (Hapur): Other university should be democratized first and Aligarh later.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have been demanding that the Bonaras University Bill should be brought forward. We do not want that there should be more nominated members in the Academic Council, Executive Council and extra-ordinary powers be vested in the visitor.

It has been said that the Jana Sangh is supporting the claim that Urdu should be made second official language in Uttar Pradesh in order to win the election. But I have refuted this news. Undoubtedly Urdu is an Indian language and it should prosper like other Indian languages. All encouragement should be given for its proper grwoth and if anybody is willing to read through the medium of Urdu that facility should also be provided.

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

But it is difficult to support the plea to make Urdu a second official language in Uttar Pradesh. It implies many problems like the question of Bengali in Assam and that of Hindi in Punjab.

I make a submission that the spirit behind the agitation regarding the growth of Urdu is to revive the politics of the Muslim League which it adopted before partition. This outlook must not take place.

In view of the growing trend of communalism in the country a great responsibility comes on Shri Dixit. Let him draw some inspiration from Sardar Patel, Rajaji and Shri Pant who have been his illustrious predecessors in this office. Let him steer the country through the present day troubles.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : We are passing through changing circumstances. Sometimes there are strikes, the other time slogans are raised. New problems have also emerged alongwith the economic growth. The Ministry of Home Affairs is to tackle all these problems. It has also to play a role in resolving the problems of group rivalries and communal riots. A change has been brought about in land system. The Government has brought forward a bill in order to decide the ceiling of land which has led to certain crimes.

There is a rapid growth in population. It has to be looked into.

The Border Security Force is under this Ministry. It has played an appreciable role at the time of war with Pakistan.

The Ministry of Home Affairs has undertaken the responsibility of extending help to the freedom fighters.

I would like to urge upon the hon. Minister to augment this work. The decision taken by the Government to give pension to all the freedom fighters by the 15th August is commendable.

So far as the crimes are concerned, they are committed in scientific ways. Therefore, it is very essential to impart scientific training to the Police in the field of intelligence and criminology.

It is correct that the Government is checking smuggling but the State Governments are to be tightened up in this respect.

Apart from that, there is illicit distillation and sale of liquor. The Government have a machinery to check it.

This Ministry has to deal with all sorts of disturbances *viz.* cases regarding money, land, communal riots.

So far as communal riots are concerned, it is very strange that the people who incite the people for communal riots, raise their fingers at others. So far the Congress Party is concerned its members have sacrificed their lives for the interests of the minorities and tried to establish nationalism in India.

The Government is taking anti-corruption measures. There is no doubt that the evil of corruption has crept deep into our politics. The corruption is there due to inefficient working on the part of bureaucracy. Their working should be speeded up and all the obstacles in this regard be removed.

So far as the Police is concerned, it is necessary to impart training to them on scientfic lines so that they can be more effective in the prevention, detection of crimes. And housing and other facilities should also be provided to them.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : The last year will be regarded as a year of failures for the Ministry of Home Affairs. In no matter whether it was the language disturbance in Assam or the separatist agitation in Andhra—the Ministry has shown sign of efficiency. Like an easy going housewife they seem to believe in sitting over all the problems.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*.]

At the same time I would like to submit that never before the impartial working of the Ministry of Home Affairs was so questioned as is being done now. The C.B.I. appear to have been made an instrument for the fulfilment of the interests of the ruling party and the Delhi Police is acting like a volunteer force of that party. The police inactivity in regard to Miranda House incident and withdrawal of case against the Modis shows the same point.

So far as the charges against the Haryana Chief Minister are concerned, the present Minister of Home Affairs gave him a clean chit although an inquiry was going on in that regard. How can we expect such a person to behave in an impartial manner in his new office?

As regards the National Integration Council, which was set up with much funfare the report says that its Secretariat has been expanded but I want to know for how long the council has not met. It appears that the council has been buried over.

Last time when the question of Fundamental rights was discussed in the House. The opposition parties urged that the rights of the minorities should not be touched, but the Government did not pay any heed to that advice. This has caused doubts in the minds of the minorities.

The manner in which the Aligarh University Bill was brought was hasty. This house should hang their faces in shame. Inspite of our repeated protests, that Bill was brought forward. That legislation has caused widespread dissatisfaction in the country. That Bill was undemocratic.

Recently while arguing before the Supreme Court the Attorney General is reported to have said that 'the right of religion is not a fundamental right'. What will be its repercussions on the minds of the minorities. The Minister of Home Affairs should look into this **matter.**

If the Government wants to see the minorities to live properly, without any fear they should set up a Civil Rights Commission on the lines of Vigilance Commission. That Civil Rights Commission should have the powers to hear the complaints of the minorities and give its decision thereon.

So far as the question of prohibition is concerned, that scheme seems to have been shelved by the Government. It may have serious consequences.

The Government has decided to give pension to the freedom fighters recently. But these people are facing great difficulties in obtaining certificates to prove that they have undergone imprisonment. An All Party Committee should be set up to go round the districts to issue such certificates.

श्रीमती ज्योत्सना चंदा (कचार) : गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में आसाम में 1972 में हुई हिंसा और तनाव का उल्लेख है परन्तु जन-धन की हानि का कोई उल्लेख नहीं है ।

आसाम में भाषाई-दंगे आम बात हो गई है जिसमें से 1972 में सबसे अधिक गंभीर दंग हुए । हर बार राज्य की व्यवस्था स्थिति का सामना करने में असफल हो गई । यह दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्ब से की गई कार्यवाही से विचार संकीर्णता और भाषाई दंगों को प्रोत्साहन मिला है । दोषी अधिकारियों को दंड नहीं दिया गया है । आकाशवाणी ने गौहाटी तथा डिब्रूगढ केन्द्रों के वे कर्मचारी, जिन्होंने बांगला विरोधी प्रचार में भाग लिया था, नाटक तथा अन्य तरीके से विष उगल रहे है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने आकाशवाणी उन के केन्द्रो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है । यदि दंग करने वालों को दंड नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाओं के बार-बार होते रहने का खतरा बना रहेगा। आसामी भाषा को लागू करना ही इसका मख्य कारण है ।

[श्रीमती ज्योत्सना चंदा]

गैर-आसामी क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर सिलचर और गोहाटी चिकित्सा कालेज की साथ साथ स्थापना की जानी थी । गोहाटी चिकित्सा कालेज की स्थापना की जा चुकी है जब कि सिलचर कालेज के लिये अभी प्रयास जारी है ।

कधार में क्षेत्रीय इंजीनियरींग कालेज की स्थापना का मामला संदिग्ध है । विकास क्षेत्र में कधार की बहुत अधिक उपेक्षा की गई है । अब तक कधार के लिये दो औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । ये दो परियोजनाएं है--एक चीनी मिल और एक कागज मिल । लेकिन दोनों ही परियोजनाओं को आरम्भ किये जाने में विलम्ब हो रही है ।

कधार में बड़ी मात्रा में फलों का उत्पादन होता है लेकिन उनके बड़ी मात्रा में परिरक्षण के लिये परिरक्षण कारखाने समर्थ नहीं हैं । राज्य सरकार इस बारे में उचित ध्यान नहीं देती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को हानि होती है ।

कधार में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है । सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बच्चों को समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं । बंगाली बोलनेवाले अभ्यर्थियों से भेदभाव किया जाता है । उन्हें नौकरी देने से इंकार किया जाता है । कधार के लोगों की भी यही स्थिति है । अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकारी उपक्रमो, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है ।

प्राइमरी शिक्षा के बारे में आसाम सरकार संवैधानिक उपबन्ध का भी आदर नहीं करती है । संविधान में यह व्यवस्था है कि प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिये । लेकिन आसाम सरकार इसका उल्लंघन कर रही है ।

इसी प्रकार उच्चस्तर शिक्षा के मामले में यद्यपि केन्द्रीय सरकार के निदेश हैं कि उच्चतर स्तर पर मातृभाषा की सुविधाओं को कम न किया जाय लेकिन आसाम सरकार का रवैया इसके विपरित है ।

अल्पसंख्यक भाषा भाषियों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है । उनके लिये रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । व्यवहार में आसाम राज्य में उन्हें दूसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता है ।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि या तो वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अधिकारों को क्रियान्वित करे और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये तरीकों का पता लगाये अथवा गैर-आसामी भाषा भाषियों को विभिन्न यूनिट में पृथक कर दे और सब यूनिटों को पूर्व जोनल परिषद् के अन्तर्गत ले आयें । राष्ट्रीय एकता के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के टुकड़े किये जाने आवश्यक हैं इससे आसामियों और गैर-आसामियों के संबंध मजबूत होंगे ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धारापुरम) : भ्रष्टाचार, धोखा-धड़ी, अनैतिकता, काले धन की जमाखोरी के लिये कड़ी सजा की व्यवस्था होनी चाहिये । जब किसी व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है तो वह दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है । एक व्यक्ति जो राजनीति में आने पर बहुत निर्धन होता है राजनिती में आने के बाद लखपती बन जाता है ।

तमिलनाडु ही सबसे पहला राज्य है जिसके परिषद् और विधान सभा के सब सदस्योंने, जिनमें मंत्री भी शामिल है, अपनी आस्तियां और दायित्व घोषित करने के लिये नियम बनाये । तमिलनाडु में केवल एक विधान सभा सदस्य ने 13 बार स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा नही की है । और वह हैं श्री एम० जी० रामाचन्द्रन ।

यह आरोप लगाया गया है कि जब वह विदेशों में फिल्म की शूटिंग के लिये गये थे तो उन्होंने विदेशी मुद्रा अधिनियम के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन किया था। लेकिन सरकार ने इस बारे में जनहित में कोई ब्योरा नहीं दिया है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा की माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी है। इसके परिणामस्वरुप अहिन्दी भाषा भाषियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने इसी सभा में आश्वासन दिया था कि आंठवीं अनुसूची में उल्लिखित सब क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

इसका द्रविड मुनेत्र कषगम् दल ने विरोध किया था और उन्होंने प्रश्नकाल में भी भाग नहीं लिया था।

अहिन्दी भाषा भाषियों को इस प्रकार परेशान किया जा रहा है। हिन्दी के विकास के लिये सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना में 25.45 करोड़ रुपये व्यय किये जबकि अन्य भाषाओं के विकास के लिये केवल 1.35 करोड़ रुपये खर्च किये गये। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के विकास के लिय 21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार हिन्दी भाषा भाषी राज्यों के विद्यार्थियों की मदत कर रही है और अहिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थियों की उपेक्षा कर रही है। 1966 से 1972 तक 707 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी चुने गये। इनमें से 346 पदों पर हिन्दी भाषा भाषी राज्यों से जिनमें दिल्ली भी शामिल है, अधिकारी चुने गये।

राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कानून बना दिया है। तामिलनाडु सरकार न हाल ही में, मंत्रियों के जिसमे मुख्य मंत्री भी शामिल हैं, विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये एक विधेयक पुरस्थापित किया है। आयोग में एक च्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिश पर होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह आरोपों की जांच करने के लिये स्वतन्त्र होगा। आरोप सिद्ध होने पर सरकार को मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ेगा। इसके लिये 7 वर्ष की सजा रखी गई है।

द्रविड मनेत्र कषगम् राज्य में प्रगतिशील कार्य कर रहा है। [केन्द्रीय सरकार के] मंत्रियों द्वारा राज्य के प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप की बात समझ में नहीं आती है। कोई भी सदस्य हमारे राज्य का विकास देख सकता है। केन्द्रीय सरकार वहां फूट डालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है अतः अस्वास्थप्रद परम्परा को बढावा दे रही है।

श्री सेम्बियान (कुम्बकोणम्) : गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के बारे में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। 1970 में जब हिन्दी नामों को रोमन लिपि में आरम्भ करने का प्रश्न उठा तो सभा में इसका तीव्र विरोध किया गया था और इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी और संसदीय कार्य मंत्री ने तब कहा था कि वर्तमान अंग्रेजी नाम जारी रहेंगे और हिन्दी के नाम देवनागरी में दिये जायेंगे। ऐसा सभा को दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाहय मनीपुर) : यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध घटी कोई भी घटना का सब लोगों को मिलकर विरोध करना चाहिये। सरकार पर यह आरोप लगाने से कि अमूक मामलों में उसने कार्यवाही नहीं की है कोई लाभ नहीं होगा।

[श्री पाओकाई हाओकिप]

सदन को विदित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग और हरिजन बड़े समय से भारतीय समाज के शिकार होते रहे हैं। प्रतिदिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हत्याएं करने और उनके प्रति ज्यादतियां करने के समाचार देश के सब भागों से सुनने को मिलते हैं। मुझे इस में संदेह नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। लेकिन केवल सरकार इस समस्या से नहीं निपट सकती। जनता का भी यह दायित्व है कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की स्थिति में यथा शीघ्र सुधार किया जाना चाहिये। स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मनीपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आशा है कि माननीय मंत्री राज्य की दशा में यथा शीघ्र सुधार करने की ओर ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : दुर्भाग्य से गत वर्ष पिछड़े वर्ग के लोगों और विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों पर बहुत जुल्म किये गय ह, पुरी के शंकराचार्य एक आन्दोलन चला रहे हैं जिसके अन्तर्गत वे पिछड़े वर्ग के लोगों की आलोचना करते है और इस प्रकार संविधान के सब उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने अपने कुछ भाषणों में सामाजिक असमानता को न्यायोचित बताया है। वह अपने भाषणों द्वारा हरिजनों को भड़का रहे हैं। गृह मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये और शंकराचार्य को, जो वास्तव में इसके लिये दोषी है, सजा दी जानी चाहिये।

मुझे इस बात की खुशी है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ने भी अस्पृश्यता की आलोचना की है।

जातिवाद प्रणाली की दुहाई देने वाले नेता समाज में आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हैं। इसके परिणामस्वरूप शान्ति भंग होती है। शंकराचार्य के विरुद्ध उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

राष्ट्रगान के सम्बन्ध में देश के सब दलों को मतों की परवाह किये बिना मिलकर कार्यवाही करनी चाहिये। राष्ट्र के प्रति वफादारी ही इस देश की हमेशा से परम्परा रही है। कुछ मतों के बजाये स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति वफादारी अधिक महत्वपूर्ण है।

वन्देमातरम् के बारे में विवाद दो उग्र प्रवृत्ति के समुदायों ने उठाया है। जब लोग बन्दे मातरम् गा कर गोलियां खा रहे थे और फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे तो उस समय ये समुदाय कहां थे। उक्त विवाद मुस्लिम लीग दल के नेता ने नहीं उठाया है बल्कि बम्बई नगरनिगम में कांग्रेस दल के नेता ने उठाया है। इस विवाद में 'अल्लाह' को लाया गया है। यह अच्छी बात है कि सदन् में मुस्लिम लीग के सदस्य 'अल्लाह' को विवाद में नहीं ला रहे हैं।

ऐसे भी मुसलमान है जो 'वन्देमातरम्' के नारे के साथ फांसी के तख्तों पर झूल गये हैं। 'वन्देमातरम्' की यह परम्परा रही है।

विधान सभा में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की थी कि :

"जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा और 'वन्देमातरम्' को, जिसने भारत की स्वतंत्रता में ऐतिहासिक योग दिया है, जन गण मन के समान ही सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा।"

मैं इस सम्बन्ध में किसी समुदाय को घसीट कर गलतफहमी पैदा करना नहीं चाहता। यह दुःख की बात है कि राष्ट्र गान जैसे मामले पर देश में हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेद है। मुझे विश्वास है कि मुसलमानों को इस बारे में उचित तरीके से बताया जायेगा तो मुसलमान भी 'वन्देमातरम्' का आदर करेंगे।

सीमा विवाद के मामले में सरकार को राजनीति में न पड़ कर एक ठोस निर्णय लेना चाहिये। मैसूर-महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद है। यदि महाराष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं होगी लेकिन इस मामले को बहुत समय तक विचाराधीन नहीं रखना चाहिये। विवाद को हल करने के लिये बिना पक्षपात के समान सिद्धांत अपनाने चाहिये। महाराष्ट्र-मैसूर विवाद में हिंसा से काम नहीं लिया जाना चाहिये। आंध्र की समस्या का भी शान्तिपूर्ण और लोकतांत्रिक हल ढूंढ़ा जाना चाहिये। यदि सरकार आंध्र का विभाजन ही करना चाहती है तो उसे ऐसी समय रहते करना चाहिये।

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh): There are some destructive elements in the country who do not like the Government to make progress. I do not understand why steps have not been taken against Shankaracharya of Puri. All the parties should be united in this matter and should raise their voices in this issue. I will, therefore, request that this matter should be condemned by all the parties.

Scheduled castes and Scheduled tribes people's cases for promotion are not considered. In case any approach in this regard is made their services are terminated. I want that the Home Ministry should look into this matter and they should be given proper encouragement.

In our country no encouragement is given to honest and loyal workers. A person is not even rewarded in case his honesty is proved. Under these circumstances no one will remain honest.

Bureaucracy is prevailing everywhere in the country, and it is an enemy of the Government. They want that some how the Congress Ministry may fail and their bureaucracy may work. The present procedure should be changed. The Home Ministry should look into this matter and should take severe action in this matter. The person dealing in bureaucracy should be prosecuted and should be punished.

श्री वी० के० कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम): गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि असैनिक उपद्रव में लगे लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में हमारे देश ने मानव अधिकारों और जेनेवा संधि पर हस्ताक्षर किये हैं। पुलिस को किस सिद्धांत के आधार पर शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है अथवा अन्य रूप से कार्य करने पर सजा देने का अधिकार है। पुलिस को भी अन्य व्यक्तियों की तरह अधिकार प्राप्त हैं। यदि वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करती है, जिसे उसे प्रयोग नहीं करना चाहिये, तो उसे भी अन्य व्यक्तियों के समान सजा दी जानी चाहिये। आत्मरक्षा में शक्ति का प्रयोग न्यायोचित है।

पुलिस का मुख्य कार्य दण्डात्मक नहीं है। यदि वह एक हत्यारे को भी गिरफ्तार करती है, तो उसे हत्यारे को पीटने का अधिकार नहीं है; उस (हत्यारे) को सजा देने का कार्य न्यायाधीश का है। गृह मंत्रालय को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि नागरिकों को न केवल मानवीय व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है बल्कि उनका आत्म सम्मान भी रखा जाना चाहिये। पुलिस द्वारा लोगों को पीटने के पीछे अधिकार क्षति को कम करने की भावना नहीं है बल्कि उनके दिलों में भय उत्पन्न करने की भावना है। पुलिस शरीर के ऐसे अंग पर वार करती है जिसके भयंकर परिणाम हों।

एक सभ्य समाज में यदि पुलिस ऐसा कार्य करती है तो वह भी सामान्य नागरिकों की तरह दोषी है।

[वी० के० कृष्ण मेनन]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को सम्बद्ध राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में नहीं भेजा जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय सरकार को एसा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उस पर सीमा पर महत्वपूर्ण कार्य करने का भी दायित्व है। उसका उपद्रव वाले क्षेत्रों में इस प्रकार रहना बहुत ही खेद जनक है। मंत्री महोदय को जनता के दिमाग में यह भावना पैदा करनी चाहिये कि वे पुलिसमैन हैं और जनता को गुस्से में नहीं आना चाहिय।

भारतीय रक्षा अधिनियम 4 दिसम्बर, 1971 को लागू किया गया था। इसकी धारा एक की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि यह आपत् की अवधि के छः महीने बाद तक जारी रहेगा। इसके लिये अभी तक कोई निश्चित अवधि तय नहीं की गई है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 2 जुलाई, 1971 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में भी समय सीमा निर्धारित नहीं है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम में एक नई धारा 17क जोड़ी गई है। जिसके परिणामस्वरूप नजरबन्दी की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष हो गई है। अब एक व्यक्ति को बिना मुकदमे के 21 महीने तक नजरबन्द रखा जा सकता है।

नये संशोधित के अन्तर्गत छोटे अधिकारियों को भी अधिकार दिये गये है। लेकिन उनके लिये कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं बनाया गया है। संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि इस बारे में सिद्धान्त बनाये जाने चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया है जिसके परिणाम-स्वरुप एक मैजिस्ट्रेट एक विशेष व्यक्ति को बिनाकारण जेल भेज सकता है। इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध है कि इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को दी जानी चाहिये। जेल में रखे गये व्यक्ति को यह पता नहीं लगता कि उसके बारे में सूचना दी गई है अथवा नहीं और उसके बारे में क्या सूचना दी गई है। उसे अभ्यावेदन देने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता। यह भी संविधान का उल्लंघन है। संविधान का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में एक नया उपबन्ध लागू किया गया था जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवैध घोषित कर दिया है।

कार्यपालिका की ज्यादतियों के विरुद्ध आज न्यायपालिका ही संरक्षक है। कार्यपालिका को अधिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये ऐसा करने से जनता की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायेगी।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : कुछ माननीय सदस्यों ने पुलिस के कार्य की आलोचना की है और उल्लेख किया है कि पुलिस अपना कार्य उचित ढंग से नहीं करती है। इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती। पुलिस के जनता से व्यवहार के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना चाहिये कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिये कौन उत्तरदायी है और पुलिस और कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाले लोगों का क्या कर्त्तव्य है? अतः हर समय पुलिस की आलोचना करना उचित नहीं है। जब कभी पुलिस ज्यादती करती है तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके लिये नियमित प्रक्रिया है। पुलिस को दोषी पाये जाने पर उसे दण्ड दिया जाना चाहिये।

समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए है कि सत्तारुढ़ दल के कुछ सदस्य इस बात से अत्यधिक चिन्तित हैं कि कांग्रेस दल में क्या हो रहा है और वे इस बात का निर्णय कर रहे हैं कि कांग्रेस दल में कौन प्रगतिशील है और कौन प्रगतिशील नहीं

है। भारतीय साम्यवादी दल की इस प्रकार की गतिविधियों पर मुझे आपत्ति है। कांग्रेस के लोगों को ऐसे व्यक्तियों से प्रमाणपत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम का भी विरोध किया है।

यह भी कहा गया है कि यदि वे वर्तमान राष्ट्रपति को चुनाव में समर्थन न देते तो चनाव परिणाम कुछ और ही होते। यह कांग्रेस दल की राजनीतिक गतियों में एक प्रकार का हस्तक्षेप है। इससे कठिनाइयां उत्पन्न होती है। उन्हें अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन करना चाहिये और दूसरों की निन्दा करने की बजाये अपनी चिन्ता करनी चाहिये।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी पुलिस को प्रशिक्षण की और स्थिति का अनुमान लगाने के लिये और अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। यह सच है कि पुलिस द्वारा कहीं ज्यादतियां की गई है। लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि हम लोग संसद् में और संसद् के बाहर भी पुलिस की आलोचना करते रहते है। प्रत्येक अवसर पर देश में घटने वाली घटनाओं के लिये पुलिस को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हम पुलिस को कठिनाई का संकेत मानते हैं। प्रत्येक मामले में हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं।

देश में पुलिस के मनोबल को कम करना उचित नहीं है। अतः जहां तक पुलिस की ज्यादतियों का संबंध है उनकी निन्दा तथा जांच की जानी चाहिये। लेकिन हमें पुलिस के मनोबल को घटाने का प्रयास नहीं करना चाहिये। पुलिस द्वारा अपने कर्त्तव्य का पालन न करने से हमारे लिये अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी।

यदि हम देश में व्याप्त अराजकता की ओर ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि इस स्थिति के लिये राजनीतिक तत्व ही जिम्मेवार हैं। वे स्वयं ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं और बाद में अराजकता के लिये सरकार को दोषी ठहराते हैं। इस सम्बन्ध में एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चाहिये यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह सत्ताधारी दल का हो अथवा किसी अन्य दल का, लोगों को हिंसा के लिये भडकाता है, तो उसके विरूद्ध आयोग को नोटिस जारी करना चाहिये और यदि उसके विरूद्ध कोई मामला बनता है तो कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

"वन्देमातरम" गान का हम सबको आदर करना चाहिये।

श्री बाजपेयी जी ने मुस्लिम लीग द्वारा साम्प्रदायिकता भड़काने की बात कही है। मुस्लिम लीग की इसके लिये निन्दा की जानी चाहिये। लेकिन उनका दल भी साम्प्रदायिकता भड़का रही है। वास्तव में साम्प्रदायिकता का त्याग करके ही देश की सेवा की जा सकती है।

दिल्ली की समस्याओं के हल में विलंब हो रहा है और उनके लिये कोई समन्वित प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि सरकार विपक्ष की गतिविधियों की ओर ध्यान दें जो कि अवसरवादी रवैया अपनाकर अपना उल्लु सीधा करने में व्यस्त हैं। विपक्ष के प्रक्षालन की बड़ी आवश्यकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं अपने मित्र के प्रति कोई कडे शब्द तो प्रयोग नहीं करना चाहता परन्तु वह कहते है कि हमने यहां अनेक मामले खडे किये है। मैं जानना चाहता हूं कि वह नागरवाला काण्ड, मारुति लिमिटेड अथवा वांचू समिति के प्रतिवेदन आदि में से किस की बात कर रहे हैं?

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं गृह मंत्रालय को अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी कृत्य अब गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आ गये है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की दशा में सुधार करने का भरसक प्रयास करेंगे।

भाषा का मामला बडा गंभीर तथा भावुकता पूर्ण होता हैं। मैं देश की सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं तथा अपनी निजी भाषा के अतिरिक्त बंगला, असमिया, तथा हिन्दी भी खूब जानता हूं। किसी भाषा से घृणा करना बुरी बात है। हर भाषा को अपनाने का अधिकार है ।

असम में भाषा का विवाद बहुत पुराना है तथा जब वहां भाषा संबंधी उपद्रव हुए तो श्री नेहरू ने यहीं संसद के केंद्रीय हाल में कहा था कि असमिया भाषा को जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अब भाषा को लेकर वहां प्राय: आन्दोलन भडक उठते है।

ब्रह्मपुत्र घाटी में बंगाली भाषा माध्यम वाले 50 हाईस्कूल है तथा अनेक प्राथमिक पाठशालाएं है। सभी को सरकारी मान्यता प्राप्त है फिर माननीय सदस्या श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा कैसे कहती है कि बंगाली भाषा को दबाया जा रहा है। मैं तो देश में राष्ट्रीय अखण्डता का हिमायती हूं और मैंने संघालय, मिजोरम आदि से प्रथम गठन का विरोध किया था।

मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत, संविधान की अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा पिछडे वर्गों को रोजगार देने के बारे में विशेष उपबन्ध है क्यों कि ये लोग अन्य प्रगति प्राप्त लोगों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते है। अनुच्छेद 46 इन अधिकारों की रक्षा करता है परन्तु अनुच्छेद 335 इसमें बाधा उत्पन्न करता है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार की सेवाओं में प्रशासन की कुशलता का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस प्रकार यही अनुच्छेद एक बाधा उत्पन्न करता हैं क्यों कि नौकरशहा अधिकारी इस आधार पर अनुच्छेद 16 तथा 46 के उपबंधों को निष्क्रिय बना देते है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस अनुच्छेद 335 में संशोधन किया जाये। हालांकि सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के कल्याण संबंधी एक संसदीय समिति गठीत कर रखी है जो कि इस क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों पर निगाह रखने के लिय है परन्तु फिर भी हमने पाया है कि नौकरशाह अधिकारी इस संबंध में प्रावधित विशेष उपबंधो का क्रियान्वित करने में संतोष करते है। यदि हम गरीबी हटाना चाहते है, समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें इन जातियों की दशा सुधारनी होगी तथा इसके लिये नौकरशाहों को अपना रवैया बदलना होगा।

सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की दशा में सुधार के लिये अनेक कदम उठाये है। 482 आदिवासी ब्लाक बनाये गये है परन्तु उन ब्लाकों में जाकर मैंने पाया है कि सडकों आदि के निर्माण के पश्चात साहूकारों तथा ऋणदाताओं द्वारा आदिवासियों की भूमि हथियाली गई है या उद्योगों के नाम पर ली गई है उन की भूमि का उचित मुआवजा नही दिया गया है। मंत्री महोदय इस मामले की जांच करें।

श्री पन्त तथा श्री मिर्झा से मेरा अनुरोध है कि वह अनुसूचित जातियों या जनजातियों की भावनाओं का सम्मान करें तथा उनके लाभो में रुकावट पैदा करने वाले अनुच्छेद 335 में संशोधन करें।

Shri Ibrahim Sulaiman Sait (Kanjikot) : I am grateful that I have been given a chance to speak on the demands for grants of the Ministry of Home Affairs, and also to clarify my party's position in respect of certain misgivings created by vested interests here.

The atrocities to which we, the minorities, have been subjected since independence, is an episode in itself. Whereas we continued to be loyal and faithful to the country our opponents also continued to doubt and maltreat us throughout. On our part, we crave and strive for communal harmony and national solidarity in all respects but it is painful and distressing to note that gigantic efforts are being made to ruin our culture, faith and civilisation as if only thereafter we can be trusted to be loyal and faithful. We are totally opposed to such a philosophy. We can lay any sort of sacrifices and contribute for the national cause besides maintaining our specified faith, outline and way of thinking.

It is absured to say that Muslim League is a communal organisation. On the other hand it is a national organisation of minorities. It can be confirmed even from the hon. Prime Minister as to what role has the Muslim League playing and how far it has joined shoulders with her in the nat onal interest...(*interruptions*) We fully believe that ours is a national party and since indepedence we have not done anything which might have amounted to antinational. We have been longing for friendship with all and enemity with none. Also we do not want to impose our culture on any one and also don't want to dominate. But certainly we deserve and we wish for our due share in politics of the country as also in our duties to the Country.

There a quite a number of various departments e.g. External Affairs, Administrative departments, Police, C.R.P. Armies etc. under the Government; but how many Muslim are working there? How many Muslim are given employment opportunities there? Although the Hindus and the Muslims are to be treated at par and both have equal duties as well rights to respect of the country's affairs but the Muslims have been setting step-motherly treatment throughout.

As regards the demands of the Ministry of Home Affairs; we find incidents of riots, atrocities on Harijans and minorities on issues of language units etc. etc. almost everyday. The country has been suffering huge losses of both life and property on account of these things. It is very surprising that despite various strong forces like police, C.R.P. Army etc. the Government is unable to control these riots and upheavals.

This shows the inaction of the Administrative Machinery. We don't want that anyone whosoever he may be, speared in his mischiefs. Let their be capital punishments for the miscreants and culprits. Let there be tribunals and also a special police force comprising different categories of units to control the riots and establish peace.

Some days ago, the Muslims protested in a most democratic way against the Aligarh Muslim University Act, which was not acceptable to the Muslims. But the police fired bullets on them killed many of them and indulged in looting and arson. The P.A.C. set fire to their Houses. Till now there have been as many as 240 cases of riots in various parts like U.P., Maharasntra, Mysore, and recently in Rajasthan at Nagaur in which despite the permission by the local police to carry out the procession of a dead body. There appeared a scene of looting and arson as well as killings. Tension still continues there. Police should have permitted the procession of a dead body in an atmosphere of tension.

We don't claim that Urdu is the language of Muslim only. It is a national language. In fact it is the only medium of conversation between various sections of the society. That is why it is termed as a National Language.

Sentiments were aroused in the name of Vande Mataram. But who did it? None had spoken anything against Vande Mataram since Independence. It was a congressman, supported by the Government in Maharashtra, who was responsible for creating such an environments. In the constituent Assembly, Pt. Nehru, Mahatma Gandhi and Rabindra Nath Tagore all had said that no body should be pressurised in this regard. But on our part we respect and honour Vande Mataram but it should not be imposed on us by force. Please do not compel.

Aligarh Muslim University was established by the Muslims and for the Muslims, but doors of this institutions were not closed for others. The Muslims gave endowments, buildings and also made many sacrifices in it, and nourished this institution with their blood

[Shri Ibrahim Sulaiman Sait]

for 100 years. The Chatterjee Commission also accepted the specific character and set up of this institution and once again you can set up any other commission to ascertain the propriety of this specific status.

As regards educational and economic progress, the Muslims are far backwards. We should not forget that the minorities to have some fundamental rights in this secular country. But Shri Vajpayee does not appear to be in any mood to understand and we are compelled to say to him that if he does not look into it, let God look into him.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री सेट ने अपने भाषण के अन्त में श्री वाजपेयी से बातचीत करन की बडी ही सुन्दर बात कही है । मैं समझता हूं कि इससे दोनों पक्षों की कटुता में कुछ कमी आयेगी ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।**
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

गृह मंत्रालय पर चर्चा के समय अनेक बातों पर चर्चा हुई है। मै उनमें से कुछ विशेष मुद्देही यहां लूंगा ।

सबसे पहले मैं स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन देने की बात को लेता हूं। हम इस काम में तेजी लाने का प्रयत्न कर रहे है, इसके लिए और कर्मचारी भरती किए गये है। 15 फरवरी तक प्राप्त हुए 1,19,583 प्रार्थना पत्रों में से 10,161 को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 1000 से कुछ अधिक प्रार्थना पत्र रद्द कर दिए गये हैं । 15 मार्च 1973 तक प्राप्त हुए 1,24,184 प्रार्थना पत्रों मे से 20,920 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए गये हैं तथा 3,315 रद्द किए गये हैं । कुछ मामलों में जिनमें प्रार्थना पत्र पूरे नहीं होते हैं अथवा जिनमें पूरी सूचना नहीं होती हैं हमें दोबारा स्पष्टीकरण मांगना पडता है । हमने स्थिति का पुर्नविलोकन किया है और राज्यों से जांच करके बनाई गई सूची भेजने को कहा है । कई राज्यों में इसके लिए समितियां बनाई गई हैं। और हमने इसकी सारी जिम्मेदारी राज्यों पर छोड दी है । वैसे अभी तक कोई सूची नहीं भेजी है । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे जिलाधिशों को स्वतंत्रता सेनानियों को जेल प्रमाणपत्र प्राप्त करने मे मदद देने को कहें । जिन कुछ राज्यों मे सत्यापित सूचियां भेजी है वे भी हमारी योजना के अनुसार नहीं है हमारी यह इच्छा है कि 15 अगस्त, 1973 तक सभी प्रार्थनापत्रों की जांच कर ली जाय और जितने अधिक सेनानियां को सम्भव हो सकें पेन्शन दी जाये ।

कुछ मामलों में जेल प्रमाणपत्र पाने में बडी दिक्कत सामने आई हैं । मैं इस बात को अनुभव करता हूं। उसके लिए फैसले की सत्यापित प्रति को मान्यता देने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है । पर फिर भी हमें जांच करनी पडती ही है । क्योंकि कुछ मामलों में निर्णय में उल्लखित समय से पहले ही व्यक्ति जेल से बाहर आ जाते है । इसके लिए हमने भूतपूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों, विधायकों तथा जिलाधीशों आदि को प्रमाणित करने को कहा है । भविष्य में हम उनके प्रमाणपत्र स्वीकार करेंगे । और भी कोई सुझाव हो तो हम उसे मानने को तैयार है।

हम यह प्रयत्न करेंगे कि क्रान्तिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाय और उन्हें किसी प्रकार उपेक्षित न किया जाये। 31 मार्च, 1973 तक आएं प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध

में पेन्शन 15 अगस्त, 1972 से ही दी जायेगी भले ही उनकी स्वीकृति कभी भी हो । 31 मार्च, 1973 के बाद आने वाले प्रार्थनापत्रों के सम्बन्धे में पेंन्शन प्रार्थनापत्र आने की तारीख से दी जायेगी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यह एक गम्भीर मामला है, इस पर मंत्री महोदय को सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। यदि कोई निर्धारित समय में सम्बन्धित कागजी साक्ष्य उपलब्ध न कर सकें तो उसके लिए उसे किसी दिक्कत में क्यों डाला जाना चाहिए ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : वह हमें इस समय तक इस आशय का एक पत्र लिख सकते है कि मैं सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ और अपेक्षित साक्ष्य इकट्टा कर रहा हूं। ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकता है । पर यदि किसी को कुछ पता ही न हो तो उस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम अन्तिम तिथि को एक बार बढा चुके है और भी बढा सकते है, यदि सभा की यह इच्छा हो।

इन प्रार्थनापत्रों को निपटानेके लिए पहले आने वाले को पहले देने वाली पद्धति आपनाई है । अधिक बूढे और बीमार लोगों के सम्बन्ध में अपवाद किए जा सकते है। गत 25 वर्षों में अनेक लोग मर गये है, उनके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते।

जहां तक पुलिस और प्रशासन का सम्बन्ध है यह राज्य का बिषय है । हम केवल इस क्षेत्र में उनकी कुछ सहायता करते है । जब भी वे सशस्त्र बल की सहायता मांगते है हम देते हैं। इसी लिए हमने केन्द्रीय रिजर्व पुलिसकी संख्या को बढाया है । मै राज्यों की पुलिस के सम्बन्ध में यहां कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वे राज्य का विषय है ।

जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का सम्बन्ध है हम उसे एक राज्य से बुला कर दूसरे राज्य को--जहां से मांग आती है – भेजते रहते है ।

राज्यों की पुलिस के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है । इस समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन दिया है और हम उसकी सिफारिशों को शीघ्रता से लागू करना चाहते है । पुलिस के कुछ विशेष कार्यो की जांच के लिए कुछ केन्द्रीय संस्थान स्थापित किए गये है । ये संस्थान केन्द्रीय पुलिस के साथ साथ राज्य पुलिस की भी सहायता करते है, उसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्यों को अपना पुलिस बल बढाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। 1969–70 से अब तक 15.5 करोड रुपया इस मद पर खर्च किया जा चुका है । अगले वर्ष के बजट में इस मद के लिए 8 करोड रुपये रखे गये है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सी० बी० आई० के कार्यकरण के बारे में क्या हुआ ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सी० बी० आई० गृह मंत्रालय के अधीन नही आता है ।

श्री जी० विश्वनाथन : इसके अधीनही हम सी० बी० आई० पर चर्चा कर सकते है (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चर्चा के दौरान उठाये गये प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं। मेरा संबंध केवल गृह मंत्रालय से है ।

पहले हम गृह मंत्रालय का कार्य समाप्त कर लें । उसके बाद माननीय सदस्य अपनी बात रख सकते हैं ।

सभापति महोदय : यदि यह मामला गृह मंत्रालय से संबंधित नही है तो वह उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह मामला मंत्रि-मंडलीय सचिवालय का है।

श्री श्याम नन्दन मिश्रा : मेरे पास गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके पृष्ठ संख्या 9 पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों (समन्वय प्रभाग) का उल्लेख है। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कोई गुप्त मामला नहीं है। आप धैर्य से मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय : वह कहते है कि यह पुराना आबंटन है। आप नय आबंटन का पता लगा सकते है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : रिपोर्ट में उस प्रभाग के बंद किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय सचिवालय हमें आवश्यक परिपत्र नही दता है।

सभापति महोदय : उन्होनें नए आबंटन के बारे में अवश्य कोई परिपत्र जारी किया होगा।

श्री एच० एम० पटेल : आज सभा में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमे केन्द्रीय जांच ब्यूरों की 1972-73 की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे है उसके भविष्य के बारे में नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्रीय जांच ब्यूरों के बारे में प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता।

Shri Atal Behari Vajpeyee : The hon. Minister says he is not in a position to answer the debate in respect of C. B. I.?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इस विभाग को श्री रामनाथ मिर्धा और प्रधान मंत्री देखते है।

Shri Atal Behari Vajpeyee I have a point of order. When Shri Mirdha who is Minister of S ate in Ministry of Home Affairs looks after C.B.I. and he is present here. Why tcannot he answer the debate ?

Shri K. C. Pant : I cannot answer it.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel (Shri R.N. Mirdha): I am State Minister for Home Affairs and Cabinet Secretariat viz. both.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं अब स्थिति स्पष्ट हो गई है।

दिल्ली पुलिस की आलोचना की गई है। दिल्ली में अपराधों की स्थिति पर विशे ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी प्रशंसा के पात्र है। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे उचित दंड दिया जाएगा।

अब शिकायत फौजदारी के मामले के रूप में पंजीकृत नही की जाती। 1970 से अपराध के आंकडे में वृद्धि हुई है इसका कारण यही है कि हम पंजीकरण पर जोर डाल रहे हैं।

अपराधों के नियंत्रण के लिए हमारी 12 सूत्रीय योजना है। निरोधात्मक पेट्रोलिंग, विस्तृत सतर्कता बिना वर्दी के पुलिस की नियुक्ति करना उक्त कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं है।

भारतीय महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के आधुनिकीकरण के सभी उपाय बरते जायेंगे। दिल्ली पुलिस का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हम महिला पुलिस का भी निर्माण कर रहे है। मैं चम्बल के 459 डाकुओं के आत्म समर्पण का उल्लेख करना चाहता हूं।

प्रो० मधू दंडवते (राजापुर) : पुरी के शंकराचार्यजी के अभियानों के बारे में गम्भीर आरोप लगाए गये है। उनकी हर एक बैठक पर प्रदर्शन किए गये थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्यों की सभी बातों का उत्तर नहीं दे सकता।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तया (खम्मम) : शंकराचार्य द्वारा छुआछूत और महिलाओं अपमान करनवाले अभियानों पर मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि मेरे पास जानकारी होगी तो अवश्य बताऊंगा।

Shri Shamemnath (Saidpur): I have a point of order. As the Home Ministry is responsible for schedule castes and schedule tribes, he is required to reply the question put in this regard.

श्री मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय को एक ध्यानाकर्षण तथा एक अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया गया था। मेरा निवेदन है कि इस मामल को गम्भीरता से लिया जाए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसे इस प्रकार नहीं लिया जा सकता।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उस क्षेत्र में अब कोई डाकू नहीं है। यह स्थिति शताब्दियों बाद पैदा हुई है। सर्वोदय के नेताओं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस कार्य में सहयोग दिया है। श्री जय प्रकाश नारायण ने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है।

सिंचाई खेती, सडक संचार, सामाजिक आर्थिक औद्योगिक विकास कार्य 5–7 वर्ष से 250–350 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। चम्बल वैली के लिए 1 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है।

आसाम की स्थिति अब आशाप्रद है। इस मामले में हम दृढ रूख नहीं अपना सकते। जनमत के नेताओं से वार्ता द्वारा उचित हल निकाला जाना चाहिए। इस मामले पर उचि हल की खोज जारी है।

त्रिपुरा से कुछ छात्र कुछ घटनाओं के कारण डिब्रुगढ वापस चले गये। कलकत्ता में अभी भी कुछ लडके है। आसाम सरकार ने एक मंत्री को वहां भेजा था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : भाषाई समस्या के बारे में केन्द्रीय उत्तरदायित्व क्या है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1961 में मुख्य मंत्रियों ने इस मामले पर विचार किया था परन्तु उससे लाभ नहीं हुआ।

हम मामले में चाहेंगे कि आसाम और कछार के नेता किसी समझौते पर पहुंचे। हम चाहते है कि समाधान हो परन्तु हम अपनी ओर से कुछ नहीं लादना चाहते। इस क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए 50 करोड रुपए पृथक रखे गय है। उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के विकास पर हम बहुत अधिक महत्व दते है। नागा लैन्ड जो इस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित हो गया है, इससे लाभ उठाएगा।

आंध्र के मामले मे सभी पहलुओं पर बातचीत हो रही है। अराजपत्रित अधिकारियों के कार्य पर लौटने से स्थिति सामान्य बनाने में सहायता मिलेगी। मै छात्रों से अपनी पढाई पुनः चालू करने की अपील करता हूं।

मनीपुर बजट, 1973-74

MANIPUR BUDGET, 1973-74

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : महोदय, सदन को मालूम ही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 28 मार्च, 1973 की एक उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति ने मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्य और राज्य के राज्यपाल में निहित अथवा उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं। उद्घोषणा के अधीन राज्य की विधान-सभा भंग कर दी गयी है और सभा की शक्तियां का प्रयोग संसद के द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार अधीन किया जाना है। तदनुसार, मैं सदन के सम्मुख पहली अप्रैल, 1973 से शुरु होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए मणिपुर राज्य का वार्षिक वित्तिय विवरण रख रहा हूं। 1973–74 के पहले चार महीनों के लिए आवश्यक पूर्तियों के लिए सदन से अनुरोध किया जायगा।

2. महोदय, आपकी अनुमति से, मैं अनुमानों की मोटी मोटी बातों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं।

सन्शोधित अनुमान, 1972-73

निकट भविष्य में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों का अनुमान अब 19.93 करोड़ रुपये आंका गया है जो मूल अनुमान के 18.99 करोड़ रुपये की रकम से मामूली कम है। परंतु राजस्व से किये जाने वाले व्यय को 19.45 करोड़ रुपये का अनुमान मूल अनुमान से 48 लाख रुपये अधिक है इसका मुख्य कारण कृषि, शिक्षा और परीक्षण के तौर पर चलाए जाने वाले राहत कार्यों पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय का होना है। इसके परिणामस्वरुप, राजस्व खाते में 52 लाख रुपये तक का घाटा रहेगा। पूंजी खाते में 2.26 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, जबकि मूल अनुमान यह था कि बजट सन्तुलित होगा। अतः कुल मिलाकर 2.78 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

बजट अनुमान, 1973-74

3. 1973–74 में 21.57 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 2.64 करोड़ रुपये अधिक है। राजस्व खाते के अन्तर्गत 22.31 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है जिससे राजस्व खाते के अन्तर्गत 74 लाख रुपये का घाटा रहेगा। पूंजी खाते के अन्तर्गत 11.82 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और 14.35 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार कुल मिलाकर 3.27 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य को अन्न का प्रारक्षित भण्डार बनाए रखने के लिए राशि रखनी पड़ती है ताकि इस भूसीमित राज्य में अनिश्चित संचार व्यवस्था के सन्दर्भ में आपतकालीन स्थितियों का मुकाबला किया जा सके परन्तु यह प्रयास किये जा रहे है कि कम से कम भण्डार रखे जाये और ये भण्डार भारतीय खाद्य निगम द्वारा मणिपुर के अन्दर ही रखे जाये। अतः अगले वर्ष के अन्त में वास्तव में अधिशेष रहेगा या मामूली सा घाटा होगा।

आयोजना परिव्यय

4. चालू वर्ष में 7.67 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के मुकाबले 1973–74 में राज्य की आयोजना पर 8.9 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। लगभग यह सारी रकम केन्द्रीय सहायता से पूरी की जायगी। अगले वर्ष की आयोजना में, विकास के लिए

न्यूनतम आधारभूत ढांचा बनाने और जनता के लिए जिसमें अधिकांशतः समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग है, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में संचार और समाजसेवाओं पर अधिक जोर दिया जायगा।

इसके अलावा, 1973–74 के बजट में केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए 4.96 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमें लौक्टक उठाऊ सिंचाई योजना के लिए 1.4 करोड़ रुपये, प्रादेशिक चिकित्सा महाविद्यालय के लिये 70 लाख रुपये और उत्तर पूर्वी ग्रिड के भाग के रुप में 132 किलोवोल्ट की विद्युत पारेषण लाईनों के लिए 50 लाख रुपये की रकम शामिल है।

अनुदानों की मांगें 1973-74—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1973-74—Contd.

गृह मंत्रालय

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) The Home Ministry has their main functions to perform to maintain internal security, to establish healthy relations with states and to keep states in establishing peace in all the states. The police has a vital part to play in performing all these jobs. The police officials are 24 hours employees whereas in other offices the employees work for eight hours.

These people have to work in dangerous conditions and have to travel through dangerous routes. In order to make police more effective every police station be provided with a Telephone. They should be provided with jeeps and other equipments.

The population of country was 43.17 crores in 1960 and it rose to 55 crores in 1970. The number of cognisable offences in 1960 was 6,06,367 and now in 1970 it is 9,55,422. The rise in population was 24.4 per cent whereas the rise in number or crimes was 57.6. per cent. The crimes are on the increase whereas the number of police force has not risen to the extent needed. Their number in 1970 was 643,747. Against 10 thousnd population the number of police men is 11.8. The number of policemen in the total centrally administered area was 22,709 and 155 policemen come from each 100 Kilometers and their number from population of 10 thousand comes to 39.6. It is, therefore, necessary to increase the strength of police force to cope with the ncrease of population and to meet the crimes.

The educated persons go to foreign countries as their condition is better there. This should be looked into.

A bulky report of the backward classes is pending and no discussion has taken place. It should be taken up.

With these words I support the demand of Home Ministry.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम समाजवादी जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य होने का दावा करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने पुलिस सेवाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। राज्य सरकारों की आवश्यकता इससे 50% अधिक होगी। केवल गुप्तचर शाखा के लिए 8 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

गुप्तचर विभाग के 13000 व्यक्ति काश्मीर में कार्यरत है। उन पर 1966–67 में 6 करोड़ रुपए व्यय होता था जिसमें कि 50% की वृद्धि हो गई है।

राजनीतिको की जिनको मंत्रीगण भी सम्मिलित है, डाक टेलीफोन पर निगरानी रखी जाती है। मेरे नेता श्री गोपालन के पत्र, तारें, गुप्तचर विभाग द्वारा खोले गये थे। पत्र पर अंकित है "पुलिस द्वारा मुक्त किया गया"। यह मैं परीक्षा के लिए देना चाहता हूं।

सभापति महोदय यदि आप इसे सभा पटल पर रखना चाहते है तो मैं इसे अध्यक्ष महोदय के पास भेज दूंगा।

प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि मेरे दल के कत्ल किए गये व्यक्तियों की सूची प्रकाशित कि जाएगी। वह सूची कब प्रकाशीत की जाएगी। दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 करोड़ 78 लाख रुपये व्यय किए जाते है। अपराध बढते जा रहे है। हम उस धन से क्या करते है। 1964-65 में भी व्यय 25.27 करोड़ रूपए था। 1969-70 में 86.16 करोड़ हो गया और इस वर्ष के बाजट में 135 करोड़ रखे गये हैं। मैं नही कहता**

सभापति महोदय : यह आपत्तिजनक है। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उन्हें नही कह सकता**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक अनुसंधान और विश्लेषण विंग है जोकि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। इसमें भारी भ्रष्टाचार है। एक डी० एस० पी० इससे संबद्ध है**

सभापति महोदय : यदि आप नामों का उल्लेख करते हैं तो आपको प्रमाण देने होंगें।

यदि आप किसी अधिकारी का नाम लेंगे तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किये जाने की अनुमति नही दूंगा। यदि आप के पास कोई साक्ष्य है तो आप अध्यक्ष महोदय को लिखकर दे सकते हैं कि आप गृहमंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चल रहे वाद-विवाद के दौरान किसी नाम का संदर्भ देना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग के दो अधिकारी राजनैतिक चोर बाजारी, राजनीति हत्या तथा राजनैतिक दल-बदल के कार्य में लगे हुय हैं। पहले 2 अधिकारी थे अब 12 हो गये हैं। सरकार निरन्तर व्यय बढ़ाये जा रही है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग ने बंगला देश तक अपनी गति विधियां बढ़ाई है। मेरे पास कागजात मौजूद है परन्तु जनहित की दृष्टि से मैं रहस्योदघाटन करना नहीं चाहता। यह सब श्रीमती गांधी को जैसे भी हो, सत्ता में बनाये रखने के लिए किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि अध्यक्ष-पीठ सरकार को संरक्षण प्रदान क्यों करती हैं। **(व्यवधान)**

Shrimati Mukul Banerji (New Delhi) **:** I have no faith in the figures Mr. Jyotirmoy Bosu has quoted. He tries to mislead the people by giving a twist to the facts. The people of India and Congressmen cannot be mislead by wrong statistical dates. (*Interruptions*) On one hand he tries to incite people to make violent demonstrations and the other demoralises the police, the Government should take note of such elements.

The Government should look to the condition of the policemen today. A police constable gets 75 Rupees as his basic pay which comes to Rs. 120 or 150 with all the emoluments. They have been deprived of housing and overtime facilities even when they are supposed to work round the clock. I have no objection if they are not allowed to form a union but we should take care to see that their service conditions are improved. They should be provided overtime, washing allowances alongwith other amenities.

The poisonous smoke emitted by 'C' power stations in Delhi is causing environmenta air pollution. The Government should adopt remedial measures in this regard. Home Minister should take care to see that the waters of Jamuna are not polluted like a dirty nullah.

I would like to know the progress made regarding the survey of Police training. The report of Khosla Commission should be implemented at an early date.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

The Police force has not increased in proportion to the increase of population in Delhi. There should be a considerable increase in police strength.

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Sir, our Home Minister is a man blessed with farsighted ness capabilities and intelligence. I hope he will pay serious consideration to the problems of the day.

Urdu should be given its due place in the country. Muslims have drifted apart from the main stream of national life. The Government should make efforts to see that they are brought in the main stream of national life.

Though there are a number of problems the scheduled castes and scheduled tribes are facing but as there are few minutes at my disposal I will be restricted to their reservations in Government Services. No doubt, that there have been certain improvements as regards reservations for scheduled castes and scheduled tribes but their representation in class I and class II posts is negligible. I would like to draw the attention of the House to article 335 of the constitution which lays down that "the claims of the members of the scheduled castes and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of Administration in making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or the State." This proved an obstruction in giving due representation to the scheduled castes and scheduled tribes. Long time suppression and oppression of the downtrodden have thrown them away from the main stream of national life and it is for this reason the constitution provides such provision for scheduled castes and scheduled tribes.

If the Government is really interested in providing equal status to these castes then they will have to amend article 335 of the constitution.

It is absurd to say that capable scheduled castes and scheduled tribes candidates are not available in Administrative services. It is high time now that article 335 should be amended. If this is not done, all the amenities available at piesent should be with drawn. We would have them again if we prove capable, intelligent and powerful.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) : There is hardly any aspect of life which remains untouched or which does not fall within the purview of Home Ministry. This responsibility has been entrusted with a very capable man.

Some of my friends have referred to morality, civilization and culture in the context of communal problems. These are the byproducts of a feudal society. Todays culture is bread for comman man. We cannot solve the problem of poverty unless there is peace and order in the country. We cannot attain peace till there is no harmony between mind and heart, till there is no fellow feeling among different sections of society.

There are a large number of Adivasis and Harijans in Madhya Pradesh. They are poor people. Conditions of people in Chhatisgarh and Bastar are very bad. The Home Minister should take care to see that, something is done to the upliftment of backward areas.

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : Sir, I support the demands of the Home Ministry and commend the works done by them.

It is really unfortunate that communalism has raised its ugly head during this year which is the silver jubilee year of our independence. Communalism is limited not only to the considerations of the community or religion but there is a communal approach even in our thinking. We are having elections in Uttar Pradesh next year. There is demand for the division of U.P. The Home Ministry should be very much vigilant, if other, the divisive forces would gain ground in the country.

There is politics in the affairs of Kashi Hindu University and Aligarh Muslim University. A high power committee should be constituted to find out the extent to which polititians are responsible for vitiating the atmosphere of the universities and suggest ways so that students may continue their studies properly.

There have been references to "Vande Mataram" in this regard those who criticise 'Vande Matram' today will criticise 'jan gan' tomarrow and other things afterwards. We should protect the religion, culture and feelings of minority communities but they should not be allowed to dominate the majority in a way which may destroy our national unity.

[Shri Sudhakar Pandey]

My friend from DMK has raised objections regarding allocation of Rs. 21 crores for the development of Hindi. It is really surprising that the Government have not so far been able to make Hindi our national language. It should not be overlooked that the development of Hindi is the responsibility of the centre, while the development of other languages is the responsibility of State Governments.

The U.P.S.C. have failed to make Hindi the medium of examinations conducted by hem. So long as English continue to be our official language we can not achieve progress and unity in our country. The Government should pay serious consideration to this matter.

We should condemn police for their bad deeds. At the same time we should praise them for their good deeds. They should be given incentives to do good work.

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : इस समय सदन में मांग संख्या 46 से 57 तक की मांगों पर चर्चा चल रही है। मांग संख्या 47 मंत्रीमंडल से सम्बन्धित है तथा मांग संख्या 48 कार्मिक विभाग तथा प्रशासन सुधार विभाग से। केन्द्रीय जांच ब्यूरो कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग के अन्तर्गत आता है अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विषय में जो कुछ कहा गया है वह संगत है।

जहां तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रश्न है माननीय सदस्य ने जो कहा है कि कुल अधिकारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या बहुत कम है, ठीक है।

The Minister of Home Affairs (Shri Umashankar Dikshit) : Sir, some of my friends have referred to the Communal situation in the country. I would like to submit before the House that this is not a new problem but this is a historic one. This communal situation was created by the then imperialist rulers of India. It is beyond doubt that the seeds they had sown have now grown into gigantic trees. It is neither true nor historically correct to blame a particular individual or community for this problem.

If we are really interested in controlling the communal situation in the country, the Muslim League, Jamat-e-Islami, Jan Sangh and R.S.S. should consider seriously whether any action they take will not give fillip to communalism and cause communal riots. It is said that Police is bad. The Police can be at fault but this social order is beyond the reach of Police control. All of us belonging to different parties have to contribute one share to get rid of the communal trouble.

It is said that reservation so far the Parliament and Councils should be removed. But it is generally believed that we have not yet reached that stage. Unless we provide opportunities to tribals, Harijans and Girijans we cannot have their representation here. We are not a developed society to that extent.

It is also said that the provision in the constitution that the claims of the memoers of scheduled castes and scheduled tiibes for Services should be taken into consideration consistent with the maintenance of efficiency of administration should be removed. The question of evolving a formula according to which more and more people belonging to scheduled castes and scheduled tribes are taken in Services and they are not completely inefficient also is under consideration of the Government.

As regards national language, I would submit that this is problem where we are to be very cautious. We are to consider the regional languages and the difficulties of those people who do not know Hindi. This question should be emphasised upon time and again.

स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 साल बाद भी जब हमारे सामने हरिजनों और पिछड़े लोगों पर होने वाले अत्याचार और कठिनाइयों की बात आती है तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। कानून बना देने से उनकी दशा सुधारने की गारन्टी नहीं दी जा सकती। अनेक ऐतिहासिक कारणों से हमें धीमा चलना पड़ता है। हम तानाशाही नहीं चाहते। हमें उनकी स्थिति सुधारने

के लिए कार्य करने में अधिकारियों की मदद करनी चाहिए। हम एक शान्त क्रान्ति से गुजर रहे है और सामन्तशाही से आधुनिक समाज की ओर बढ़ रहे है। हरिजन लोग आगे बढ़ रहे है और स्नातक स्तर तक शिक्षा पा रहे है। हमें चाहिए कि इन हरिजनों पर अत्याचार करने वाले जमीदारों की इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जायें।

हरिजन आगे आकर अब अपने अधिकारों को समझ रहे है। हमें इनको उठाने के लिए हर सम्भव मदद देनी है। पुलिस को इन दयनीय लोगों की मदद करने के आदेश दे दिए गये हैं। पर पुलिस के भी आदमी ही काम करते हैं और उनमें भी वे सभी कमियां है जो एक मानव में होती है। अत: हमें एक सामाजिक क्रान्ति लानी होगी।

अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव दिए गये हैं। यह भी कहा गया है कि देश में कानुन और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। श्रीकृष्ण मेनन का सुझाव था कि बल प्रयोग केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब यह निश्चित हो जाय कि इसके अभाव में आत्म सुरक्षा को खतरा पैदा हो जायेगा। अत: बल का उपयोग केवल आत्म सुरक्षा और बड़ी हानि को रोकने के लिए ही किया जाना चाहिए न कि आतंक स्थापित करने के लिए। इस बात का निश्चय सावधानी से करना चाहिए। और एक बार निश्चय करने पर उस पर मुस्तैदी से कार्रवाई करनी चाहिए।

साम्प्रदायिक दुर्घटनाओं की संख्या 50 प्रतिशत तक घटी है। यह कहना नितान्त सही है कि मुसलमानों के साथ पूर्ण एकता और आपसी समझ स्थापित नहीं की जा सकी है। यही कारण है कि किसी भी एक गुट की गलती के अभाव में भी दुर्भाग्य पूर्ण घटनाएं हुई हैं। इसके लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई है। कुछ समय तक इसने अच्छा काम किया है पर बाद में वह ढीला पड़ गया। इस परिषद को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक इसमें सम्मिलित होनेवाले व्यक्ति और दल अपेक्षित एकता की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले लें।

यह कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद को दफन कर दिया गया है ऐसी बात नहीं है। समय के अभाव के कारण परिषद की बैठकें नहीं हो सकी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई कठिनाइयां भी सामने हैं।

मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को रोजगार देने की बात कही गई है यह एक बड़ी ही अच्छी बात है। कुछ कठिनाइयां इसमें अवश्य हैं पर हमें इन अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए अवसरों में सुधार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में आने वाले सभी सुझावों पर विचार किया जायगा और शिकायतों को दूर किया जायेगा।

आजकल विरोधी दलों और सत्तारुढ़ दल का संसद और बाहर एक ही काम है--एक दूसरे की आलोचना करना। हमारे साम्यवादी मार्क्सवादी साथी ने बहुत सी बातें कहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस दल पर संसदीय जनतंत्र को छिन्नभिन्न करने का आरोप भी लगाया। राष्ट्रीयता का प्रश्न भी उठाया गया . . . (**व्यवधान**) हम और हमारा दल जनतंत्र के लिए कार्य कर रहा हैं। हम पर कम से कम इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए (**व्यवधान**)। अपने कथन के दौरान उन्होंने स्टालिन और लेनिन दोनों का नाम एक साथ लिया है। लैनिन की बात छोड़ दीजिए उनका समस्त संसार में आदर किया जाता है। पर जहां तक स्टालिन का प्रश्न है क्या रूस, चीन अथवा किसी अन्य साम्यवादी देश में उनका आदर किया जाता है? उनकी नीतियों की सर्वत्र भर्त्सना की जा रही है।

हमारा और साम्यवादी दल का एक ही उद्देश्य है समाजवाद। अन्तर केवल इतना है वे हिंसात्मक समाजवाद में विश्वास करते हैं जब कि हम अहिंसक समाजवाद में। (**व्यवधान**)

* *

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

[श्री उमाशंकर दीक्षित]

साम्यवादी दल के जो लोग हिंसा में विश्वास रखते थे वे अलग हो गये और अन्य जो अहिंसात्मक समाजवाद के पक्षकार थे वे अलग। हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं जो जनतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखते हैं। फिर चाहें वे किसी भी दल के क्यों न हो।

साम्यवादी मार्क्सवादी दल का जहां भी शासन रहा है वहां हिंसा हुई। श्री बसु ने यही कहा था कि उनकी पार्टी द्वारा की गई हत्याओं की एक पुस्तिका छापी गई है--उनका यह कथन कार्यवाही वृतान्त में है। मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने शासन काल में हुई बंगाल में हत्यायों की सूची को पूरा कर प्रकाशित करें (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the Cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा गृह मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
46	गृह मंत्रालय . .	1,44,69,000
47	मंत्रिमंडल . . .	83,51,000
48	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	4,14,18,000
49	पुलिस . .	1,02,32,47,000
50	जनगणना	2,89,83,000
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . . .	56,07,43,000
52	दिल्ली	65,21,00,000
53	चण्डीगढ़	8,00,91,000
54	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	11,52,91,000
55	अरुणाचल प्रदेश	14,50,66,000
56	दादरा और नगर हवेली	62,97,000
57	लक्षदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . .	1,88,91,000

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 30 मार्च, 1973 / 9 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 30th March, 1973/Chaitra 9, 1895 (Saka)

GIPN—SI—6 LSS/73—5-7-73—490